

प्राप्तक

प्रतिक्रिया

संख


- विजय नुनि

सत्याति रुद्रपीढ़, आगरा

सन्मति साहित्य-रत्नमाला का ६१ वाँ रत्न

श्रावक प्रतिक्रमण-सूत्र

व्याख्याकार :
विजयमुनि शास्त्री, साहित्यरत्न



श्री सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

पुस्तक :

श्रावक प्रतिक्रमण-सूत्र

व्याख्याकार :

विजयमुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

प्रकाशक :

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

मुद्रक :

मनोज प्रिंटिंग प्रेस, आगरा २

तृतीय प्रवेश :

सन् १९८६, महावीर जयंती

मूल्य :

५-००

समर्पण

जिनकी पावन-प्रेरणा ने
जिनकी सतत-भावना ने
जिनकी निशादिन की रटना ने

मुझे
कलम पकड़ने को
तैयार कर ही दिया।

प्रेरणा, भावना एवं रटना
की

उस भव्य-मूर्ति
मुनि श्रीअखिलेश नी
को

सादर
सभक्ति
समर्पण

—विजय मुनि

दो शब्द

मनुष्य की जिस मनोभूमि में विचारों के सुन्दर अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, मनुष्य की उसी मनोभूमि में विकारों की धास-पात भी उत्पन्न हो जाती है। विचार का विकास करना और विकार का विनाश करना—यह साधकजीवन का चरम ध्येय-बिन्दु है। उस पर पहुँचने के लिए प्रतिक्रमण की अध्यात्म-साधना—एक मंगलमय माध्यम है।

मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? अपने अन्दर ही अपनी इस खोज को प्रतिक्रमण कहा गया है। स्वभाव से निकल कर, विभाव में पहुँच गये हों, तो फिर वापस लौट कर, स्वभाव में आना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण, साधक जीवन की संपुष्टि के लिए अमृत है। प्रतिक्रमण की साधना, परम आवश्यक तत्व है।

श्रमण और श्रावक, दोनों के लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक माना गया है। प्रतिदिन सायं तथा प्रातः अवश्यमेव करणीय होने के कारण ही इसको अवश्यक भी कहा है। प्रतिक्रमण आत्मसंशुद्धि का परम साधन है।

प्रस्तुत पुस्तक श्रावक प्रतिक्रमण-सूत्र है। श्रावक-प्रतिक्रमण अनेक प्रकाशित हुए हैं, तथापि जनता की ओर से एक शुद्ध एवं व्याख्या-सहित उपयोगी संस्करण की बराबर मांग रही है। श्रावक प्रतिक्रमण का सम्पादन कोई सरल काम नहीं है। विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न प्रकार के श्रावक प्रतिक्रमण प्रचलित हैं। उनमें एकरूपता का अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन कैसा हुआ है? इसका समाधान पाठक स्वयं करें।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में पूज्य गुरुदेव के दिशादर्शन से मुझे बड़ा बल मिला है। इस कार्य की पूर्ति उनके दिशादर्शन के बिना सर्वथा असम्भव थी।

पुस्तक के संकलन, सम्पादन एवं व्याख्या में भूलों का पता लगने पर अथवा पाठकों का सुझाव आने पर, सुधारने का यथोचित प्रयत्न किया जा सकेगा।

—विजयमुनि

प्रकाशक की ओर से

अध्यात्म-साधना में, प्रतिक्रमण की बड़ी महिमा है। जीवन-शोधन की प्रक्रिया को ही वस्तुतः प्रतिक्रमण कहा गया है। प्रतिक्रमण अध्यात्म साधना का मूल आधार है।

प० विजयमुनिजी शास्त्री ने श्रावक-प्रतिक्रमण-सूत्र लिख कर, एक प्रशंसनीय कार्य किया है। शुद्ध मूलपाठ, अर्थ और व्याख्या; प्रस्तुत रूप में श्रावकप्रतिक्रमण-सूत्र के तृतीय संस्करण को प्रकाशित करते हुए हमें बड़ा सन्तोष तथा हर्ष हो रहा है। प्रारम्भ में सामायिक-सूत्र भी शुद्ध मूलपाठ, अर्थ एवं संक्षिप्त व्याख्या के साथ इसमें जोड़ दिया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में श्रावक के बारह व्रतों की व्याख्या और प्रत्येक व्रत के अतिचारों की व्याख्या सरल तथा सुगम भाषा में दी गई है। आशा है, पाठक प्रस्तुत पुस्तक से लाभ उठा कर लेखक और प्रकाशक के श्रम को सफल करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक को सुन्दर बनाने में, और शीघ्रता से मुद्रित करने में मनोजप्रेस के प्रबन्धकों एवं कंपोजिटरों का श्रम सराहनीय है। उन्होंने जिस उदारता का परिचय दिया है, तदर्थे उन्हें धन्यवाद है।

—ओमप्रकाश जैन,
मन्त्री, सन्मति ज्ञानपीठ


विषयानुक्रमणिका

विषय		पृष्ठांक
सामायिक सूत्र		
१. नमस्कारसूत्र	३
२. गुरु-वरदनसूत्र	५
३. सम्यक्त्वसूत्र	६
४. गुरु-गुण-स्मरणसूत्र	८
५. आलोचनासूत्र	९
६. उत्तरीकरणसूत्र	१२
७. आगारसूत्र	१३
८. चतुर्विश्विस्तव-सूत्र	१६
९. सामायिकसूत्र	१६
१०. प्रणिपातसूत्र	२१
११. समाप्तिसूत्र : परिशिष्ट :	२४
श्रावकप्रतिक्रमण-सूत्र :		
१. उपक्रम सूत्र	२५
२. संस्कृत प्रतिक्रमणसूत्र (अतिचार अलोचना)	३६
३. ज्ञानातिचार	४१
४. दर्शनातिचार	४३
५. प्रथम अहिंसा-अणुव्रत के अतिचार	४३
६. द्वितीय सत्य-अणुव्रत के अतिचार	४४
७. तृतीय अस्तेय-अणुव्रत के अतिचार	४५

विषय	पृष्ठांक
५. चतुर्थ-ब्रह्मचर्य-अणुव्रत के अतिचार	४५
६. पंचम अपरिग्रह-अणुव्रत के अतिचार	४५
१०. षष्ठि दिशा-परिमाणव्रत के अतिचार	४६
११. सप्तम उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत के अतिचार	४६
१२. पंच-दश कर्मदान	४७
१३. अष्टम अनर्थ-दण्ड-विरमणव्रत के अतिचार	४८
१४. नवम सामाधिकव्रत के अतिचार	४८
१५. दशम देशावकाशिकव्रत के अतिचार	४९
१६. एकादश पौष्टिकव्रत के अतिचार	४९
१७. द्वादश अतिथि-संविभागव्रत के अतिचार	५०
१८. सलेखना के अतिचार	५०
१९. अष्टादश पाप-स्थान	५१
२०. निन्यानवे अतिचार	५१
२१. समग्र अतिचार-चिन्तन	५१
२२. द्वादशावतं गुरुवन्दनसूत्र	५२
श्रावकसूत्र :	
२३. मंगलसूत्र	५६
२४. सम्यक्त्वसूत्र	६०
२५. प्रथम अहिंसा-अणुव्रत	६१
२६. द्वितीय खत्य-अणुव्रत	६७
२७. तृतीय अस्तेय-अणुव्रत	७१
२८. चतुर्थ ब्रह्मचर्य-अणुव्रत	७२
२९. पंचम अपरिग्रह-अणुव्रत	७६
३०. षष्ठि-दिशाव्रत	८३
३१. सप्तम उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रत	८६
३२. पंचदश कर्मदान	८६

विषय	पृष्ठांक
३३. अष्टम अनर्थदण्ड-विरमणव्रत	१००
३४. नवम सामायिक-व्रत	१०३
३५. दशम देशावकाशिक-व्रत	१०७
३६. एकादश पौषधव्रत	११३
३७. द्वादश अतिथि-संविभाग-व्रत	११८
३८. संलेखनासूत्र	१२१
३९. आलोचना	१२७
४०. अष्टादश पापस्थान	१२७
४१. उपसंहारसूत्र	१२८
४२. पाँच पदों की वंदना (पद्म)	१२९
४३. पाँच पदों की वंदना (गद्य)	१३२
४४. अनन्त चौबीसी	१३५
४५. समुच्चय जीवों से क्षमापना	१३५
४६. क्षमापनासूत्र	१३६
४७. आवस्सहि इच्छाकारेण	१३८
४८. ध्यान के विषय में	१३८
४९. सामायिक आदि द्वह आवश्यक : परिशिष्ट :	१३८

सामायिक-सूत्र



सामायिक की परिभाषा

सामाइयं नाम—

“सावज्ज—जोग—परिवज्जणं,
निरवज्ज—जोग—पद्धिसेवणं च ।”

सावद्ययोगों का त्याग करना, और निरवद्ययोगों में
प्रवृत्ति करना ही सामायिक है ।

: १ :

नमस्कार-सूत्र

मूल :

नमो अरिहंताणं,
नमो सिद्धाणं,
नमो आयरियाणं,
नमो उवजभायाणं,
नमो लोए सब्ब-साहूणं ।
एसो पञ्च नमोक्कारो,
सब्ब-पावप्पणासणो
मंगलाणं च सब्बेसि ।
पठमं हवइ मंगलं ॥

अर्थ :

नमस्कार हो अरिहंतों को,
नमस्कार हो सिद्धों को,
नमस्कार हो आचार्यों को,
नमस्कार हो उपाध्यायों को,
नमस्कार हो लोक में सब साधुओं को !
यह पाँच ऐको किंदा हुआ नमस्कार,
सब पापों का सर्वथा नाश करने वाला है,
और संसार के सभी मङ्गलों में,
प्रथम मुख्य [भाव] मङ्गल है ।

च्याख्या

जैन-परम्परा में नवकारमन्त्र का बड़ा ही गौरव पूर्ण स्थान है। इसका दूसरा नाम नवकारमन्त्र भी है। इसको पंचपरमेष्ठी मंत्र भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के मन में सदा नवकारमन्त्र के उदात्त भाव का चिन्तन चलता रहता है, संसार में उसका अहित कौन कर सकता है? इतिहास साक्षी है कि—इस महान् मन्त्र के स्मरण से शूली का सुन्दर सिंहासन बन गया है, और भयङ्कर विषधरसर्प फूल-माला में परिणत हो गया है। नवकार इह लोक में तथा पर-लोक में सर्वत्र सर्व सुखों का मूल है।

नवकारमन्त्र मंगलरूप है। संसार में जितने भी मंगल हैं, यह उन सभी मंगलों में सर्व-श्रेष्ठ मंगल है। वयोंकि यह द्रव्य मंगल नहीं, भाव-मंगल है। द्रव्यमंगल दधि-अक्षत आदि कभी अमंगल भी बन जाते हैं, किन्तु नवकारमन्त्र भावमंगल होने से कभी अमंगल नहीं होता। भाव-मंगल ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के रूप में अनेक प्रकार का होता है।

नवकारमन्त्र में व्यक्ति-पूजा नहीं, गुण-पूजा का उदारभाव है। इस में जिन महान् आत्माओं के गुणों का स्मरण किया गया है, वे दो रूपों में हैं—देव और गुरु।

संसार-बन्धन के बीज-भूत—रागद्वेष का क्षय करने वाले तथा संसारी आत्माओं को भव-दुःखों से मुक्त कराने वाले अरिहंत भगवान देव हैं।

आठ कर्मों से मुक्ति पाने वाले भव-बन्धनों से सदा के लिए सर्वथा विमुक्ति सिद्ध भगवान् देव हैं।

स्वयं पवित्र आचार का पालन करने वाले, एवं दूसरों से भी आचार का पालन करवाने वाले आचार्य गुरु हैं।

द्वादशांगी जिन-वाणी के रहस्य के ज्ञाता, विमलज्ञान का दान करने वाले और मिथ्यात्व के अन्धकार को सम्यग्ज्ञान के प्रकाश से दूर करने वाले उपाध्याय गुरु हैं।

पाँच महाक्रतों के पालन करने वाले, पाँच समिति और तीन गुप्ति के धारण करने वाले, मोक्षमार्ग के साधक साधु हैं।

उक्त पाँच पदों को भाव-पूर्वक किया गया नमस्कार, सब पापों का नाशक है। संसार के समस्त मंगलों में, यह नमस्काररूप मंगल, भाव मंगल होने के कारण, सबसे श्रेष्ठ और सब से ज्येष्ठ मंगल है।

: २ :

गुरु-वन्दनसूत्र

मूल :

तिक्खुत्तो

आयाहिणं पयाहिणं करेमि,
वंदामि, नमंसामि,
सक्कारेमि सम्माणेमि,
कल्लाणं, मंगलं,
देवयं, चेष्टयं,
पञ्जुवासामि,
मत्थएण वंदामि ।

अर्थ :

तीन बार

दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करता हूँ,
वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ,
सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ,
आप कल्याणरूप हो, मंगल-रूप हो,
देवता-स्वरूप हो, ज्ञान-स्वरूप हो,

मैं आपकी पर्युषासना=सेवा करता हूँ,
मस्तक झुका कर वन्दना करता हूँ ।

व्याख्या :

अध्यात्म-साधना के क्षेत्र में, गुरु का पद सब से ऊँचा है । कोई दूसरा पद इसकी समानता नहीं कर सकता । गुरु जीवन-नौका का नाविक है । संसार के काम, क्रोध एवं लोभ आदि भयंकर आवर्तों में से वह हमको सकुशल पार ले जाता है । भारतीय-संस्कृति की अध्यात्म-साधना में, इसी कारण से गुरु को Supreme Power कहा गया है ।

'गुरु' शब्द में दो अक्षर है—'गु' और 'रु' । 'गु' का अर्थ है—अन्धकार तथा 'रु' का अर्थ है—नाशक । गुरु का अर्थ हुआ—अन्धकार का नाश करने वाला । शिष्य के मन में रहे अज्ञान-अन्धकार को दूर करने वाला 'गुरु' कहलाता है ।

गुरु-वन्दन-सूत्र में गुरु को चन्दन किया गया है, और गुरु का स्वरूप बताया है ।

गुरु-मंगल-रूप है, देव-रूप है, ज्ञान-रूप है—अतः मैं विनम्रभाव से उसके चरणों में वन्दन एवं नमस्कार करता हूँ ।

: ३ :

सम्यक्त्व-सूत्र

मूल : अरिहंतो मह देवो,
जावज्जीर्व सुसाहुणो गुरुणो ।
जिण-पणणत्तं तर्च,
इअ सम्मत्तं, मए गहियं ॥

अर्थ : अरिहंत भगवान् मेरे देव हैं,
यावज्जीवन श्रेष्ठ साधु मेरे गुरु हैं,
जिन-प्ररूपित अहिंसा आदि तत्त्व मेरा धर्म है,
यह सम्यक्त्व मैंने प्रहण किया ।

व्याख्या :

यह 'सम्यक्त्व-सूत्र' है । सम्यक्त्व अध्यात्म-जीवन की प्रथम भूमिका है । आगे चल कर श्रावक आदि की भूमिकाओं में जो कुछ भी त्याग-वैराग्य, जप-तप तथा व्रत-नियम आदि साधनाएँ की जाती हैं, उन सब की बुनियाद सम्यक्त्व को कहा गया है । यदि मूल में सम्यक्त्व नहीं है, तो अन्य सब तप-जप आदि क्रियाएँ केवल अज्ञान-कष्ट ही मानी जाती हैं, धर्म नहीं हैं । क्योंकि वे संसार की वृद्धि करती हैं, संसार का क्षय नहीं करतीं । सम्यक्त्व के बिना होने वाला व्यवहारिक चारित्र, चाहे वह थोड़ा है, या बहुत, प्रस्तुतः कुछ है ही नहीं ।

सम्यक्त्व का सीधा-सादा अर्थ किया जाय तो विवेकहृष्टि होता है । सत्य और असत्य का मौलिक विवेक ही जीवन को सम्मार्श की ओर अग्रसर करता है ।

प्रस्तुत सूत्र में व्यवहार-सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है । यहाँ बताया गया है, कि किसको देव समझना, किसको गुरु समझना और किसको धर्म समझना ? साधक प्रतिज्ञा करता है—

राग-द्वेष विजेता अरिहंत मेरे देव हैं, पञ्च-महाव्रतधारी साधु
मेरे गुरु हैं और जिन-भाषित दयामय आदि सच्चा धर्म मेरा धर्म है ।

परन्तु निश्चय-सम्यक्त्व तत्त्व-रूचिल्प होता है । जीवादि ज्ञेय को जानने की, संवर-निर्जरा आदि उपादेय को प्रहण करने की और हिंसा, असत्य आदि हेय को छोड़ने को जो अभिरूचि-विशेष होती है, वह निश्चय-सम्यक्त्व है ।

साधना का मूल सम्यक्त्व है। इसके बिना किसी भी प्रकार की साधना सच्ची नहीं हो सकती। अतः सामायिक की साधना से पूर्व सम्यक्त्व की शुद्धि आवश्यक है।

: ४ :

गुरु-गुण-स्मरण-सूत्र

मूल : पंचिदिय-संवरणो,

तह नवविह-बंभयेर-गुच्छ-धरो
चउविह-कसाय-मुक्को,

इअ अद्वारस-गुणेहिं संजुत्तो ॥
पंच-महाव्य-जुत्तो,

पंच-विहायार-पालण-समत्थो ।
पंच-समिओ-तिगुत्तो,
छत्तीस-गुणो गुरु मज्जभ ॥

अर्थ : पाँच इन्द्रियों के विषय को रोकने वाले,
तथा ब्रह्माचर्य की नी गुप्तियों को धारण करने वाले,
चार प्रकार के कषायों से मुक्त,
उक्त अठारह गुणों से संयुक्त,
पाँच महाव्रतों से युक्त,
पाँच प्रकार का आचार पालने में समर्थ,
पाँच समिति और तीन गुप्ति वाले,
इस प्रकार छत्तीस गुणों वाले मेरे गुरु हैं।

व्याख्या :

यह गुरु-गुण स्मरण-सूत्र है। इसमें गुरु की महिमा का गुण-गान किया गया है। प्रत्येक साधक को गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। क्योंकि साधक पर सद्गुरु का इतना विशाल ऋण है, कि उसका कभी बदला चुकाया नहीं जा सकता। गुरु की महत्त्वा अपार है। अतः प्रत्येक धर्म-साधना के प्रारम्भ में सद्गुरु को श्रद्धा-भक्ति के साथ अभिवन्दन करना चाहिए।

सामायिक की साधना से पूर्व, सामायिक की साधना के मार्ग का बोध कराने वाले गुरु का स्मरण आवश्यक है। अतः प्रस्तुत सूत्र में गुरु का स्मरण किया गया है; गुरु का स्वरूप बताया गया है, गुरु के गुणों का परिचय दिया गया है।

छत्तीस गुणों के धारक पवित्र आत्मा को ही गुरु कहा गया है।

: ५ :

आलोचना-सूत्र

मूल : इच्छाकारेण संदिसह भगवं !

इरियावहियं, पडिक्कमामि ? इच्छं ?

**इच्छामि पडिक्कमिउं, इरियावहियाए, विराह-
णाए । गमणागमणे-पाणक्कमणे, बीयक्कमणे,
हरियक्कमणे, ओसा-उतिंग-पणग-दग-मझी-
मक्कडासंताणा-संकमणे ।**

**जे मे जीवा विराहिया,
एग्निदिया, बेझंदिया-तेझंदिया,**

चउरिंदिया, पंचिंदिया !
 अभिहया, वन्तिया, लेसिया,
 संवाइया, संघट्टिया, परियाविया,
 किलामिया, उद्विया,
 ठोणाओ ठाणां संकामिया,
 जीवियाओ ववरोविया,
 तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।

अर्थ : हे भगवन् ! इच्छा-पूर्वक आज्ञा दोजिये, ताकि मैं ऐर्य-पथिकी अधति् गमनागमन की क्रिया का प्रतिक्रमण करूँ [गुरु की ओर से आज्ञा मिल जाने पर, अथवा गुरु न हों, तो अपने संकल्प से ही आज्ञा पा कर श्रावक को कहना चाहिए] आज्ञा स्वीकार है ।

आते जाते मार्ग में अथवा श्रावक का धर्मचार पालने में, जो कुछ भी [जीवों की] विराधना हो गई हो, तो उस पाप से प्रतिक्रमण चाहता है=निवृत्त होना चाहता है ।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करते हुए किसी जीव को पैरों से नीचे दबाने से, इसी प्रकार सचित्त बीज, हरितकाय=वनस्पति, अवश्याय=आकाश से पड़ने वालों ओस , उत्तिग=चीटियों के बिल, पनग=पाँच वर्ण की शैवाल—काई, दक=सचित्त जल, सचित्त मिट्टी और मकड़ी के जालों को दबाने से ।

[किन जीवों की विराधना को हो ?]

इन जीवों की मैने विराधना की हो; जैसे की एकेन्द्रिय = एक स्पर्श इन्द्रिय वाले पृथिवी आदि पाँच स्थावर; द्विन्द्रिय = दो स्पर्शन और रसन इन्द्रिय वाले कीड़े आदि; त्रीन्द्रिय = तीन स्पर्शन, रसन, ध्राण इन्द्रिय वाले जूँ कीड़ी आदि; चतुरिन्द्रिय = चार स्पर्शन, रसन, ध्राण चक्षु इन्द्रिय वाले मक्खी, मच्छर आदि; पञ्चेन्द्रिय = पाँच स्पर्शन-त्वचा, रसन = जिह्वा ध्राण = नाक, चक्षु = आँख, श्रोत्र = कान इन्द्रिय वाले सर्व मैंठक आदि ।

[किस तरह की पीड़ा दी हो ?]

सामने आते पैरों से मसले हों, धूल या कीचड़ आदि से ढंके हों, भूमि पर रगड़े हों, एक दूसरे से आपस में टकराए हों, छू कर पीड़ित किये हों, परितापित = दुःखित किये हों, मरण-तुल्य किये हों, भयभीत किये हों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदले हों, किं बहुना, प्राणरहित भी किये हों, तो मेरा वह सब पाप मिथ्या निष्फल हो ।

च्यास्त्र्या :

जैनधर्म में विवेक का बहुत महत्व है। प्रत्येक क्रिया में विवेक रखना, यतन करना श्रमण, एवं श्रावक दोनों साधकों के लिए आवश्यक है। जो भी काम करना हो, सोच-विचार कर, देख-भाल कर, यतना के साथ करना चाहिए। पाप का मूल प्रमाद है, अविवेक है। साधक के जीवन में विवेक के प्रकाश का बड़ा महत्व है।

‘आलोचना-सूत्र’ विवेक और यतना के संकल्पों का जीता-जागता

चित्र है। आवश्यक कार्य के लिए कहीं इधर-उधर आना-जाना आदि कार्य हुआ हो, तब यतना का ध्यान रखते हुए भी यदि कहीं प्रमाद-वश किसी जीव को पीड़ा पहुँची हो, तो उसके लिये इस पाठ में पश्चात्ताप किया गया है। जैनधर्म का साधक जरा-जरा-सी भूलों के लिये भी पश्चात्ताप करता है और हृदय को निष्पाप बनाने का प्रयत्न निरन्तर करता रहता है।

प्रस्तुत पाठ के द्वारा आत्म-विशुद्धि का मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार कपड़े में लगा हुआ मैल खार और साबुन से साफ़ किया जाता है, उसी प्रकार गमनागमनादि क्रिया करते समय अशुभ योग आदि के कारण अपने विशुद्ध समय-धर्म में किसी भी प्रकार का कुछ भी पाप-मल-लगा हो, तो वह सब पाप प्रस्तुत पाठ में चिन्तन से साफ़ किया जाता है। आलोचना के द्वारा अपने संयम-धर्म को पुनः स्वच्छ, शुद्ध और साफ़ बनाया जाता है।

: ६ :

उत्तरीकरण सूत्र

मूलः तस्स उत्तरीकरणेणं,

पायच्छित्ता-करणेणं,

विसोहि-करणेणं,

विसल्ली-करणेणं

पावाणं कम्माणं निघायणाद्वाए ,

ठामि काउस्सग्गं,

अर्थः : उस [व्रत या आत्मा की] विशेष शुद्धि करने के लिए, [गुरुदेव के समीप] प्रायश्चित्त करने के लिए,

[आत्मा की] विशेष निर्मलता के लिए,
 [आत्मा को] शल्य यानि माया से रहित करने के लिए
 पाप-कर्मों का मूलोच्छेद = सर्वनाश करने के लिए,
 मैं कायोत्सर्ग करता हूँ = शरीर की क्रिया का त्याग
 करता हूँ ।

छ्याख्या :

यह उत्तरीकरण-सूत्र है । इस में कायोत्सर्ग का संकल्प किया जाता है । जो वस्तु एक बार मलिन हो जाती है, वह एक बार के प्रयत्न से ही शुद्ध नहीं हो जाती । उसकी विशुद्धि के लिए बार-बार प्रयत्न करना होता है ।

यह कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा का सूत्र है । कायोत्सर्ग में दो शब्द हैं—
 काय और उत्सर्ग । काय अर्थात् शरीर का, उत्सर्ग अर्थात्-त्याग । अभिप्राय यह हैं, कि कायोत्सर्ग करते समय साधक अपने शरीर की ममता छोड़ कर आत्म-भाव में प्रवेश करता है । कायोत्सर्ग में शरीर की चञ्चलता के साथ-साथ मन और वचन की चञ्चलता का भी त्याग होना चाहिए ।

स्वीकृति व्रत की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त आवश्यक है । वह भाव-शुद्धि से होता है । वह भाव-शुद्धि शल्य के त्याग बिना नहीं हो सकती । और शल्य-त्याग के लिए ही कायोत्सर्ग किया जाता है ।

: ७ :

आगार-सूत्र

मूल : अन्नत्थ ऊससिएणं,
 नीससिएणं,
 खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड्डुएणं,

वाय-निसग्गेणां,
 भमलीए, पित्तमूच्छाए ।
 सहुमेहिं अंग-संचालेहिं,
 सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं
 सुहुमेहिं दिड्हि-संचालेहिं,
 एवमाइएहिं आगरेहिं,
 अभग्गो, अविराहिओ,
 हुज्ज मे काउस्सग्गो ।
 जाव अरिहंताणां, भगवंताणां,
 नमोक्कारेणां, न पारेमि;
 ताव कायं
 ठारेणां, मोरोणां, झारेणां,
 अप्पाणां वोसिरामि ।

अर्थ : [कायोत्सर्ग में काय के व्यापारों का परित्वाग करता है ।
 परन्तु जो शारीरिक क्रियाएँ स्वामावतः हरकत में आ
 जाती हैं] उनको छोड़कर ।

[कौन-सी क्रियाओं का आगार=छूट है ?]

उच्छ्वास=ऊंचे श्वास से, निःश्वास=नीचे श्वास से,
 खांसी से, छींक से, उवासी से, डकार से, वातनिसर्ग=
 अपान वायु से, अन्ति=चक्रर से, पित्त-मूच्छा=पित्त
 के प्रकोप से होने वाली मूच्छा से
 सूक्ष्मरूप से अंगों के संचार=हिलने से;
 सूक्ष्मरूप से थूक या कफ के निकलने से;

सूक्ष्म रूप से दृष्टि = नेत्र के पड़क जाने से;
 [पूर्वोक्त आगारों यानि छूटों के सिवा अग्नि आदि का उपद्रव होने पर भी जगह बदलने की छूट है, अतः] इत्यादि और भी आगारों से मेरा कायोत्सर्ग अखण्डित तथा अविराधित होते ।

[कायोत्सर्ग कव तक है ?]

जब तक अरिहन्त भगवान् को प्रकटरूप से नमस्कार करके अर्थात् 'नमः अस्त्वित्वाणं' पढ़ कर कायोत्सर्ग न पार लूँ ।

तब तक एक स्थान पर शरीर से स्थिर हो कर, वचन से मौन रख कर मन से धर्म-ध्यान में एकाग्रता ला कर, अपने आप को पाप-व्यापारों से बोसराता हूँ = अलग करता हूँ

व्याख्या :

यह आगार-सूत्र है । साधक- जीवन में निवृत्ति आवश्यक है, किन्तु उसकी भी एक सीमा है । कायोत्सर्ग में शरीर की क्रियाओं को रोकने का प्रयत्न है, फिर भी शरीर के कुछ व्यापार ऐसे हैं, जो बराबर होते रहते हैं । उनको किसी भी प्रकार से बन्द नहीं किया जा सकता । यदि हठात् बन्द करने का प्रयत्न होता है, तो उसमें लाभ की अपेक्षा हानि की सम्भावना अधिक रहती है ।

अतः कायोत्सर्ग से पहले यदि उन व्यापारों के सम्बन्ध में छूट न रखी जाय, तो फिर कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा का भङ्ग होता है । इसी बात को ध्यान में रख कर सूत्रकार ने प्रस्तुत आगार-सूत्र का निर्माण किया है । कायोत्सर्ग से पूर्व ही कुछ छूट रख लेने के कारण प्रतिज्ञा-भङ्ग का दोष नहीं लगता । इसी तथ्य को समझने के लिए आगार-सूत्र है ।

: ८ :

चतुर्विंशतिस्ततव-सूत्र

मूल :

लोगस्य उज्जोयगरे,
 धर्म-तित्थयरे जिणे ।
 अरिहंते कित्तइसरं,
 चउवीसं पि केवली ॥१॥
 उसभमजियं च वंदे,
 संभवमभिण्दणं च सुभइं च ।
 पउमप्पहं सुपासं,
 जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥
 सुविहिं च पुष्फदंतं,
 सीअल-सिजंस-वासुपुज्जं च ।
 विमलमणांतं च जिणा,
 धर्मं सति च वंदामि ॥३॥
 कुंथुं अर च मल्लिं,
 वंदे मुणिसुच्चयं नमि-जिणं च ।
 वंदामि रिहुनेमि,
 पासं तह वद्धमार्णा च ॥४॥
 एवं मए अभिथुआ,
 विहूय-रयमला, पहीणाजरमरणा ।

चउबीस पि जिण-वरा,
 तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥
 किन्चिय-वंदिय-महिया,
 जे ए लोगस्स उच्चमा सिद्धा ।
 आरुण्ग-बोहिलाभं,
 समाहिवरमुच्चामं दितु ॥६॥
 चंदेसु निम्मलयरा,
 आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।
 सागर-वर-गंभीरा,
 सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥

अर्थ : लोक=संसार में धर्म का उद्घोत=प्रकाश करने वाले धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले, [रागद्वेष के] जीतने वाले, [कर्मरूपी] शत्रुओं के नाश करने वाले, केवल ज्ञानी चौबीस तीर्थङ्करों का में कीर्तन=स्तवन करूँगा ॥१॥

ऋषभदेव तथा अजितनाथ को वन्दना करता हूँ, संभवनाथ, अभिनन्दन, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वनाथ, और रागद्वेष के जीतने वाले चन्द्रप्रभ भगवान् को भी वन्दना करता हूँ ॥२॥

सुविधिनाथ=पुष्पदन्त, शोतल, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, रागद्वेष के विजेता अनन्तनाथ, धर्मनाथ, तथैव शान्तिनाथ भगवान को वन्दना करता हूँ ॥३॥

कुन्थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, एवं राग-द्वेष के विजेता नमिनाथ को वन्दना करता है। इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि, पाश्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी को भी वन्दना करता है ॥४॥

जिनकी मैंने इस भाँति स्तुति की है, जिन्होंने कर्मरूपी रज तथा मल को दूर कर दिया है, जो जरा-मरण से सर्वथा रहित हो गए हैं, वे राग-द्वेष के जीतने वाले जिनवर चौबीस तीर्थङ्कर मुझ पर प्रसन्न हों ॥५॥

जिनकी इन्द्रादि देवों ने स्तुति की है, वन्दना की है, उपासना की है, और जो अखिल संसार में सब से उत्तम हैं, वे सिद्ध भगवान् मुझे आरोग्य, सम्यग्बोधि, तथा उत्तम समाधि प्रदान करें ॥६॥

जो अनेक चन्द्रमाओं से भी अधिक निर्मल हैं, जो अनेक सूर्यों से अधिक प्रकाश करने वाले हैं, जो महासागर के समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धि अर्थात् मुक्ति प्रदान करें ॥७॥

व्याख्या :

यह चतुर्विंशति-स्तव-सूत्र है। भक्ति-साहित्य में यह एक अनूठी रचना है। इस के प्रत्येक शब्द में भक्तिभाव का अखण्ड स्रोत्र प्रवाहित हो रहा है।

दिव्यपूरुषों का स्मरण मन को पवित्र बनाता है। दिव्य आत्मा के ध्यान से मन भी दिव्य बन जाता है।

प्रस्तुत पाठ में भगवान् ऋषभदेव से ले कर भगवान् महाबीर तक चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति की गई है, वे हमारे इष्टदेव हैं; अहिंसा और सत्य का मार्ग बताने वाले हैं, वे हमारे परम देव हैं। उनका स्मरण

करना, उनका उत्कीर्तन करना और उनका जप करना, हम सबका ही कर्तव्य है ।

भगवान् का ध्यान करने से, भगवान् के नाम का जनकरने से और उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने से जीवन दिव्य बनता है ।

: ६ :

सामाजिक सूत्र

मूल : करेमि भंते ! समाइयं.

सावज्जं जोगं पच्चक्खामि ।

जावनियमं पञ्जुवासामि,

दुविहं तिविहेणं,

मणीणं-वायाए, काएणं,

न करेमि, न कारवेमि,

तस्स भंते !

पडिक्ककामि, निंदामि, गरिहामि,

अप्पाणं वोसिरामि !

अर्थ : हे भगवन् ! मैं सामाजिक (ग्रहण) करता हूँ,
समस्त पाप-क्रियाओं का परित्याग करता हूँ ।

१. जावनियमं के अंगे जितनी सामाजिक करनी हों, उतने ही मुहूर्त कहने चाहिए, जैसे— जावनियम मुहूर्त एक, मूहूर्त दो आदि ।

जब तक मैं नियम से स्थित रह कर पर्युपासना करूँ, तब तक दो करण [करना, कराना, चाहिए।] और तीन योग से अर्थात् मन, वचन, और काय से (पापकर्म) न स्वयं करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा।

[जो पाप-कर्म पहले हो गए हैं, उनका] हे भगवान् ! प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से निन्दा करता हूँ, गुरुदेव ! आप की साक्षी से गहरी करजा हूँ।

अन्त में, मैं अपनी अन्तरात्मा को पाप-व्यापार से बोसराता हूँ=अलग करता हूँ।

च्याख्या :

यह प्रतिज्ञा-सूत्र है। इसमें साधक सामयिक करने की प्रतिज्ञा करता है।

सामायिक एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है। व्यायाम भले ही थीड़ी देर के लिए हो, दो घड़ी के लिए ही हो, परन्तु उसका प्रभाव और लाभ स्थायी होता है।

सामायिक में दो घड़ी बैठ कर आप अपना आदर्श स्थिर करते हैं। सामायिक बाह्यभाव से हट कर स्वभाव में रमण करने की कला है। सम-भाव की साधना ही सामायिक है।

प्रस्तुत पाठ में सामायिक का स्वरूप बताया गया है। जब तक जीवन में सच्ची सामायिक नहीं आती, तब तक जीवन पावन नहीं बन सकता। सामायिक की साधना ही सब से मुख्य साधना है।

: १० :

प्रणिपात—सूत्र

मूल :

नमोत्थुणं !

अरिहंताणां, भगवंताणां, आहगराणां,
 तित्थयराणां, सयं-संबुद्धाणां,
 पुरिसुत्तमाणां, पुरिस-सीहाणां,
 पुरिस-वर-पुंडरियाणां, पुरिस-वर-गंधहत्थीणां,
 लोगुत्तमाणां, लोग-नाहाणां, लोग-हियाणां,
 लोगपईवाणां, लोग-पज्जोयगराणां,
 अभयदयाणां, चकखुदयाणां मग्गदयाणां;
 सरणदयाणां, जीवदयाणां, बोहिदयाणां;
 धम्मदयाणां धम्मदेसयाणां, धम्मनायगाणां
 धस्मसारहीणां, धम्मवरचाउरंत-चक्कवटीणां;
 दीव-ताण-सरण-गइ-पइडोणां,
 अप्पडिहय-वर-नाण-दंसण-धराणां, वियदुछ्छउमाणां
 जिणाणां जावयाणां तिरणाणां, तारयाणां
 बुद्धाणां, बोहयाणां, मुत्ताणां, मोयगाणां;
 सच्चन्नुणां, सच्च-दरिसीणां,

सिवमयलमरुयमण्ठमकखयमव्वावाह—,
मपुणरावित्ति-सिद्धिगइ नामधेयं ठारा^१
संपत्ताणं,
नमो जिणाणं जिय-भयाणं

अर्थ : नमस्कार ही अरिहंत भगवान को, [अरिहंत भगवान् कैसे हैं ?] धर्म की आदि करने वाले हैं, धर्मतीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, अपने आप ही प्रबुद्ध हुए हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, पुरुषों में सिंह हैं, पुरुषों में पुण्डरीक कमल हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती हैं, लोक में उत्तम हैं, लोक के नाथ हैं, लोक के हित-कर्ता हैं, लोक में दीपक के समान हैं, लोक में धर्म का उदयोत करने वाले हैं।

अभयदान देने वाले हैं, ज्ञान-नेत्र के देने वाले हैं, धर्ममार्ग के देने वाले अर्थात् बताने वाले हैं, शरण के देने वाले हैं, संयमजीवन के देने वाले हैं बोधि=सम्यक्त्व के देने वाले हैं।

धर्म के दाता हैं, धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म-रथ के सारथी हैं, चार गति के अन्त करने वाले श्रेष्ठ धर्मचक्रवर्ती हैं,

संसारसमुद्र में द्वीप=टापू हैं, शरण हैं, गति हैं, प्रतिष्ठा है, अप्रतिहत अर्थात् किसी भी आवरण से अवरुद्ध न हो सकें—ऐसे श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवल-दर्शन के

१. अरिहंत की स्तुति में 'ठाणं संपत्ताणं' के स्थान पर 'ठाणं संपादितं-कामाणं' कहना चाहिए।

धारण करने वाले हैं, मोहनीयप्रमुख धातिकर्म से तथा प्रमाद से रहित हैं,

स्वयं राग-द्वेष के जीतने वाले हैं, दूसरों को जिताने वाले हैं, स्वयं संसार-सागर से तर गये हैं, दूसरों को तारने वाले हैं, स्वयं बोध पाए हुए हैं, दूसरों को बोध देने वाले हैं, स्वयं कर्म से मुक्त हुए हैं, दूसरों को मुक्त करने वाले हैं,

तीन काल और तीन लोक के सूक्ष्म तथा स्थल सभी पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ हैं, और इसी प्रकार सबके द्रष्टा होने से सर्वदर्शी हैं,

शिव=कल्याणरूप, अचल=स्थिर, अरुज=रोग से रहित, अनन्त=अन्तरहित, अक्षय=क्षयरहित, अव्याबाध=बाधा=पीड़ा से रहित, पुनरागमन से भी रहित 'सिद्धि-गति' नामक स्थान-विशेष अर्थात् अवस्था-विशेष को प्राप्त कर चुके हैं, [अरिहन्त के लिए 'ठाणं सपाबिडं-कामाणं' आता है, उसका अर्थ है—सिद्धि-गति नामक स्थान को भविष्य में पाने वाले हैं]

नमस्कार हो, भय के जीतने वाले, रागद्वेष के जीतने वाले जिन भगवानों को !

व्याख्या :

यह प्रणिपात-सूत्र है। इसमें अरिहन्त भगवान् की स्तुति की गई है। इस पाठ को शक्स्तव भी कहते हैं। इन्द्र ने भगवान् की इसी पाठ से स्तुति की थी।' अतः स्तुति-साहित्य में यह महत्वपूर्ण पाठ है।

'नमोऽस्थुण' के पाठ में तीर्थङ्कर भगवान् के विश्व-हितंकर निर्मल गुणों का अत्यन्त सुन्दर परिचय दिया गया है।

अरिहन्त भगवान् लोक में उत्तम हैं। लोक के नाथ हैं लोक में दीपक हैं, लोक में ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं।

अरिहन्त भगवान् धर्म के दाता हैं, धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के मेता हैं, धर्म के सारथी हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत^१ पाठ में अनेक उपमाओं द्वारा भगवान् की स्तुति की गई है।

: ११ :

समाप्ति-सूत्र

मूल : एयस्स नवमस्स सामाइय-वयस्स,
पंच अइयारा, जाणियव्वा, न समायरियव्वा,
तं जहा :—
मण्डुप्पणिहाणे,
वयदुप्पणिहाणे,
कायदुप्पणिहाणे,
सामाइयस्स सइ अकरण्या,
सामाइयस्स अणवट्टियस्स करण्या,
तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।
सामइयं सभ्मं काएण,
न फासियं, न पालियं,
न तीरियं, न किट्टियं,
न सोहियं, न आराहियं,
आणाए अणुपालियं न भवइ,
तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।

१. प्रणिपात-सूत्र आदि सामायिक के पाठों की विस्तृत व्याख्या एक विवेचन उपाध्याय श्रद्धेय अमरचन्द्रजी म० कृत सामायिक-सूत्र भाष्य में देखिए।

अर्थः प्रस्तुत नौवें सामायिक व्रत के पाँच अतिचार=दोषविशेष हैं, जो मात्र जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं। वे पाँच इस प्रकार हैं—

मन को कुमार्ग में लगाना,
वचन को कुमार्ग में लगाना,
काय को कुमार्ग में लगाना,
सामायिक की ठोक स्मृति न रखना,
सामायिक को अव्यवस्थित ढंग से करना,
उक्त दोषों के कारण मुझे जो भी दुष्कृत=पाप लगा हो,
वह सब [आलोचना के द्वारा] मिथ्या=निष्फल होवे !
सामायिकव्रत सम्यकरूप से, काया से,
न स्पर्शी हो, न पाला हो,
पूर्ण न किया हो, कीर्तन न किया हो,
शुद्ध न किया हो, आराधन न किया हो,
बीतराग की आज्ञानुसार पालन न हुआ हो, तो
तत्-सम्बन्धी मेरा सब पाप निष्फल हो ।

व्याख्या :

यह समाप्तिसूत्र है। साधक अपनी साधना में सावधानी रखता है, फिर भी उससे भूलों का होना सहज है। पर भूल का संशोधन कर लेना उसका अपना कर्तव्य है।

प्रस्तुत पाठ में सामायिक व्रत के पाँच अतिचार बताए गए हैं, जिनको जान लेना चाहिए, पर उनका आचरण नहीं करना चाहिए।

सामायिकव्रत का सम्यकरूप से ग्रहण चाहिए, सथम्क रूप से स्वर्णन चाहिए, सम्यक रूप से पालन चाहिए, तभी उसकी साधना सम्यक साधना हो सकती है।

सामायिक का लक्षण
 समता सर्व-भूतेषु,
 संयमः शुभ-भावना ।
 आर्त-रोद्र-परित्यागः,
 तद्वि सामायिकं व्रतम् ॥

सब जीवों पर सम-भाव रखना, पाँच इन्द्रियों का संयम,
 शुभ-भावना, आर्त-रोद्र ध्यान का परित्याग करना—सामायिक
 व्रत है ।

सामायिक-विशुद्धात्मा,
 सर्वथा धाति-कर्मणः ।
 क्षयात् केवलमाप्नोति
 लोकालोक-प्रकाशकम् ॥

सामायिक की साधना से विशुद्ध हो कर, यह आत्मा धाति-
 कर्मों का पूर्ण क्षय करके लोक-अलोकव्यापी केवलज्ञान को
 प्राप्त कर लेता है ।

टिप्पण—प्रस्तुत पुस्तक में सामायिक-सूत्र के सभी पाठों की व्याख्या
 संक्षेप में दी गई है । विस्तृत विवेचन, विस्तृत विश्लेषण के लिए देखिए,
 उपाध्याय श्रद्धेय अमरचन्द्रजी म० कृत समाध्य सामायिक-सूत्र ।

सामायिक का स्वरूप

**जो समोसव्वभूएसु
तसेसु थावरेसु य ।
तस्स सामाइयं होइ,
इइ केवलि-भासियं ॥**
—आचार्य भद्रबाहु

जो साधक त्रस और स्थावर—समग्र जीवों पर सम-भाव रखता है, उस की सामायिक, शुद्ध सामायिक है । ऐसा केवली भगवान् ने कहा है ।

सामायिक-सूत्र

परिशिष्ट

परिशिष्ट

सामायिक करने की विधि

शान्त तथा एकान्त स्थान में भूमि का अच्छी तरह प्रमार्जन कर, श्वेत तथा शुद्ध आसन लेकर, गृहस्थ-वेष पगड़ी, पजामा, कोट आदि उतार कर शुद्ध वस्त्रधोती एवं उत्तरासन धारण कर मुख पर मुख-वस्त्रिका बाँध कर, पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके बैठ कर या खड़े हो कर सामायिक-सूत्र के पाठों को इस प्रकार से बोले—

नवकार तीन बार,

सम्यक्त्वसूत्र = अरिहंतो, तीन बार,

गुरु-गुण-स्मरणसूत्र = पंचिदिय, एकबार,

गुरु-वन्दन सूत्र = तिक्खुतो तीन बार,

[वन्दन कर आलोचना की आज्ञा लेना]

आलोचनासूत्र = इरियावही, एक बार,

उत्तरीकरणसूत्र = तस्स उत्तरी, एक बार-

आगारसूत्र = अन्नत्थ, एक बार,

[पद्मासन आदि से बैठ कर या खड़े होकर] कायोत्सर्ग = ध्यान करना।

[कायोत्सर्ग = ध्यान में] लोगस्स, एक बार,

नमो अरिहंताण, पढ़ कर ध्यान खोलना,

गुरुवन्दनसूत्र = तिक्खुतो तीन बार,

[गुरु से, वे न हों, तो भगवान् की साक्षी से सामायिक की आज्ञा लेना]

१. इरियावही का ध्यान भी करते हैं।

सामायिक प्रतिज्ञासूत्र = करेमि भंते, एक बार,
 [दाहिना घुटना जमीन पर टेक कर, बांया घुटना खड़ा कर
 उस पर अंजलि-बद्ध दोनों हाथ रख कर]
 प्रणिपात सूत्र = नमोत्थुणं, दो बार पढ़े,
 दो नमोत्थुणं में पहला सिद्धों का, दूसरा अरिहंतों का है।
 अरिहंतों के नमोत्थुणं में 'ठाणं संपत्ताण' के बदले 'ठाणं
 'संपाविउं कामाण' पढ़ना चाहिए।
 ४८ मिनट तक अर्थात् सामायिक के काल में स्वाध्याय,
 धर्मचर्चा, एवं आत्म-ध्यान करना चाहिए।

सामायिक पारने की विधि

गुरु-वन्दन-सूत्र = तिक्खुत्तो तीन बार,
 आलोचना-सूत्र = इरियावही, एक बार,
 उत्तरीकरण सूत्र = तस्स उत्तरी, एक बार,
 आगार-सूत्र = अन्नत्य, एक बार,
 [पद्मासन आदि से बैठ कर या खड़े हो कर कायोत्सर्ग करना]
 कायोत्सर्ग में लोगस्स एक बार,
 नमो अरिहंताणं पढ़ कर ध्यान खोलना,
 प्रकटरूप से लोगस्स एक बार,
 [दाहिना घुटना टेक कर बांया घुटना खड़ा कर, उस पर
 अंजलि-बद्ध दोनों हाथ रख कर]
 प्रणिपातसूत्र = नमोत्थुणं दो बार,
 सामायिक-समाप्तिसूत्र = एयस्स० एक बार,
 नवकार मन्त्र = ती बार।

सामायिक के बत्तीस दोष

मन के दश दोष

(१) अविवेक, (२) यश को इच्छा, (३) धन आदि का लाभ चाहना, (४) गर्व, (५) भय, (६) निदान = भोगप्राप्ति के लिए धर्म की बाजी लगा देना, (७) संशय = फल के प्रति सन्देह रखना, (८) रोष = क्रोध आदि कषाय करना, (९) अविनय और (१०) अबहुमान = भक्ति की भावना न रखना ।

बचन के दश दोष

(१) कुवचन = गन्दे बचन बोलना, (२) सहसाकार = विना विचारे यों ही ऊटपटांग बोलना, (३) असदारोपण = मिथ्या उपरेश देना या किसी पर झूठा कलंक लगाना, (४) निरपेक्ष = शास्त्र से विरुद्ध बोलना, (५) संक्षेप = सूत्रपाठ को शीघ्रता वश संक्षेप से कहना, (६) क्लेश = सामायिक में किसी से झगड़ा कर बैठना, (७) विकथा = राजा, देश, स्त्री और भोजन आदि की बातें करना, (८) हास्य = हँसी-मजाक करना, (९) अशुद्ध = सूत्र-पाठ को घटा बढ़ा कर या अशुद्ध बोलना,, (१०) मुण-मुण = कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट पढ़ना या बोलना ।

काय के बारह दोष

(१) अयोग्य आसन से बैठना, (२) बार बार आसन बदलना, (३) इधर-उधर झाँकते रहना, (४) पाप के काम करना, (५) बिना कारण दीवार आदि का सहारा लेना, (६) बिना कारण पैर पसारना, (७) आलस्य के कारण

अंगडाई आदि लेना, (८) शरीर को मटकाना (९) शरीर का मैल उतारना, (१०) गृहस्थ के सीने-पिरोने आदि के काम करना, (११) नीदलेना, (१२) हाथ-पैर आदि दबवाना । सामायिक में उक्त १२ दोषों का त्याग करना आवश्यक है ।

सामायिक की शुद्धि

द्रव्यशुद्धि : सामायिक के लिए जो भी आसन, वस्त्र, रजोहरण या पूँजनी, माला, मुख्यस्त्रिका, पुस्तिका आदि साधन हैं, वे सब शुद्ध एवं साफ होने चाहिये ।

क्षेत्रशुद्धि : क्षेत्र का अर्थ स्थान है । अतः जिस स्थान पर बैठने से चित्त में चंचलता आती हो, स्त्री-पुरुषों के अधिक यातायात के पवित्र विचार-धारा दूटती हो, विषय-विकार उत्पन्न करने वाले शब्द तथा दृश्य होते हों, किसी प्रकार के क्लेश की संभावना हो, ऐसे ऐसे स्थान पर सामायिक नहीं करनी चाहिये । सामायिक का स्थान एकान्त तथा शान्त ही ।

कालशुद्धि : सामायिक का काल ऐसा हो, जब कि गृहस्थी की ज्ञानटे न सत्ताएं, चित्त खिन्न न हो, दूसरों के मन में तथा अपने मन में शीघ्रता, घबराहट या अरुचि न हो । इसके लिए प्रातःकाल और सायंकाल का समय ठीक है । स्थिर-चित्त का साधक कभी भी कर सकता है ।

भावशुद्धि : भावशुद्धि से अभिप्राय है—मन, वचन और शरीर की शुद्धि । मन, वचन एवं शरीर की शुद्धि का अर्थ है—इनकी एकाग्रता । जब तक मन, वचन और शरीर की एकाग्रता न हो, चंचलता न रुके, तब तक बाह्य विधि-विधान जीवन में विकाश नहीं ला सकते ।

आवक प्रतिक्रमण-सूत्र



उपक्रम

प्रतिक्रमण की परिभाषा

स्वस्थानाद् यत् पर-स्थानं,
प्रमादस्य वशाद् गतः ।
तत्रैव क्रमणं भूयः ;
प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

प्रमाद-वश शुद्धपरिणतिरूप आत्म-भाव से गिर कर (हट कर) अशुद्धपरिणतिरूप पर भाव को प्राप्त करने के बाद, फिर से आत्म-भाव को प्राप्त करना, प्रतिक्रमण है ।

: १ :

उपक्रम सूत्र

मूल : आवस्सही,

इच्छाकारेण संदिसह भगवं !
देवसियं पठिक्कमणं ठाएमि ।
देवसिय-नाण-दंसण-
चरित्ताऽचरित्त-तव-
अइयार-चितणत्थं
करेमि, काउसगगं ।

अर्थ : अवश्यमेव (आवश्यक कार्य है)

इच्छापूर्वक (प्रतिक्रमण करने की)
आज्ञा दीजिा,
हे भगवान !

दिवस-सम्बन्धो प्रतिक्रमण करता हूँ ।
दिवस सम्बन्धी ज्ञान और दर्शन,
चारित्र-अचारित्र (संयमाऽसंयम),
अनशन आदि द्वादशविधि तप,
(इस भांति स्वीकृत आचार) के दूषणों का,
चिन्तन (स्मरण) करने के लिए,
कायेत्तर्ग, (शरीर के ममत्वभाव का त्याग)
करता हूँ ।

साधक गुरु के समक्ष उपस्थित हो कर कहता है—“भते ! आप आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे मैं दिवस-सम्बन्धी प्रतिक्रमण करके दिवस-सम्बन्धी ज्ञान, दर्शन, चारित्राचारित्र (देश चारित्र) और तप के अतिचारों का चिन्तन करने के लिए कायोत्सर्ग करूँ ।”

प्रस्तुत पाठ में यह कहा है, कि साधक को अपनी साधना में जागृत रहना चाहिए । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना में भूल-चूक से जो अतिचार अर्थात् दोष लग जाते हैं, उनका एकाग्र-भाव से चिन्तन करना चाहिए, विचार करना चाहिए । संध्याकाल में दिन के अतिचारों का और प्रातःकाल में रात के अतिचारों का चिन्तन करना चाहिए ।

: २ :

संक्षिप्त प्रतिक्रमण सूत्र

मूल : इच्छामि पडिक्कमिउं,
 जो मे देवसिओ अइयारो कओ,
 काइओ, वाइओ, माणसिओ,
 उसुत्तो, उम्मग्गो,
 अकप्पो, अकरणिज्जो,
 दुजभाओ दुच्चिंतिओ,
 अणायारो,
 अणिच्छ्यच्चो, असावग-पाउग्गो,
 नाणे तह दंसणे, चरित्ताचरित्ते,

सुण, सामाइण,
 तिएहं गुत्तीणं, चउएहं कसायाणं,
 तिएहं गुणव्वयाणं,
 चउएहं सिक्खावयाणं,
 बारसविहस्स सावग-धम्मस्स
 जं खंडियं, जं विराहियं,
 तस्य मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ : इच्छा करता हूँ, प्रतिक्रमण करने की,
 जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किया हो,
 काय का, वचन का, मन का,
 उत्सूत्र (सूत्र के विरुद्ध) मार्ग के विरुद्ध (बोतराग
 मार्ग के विपरीत)
 कल्प (आचार) विरुद्ध, अकरणीय (जो करने योग्य
 न हो) दुर्धानिरूप, दुश्चिन्तनरूप
 अनाचाररूप,
 अनिच्छितरूप, जो श्रावक के योग्य न हो,
 ज्ञान में तथा दर्शन में, संयमासंयम में,
 श्रुत (ज्ञान) मैं, सामायिक-त्रत मैं,
 तीन गुप्तियों की, चार कषायों की
 पांच अण्ड्रतों की,
 तीन गुण-त्रतों की,
 चार शिक्षाव्रतों की,
 (इस प्रकार) द्वादश प्रकार के श्रावकधर्म की,

जो खण्डना की हो, जो विराधना की हो,
उसका, पाप मुझ को मिथ्या हो ।

व्याख्या :

मनुष्य देव भी है, और राक्षस भी । वह सदाचार के मार्ग पर चले, तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, और यदि वह दुराचार के कुमारं पर चले तो अपना पतन भी कर सकता है । मनुष्य के पास तीन शक्तियाँ हैं—मन, वचन और काय । प्रस्तुत पाठ में इन्हीं तीनों शक्तियों से दिन-रात में होनी वाली भूलों का परिमार्जन किया जाता है और भविष्य में अधिक साक्षात् रहने की सुदृढ़ धारणा बनाई जाती है ।

यह प्रतिक्रमण का सामान्य-सूत्र है । इसमें आचार-विचार-सम्बन्धी भूलों का प्रतिक्रमण किया जाता है । उक्त पाठ में कहा गया है, कि—

‘मैं स्थिरचित्त होकर कायोत्सर्ग करने की इच्छा करता हूँ । मैंने मन, वचन, काय से जो कोई अतिचार किया, सूत्र-विरुद्ध भाषण किया धर्म के प्रतिकूल आचरण किया, न करने योग्य काम लिया, आर्त-ध्यान एवं रौद्र-ध्यान, किया, मेरे मन में अशुभ विचार पैदा हुए, स्वीकृत नियमों का भंग किया, अयोग्य बस्तु की अभिलाषा की, श्रावक-धर्म के विपरीत आचरण किया, ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र की साधना में मन, वचन, और काय को स्थिर न रखा, क्रोध, मान, माया एवं लोभ—इन चार कषायों का दमन न किया ।

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत—श्रावक के इन बारह व्रतों की एक देश से खण्डना की हो, सर्व देश से विराधना की हो, उक्त दोषों में से किसी भी दोष का सेवन किया हो, तो वह मेरा दोष दूर हो ।’

आवक प्रतिक्रमण-सूत्र



अतिचार की आलोचना

व्रत के दूषण

व्रत के चार दूषण होते हैं—अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार।

किसी भी स्वीकृत व्रत तोड़ने का संकल्प करना, अतिक्रम है। तोड़ने के साधन जुटाना, तैयार करना, व्यतिक्रम है। व्रत को एक देश से, एक अंश से खण्डित करना, अतिचार है। व्रत को सर्वदेश से, पूर्णरूप से भंग करना, अनाचार है।

: ३ :

ज्ञानातिचार

मूल : आगमे तिविहे परणन्ते । तंजहा-सुचागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे । एयस्स सिरिनाणस्स जो मे अइयारो कओ, तं आलोएमि ।
 जं वाइङ्दं, वच्चामेलियं, हीणकखरं, अच्चकखरं पय-हीणं, विण्य-हीणं, जोग-हीणं, घोस-हीण, सुडु दिन्मं, दुद्धु पडिच्छियं ।
 अकाले कओ सजभाओ, काले न कओ सजभाओ, असजभाए सजभाइयं, सजभाए न सजभाइयं ।
 जो मे देवसियो अइयारो कओ, तस्य मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ :

आगम तीन प्रकार का कहा है । जंसे कि, शब्दरूप आगम, अर्थरूप आगम, उभयरूप आगम । इस ज्ञान का जो मैंने अतिचार किया हो, तो उस की मैं आलोचना करता हूँ ।

सूत्र को उलट-पलट कर पढ़ा हो, अन्य सूत्रों का पाठ अन्य सूत्रों से मिलाया हो, हीन-अक्षरयुक्त पाठ किया हो, अधिक-अक्षरयुक्त पाठ किया हो, पद-हीन पढ़ा हो, विनयरहित पाठ किया हो, योग-हीन पढ़ा हो, उदात्त भादि स्वररहित पढ़ा हो, पात्र-कुपात्र

का विचार लिए बिना पढ़ाया हो, दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो ।

अकाल में स्वाध्याय किया हो, काल में स्वाध्याय न किया हो, अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, स्वाध्यायकाल में स्वाध्याय न किया हो ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किया हो, तो उस का पाप मेरे लिए मिथ्या हो ।

व्याख्या :

जैनधर्म में श्रुत (ज्ञान) को भी धर्म कहा है । बिना श्रुत-ज्ञान के चरित्र कैसा ? श्रुत तो साधक के लिए तीसरा नेत्र है, जिसके बिना जीव शिव बन ही नहीं सकता । साधक को आगम-चक्षु कहा गया है ।

श्रुत की, आगम की आशातना साधक के लिए अत्यन्त भयावह है । जो श्रुत की अवहेलना करता है, वह साधना की अवहेलना करता है, धर्म की अवहेलना करता है । श्रुत के लिए अत्यन्त श्रद्धा रखनी चाहिए । उसके लिए किसी प्रकार की अवहेलना का भाव रखना धातक है ।

प्रस्तुत पाठ में कहा गया है, कि—“मैंने शब्दरूप, अर्थ-रूप एवं उभयरूप—तीनों प्रकार के आगम-ज्ञान के विषय में जो किसी प्रकार का अतिचार किया हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ ।

प्रस्तुत पाठ में ज्ञान के चौदह अतिचार बताए गए हैं । जैसे-सूत्र को उलट-पलट कर पढ़ना, अ-य सूत्रों का पाठ अन्य-सूत्रों में मिला कर पढ़ना, हीन अथवा अधिक अक्षर पढ़ना, विनयरहित हो कर पढ़ना, उदात्त आदि स्वररहित पढ़ना, पात्र-अपात्र का विचार किए बिना

स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय न करना, मृतक कलेवर आदि से युक्त अशुचि स्थान में स्वाध्याय करना और स्वाध्याय के योग्य शुचि-स्थान में प्रमादवश स्वाध्याय न करना आदि ज्ञान के चौदह अतिचारों का वर्णन इस में किया गया है।

: ४ :

दर्शनातिचार

दर्शन सम्यक्त्व-रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ—

१. जिन-त्रचन^१ में शङ्खा की हों,
 २. पर-दर्शन^२ की इच्छा की हो,
 ३. कर्म-फल^३ के विषय में सन्देह किया हो,
 ४. पर-पाखण्डी की प्रशंसा की हो,
 ५. पर-पाखण्डी का संस्तव (परिचय) किया हो,
- जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा मि दुकड़ं।

: ५ :

प्रथम अहिंसा-अणुव्रत के अतिचार

प्रथम—स्थूल प्राणातिपात-विरमणव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ—

१. क्रोधादि-त्रश त्रस जीवों को गाढ़े बन्धन से बाँधा हो,
२. गाढ़ा घाव किया हो,

१. जिनभाषित तत्त्व में,

३. अंगोपांगों का छेदन-भेदन किया हो,
 ४. प्रमाण से अधिक भार लादा हो,
 ५. भक्त-पान¹ का विच्छेद किया हो’
 जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा
 मि दुक्कड़ं ।

: ६ :

द्वितीय सत्य-अणुव्रत के अतिचार

द्वितीय—स्थूल मृषावाद-विरमणव्रत के विषय में जो
 कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हुँ,

१. किसी को झूठा कलंक दिया हो,
२. किसी का रहस्य प्रकट किया हो,
३. स्त्री-पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो,
४. किसी को मिथ्या उपदेश दिया हो,
५. कूट लेख लिखा हो,

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा
 मि दुक्कड़ं ।

: ७ :

तृतीय अस्तेय-अणुव्रत के अतिचार

तृतीय—स्थूल अदत्तादान-विरमणव्रत के विषय में जो
 कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हुँ -

१. चोर की चुराई वस्तु ली हो,
२. चोर को सहायता दी हो,

३. भोजन-पानी ।

३. राज्य^१-विरुद्ध काम किया हो ।
४. झूठा तोल, झूठा माप किया हो,
५. वस्तु में मेल-संभेल^२ किया हो,
जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा-
मि दुक्कड़ ।

: ८ .

चतुर्थ ब्रह्मचर्य-अणुव्रत के अतिचार

चतुर्थ—स्थूल मैथुन-विरमण-व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ—

१. इत्वरिक परिगृहीता से गमन किया हो,
२. अपरिगृहीता से गमन किया हो,
३. अनञ्जक्रीडा की हो,
४. पर-विवाह कराया हो,
५. काम-भोग की तीव्र अभिलाषा की हो,
जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा-
मि दुक्कड़ ।

: ९ :

पंचम अपरिग्रह-अणुव्रत के अतिचार

पंचम—स्थूल परिग्रह-परिमाणव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ :—

१. खेत, घर आदि के परिमाण का अतिक्रमण किया हो
 २. हिरण्य^३सुवर्ण के परिमाण का अतिक्रमण किया हो,
-
१. विरोधी राज्य में व्यापार आदि के लिए प्रवेश किया हो ।

३. धन-धान्य के पारमाण का अतिक्रमण किया हो,
 ४. द्विपद-चतुष्पद के परिमाण का अतिक्रमण किया हो,
 ५. कुप्य^२ के परिमाण का अतिक्रमण किया हो,
- जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

: १० :

षष्ठ दिशा-परिमाण-व्रत के अतिचार

षष्ठ—दिशा-परिमाण-विरमणव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ :—

१. ऊर्ध्वदिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो,
२. अधोदिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो,
३. तिर्यक्^३ दिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो
४. क्षेत्र-वृद्धि की हो,
५. क्षेत्र-परिमाण के विस्मृत हो जाने से, क्षेत्रपरिमाण का अतिक्रमण किया हो,

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा मिदुक्कड़ ।

: ११ :

सप्तम उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत के अतिचार

सप्तम—उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ :—

-
१. द्विपद = दास-दासी, चतुष्पद = गाय आदि पशु,
 २. बरतन आदि घर की सामग्री,
 ३. प्रवं, पश्चिम आदि तिरछी दिशा ।

२. सचित्त^१-प्रतिबद्ध का आहार किया हो,
 ३. अपक्व का आहार किया हो,
 ४. दुष्पक्व का आहार किया हो,
 ५. तुच्छ^२-औषधि का आहार किया हो,
- जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हो, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।

: १२ :

पञ्चदश कर्मदान

पञ्चदश—कर्मदान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ :—
डंगाल-कम्मे, वण-कम्मे, साड़ी-कम्मे भाड़ी-कम्मे, फोड़ी-कम्मे ।

दंत-वाणिड्जे, लक्ख-वाणिड्जे, रस-वाणिड्जे' के स-वाणिड्जे, विस-वाणिड्जे ।

जंतपीलणिया-कम्मे, निलंच्छणिया-कम्मे, दवगिग-दावणिया-कम्मे, सर-दह-तालाव-सोसणिया-कम्मे, असइजण-पोसणिया-कम्मे ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।

१. सचित्त-संयुक्त,
२. बड़, पीपल आदि के असार फल अथवा जिनमें डालने योग्य भाग अधिक हो, वे फल ।

: १३ :

अष्टम अनर्थदण्ड-विरमणव्रत के अतिचार

अष्टम अनर्थ—दण्डविरमणव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ :—

१. काम-कथा की हो,
२. भाण्ड-चेष्टा की हो,
३. बिना प्रयोजन अधिक बोला हो,
४. अधिकरण जोड़ कर रखे हों,
५. उपभोग-परिभोग अधिक बढ़ाये हों,

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्य मिच्छा मि दुक्कड़ ।

: १४ :

नवम सामायिक-व्रत के अतिचार

नवम—सामायिक-व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ :—

१. मन का अशुभयोग प्रवर्तया हो,
२. वचन का अशुभयोग प्रवर्तया हो,
३. काय का अशुभयोग प्रवर्तया हो,
४. सामायिक की स्मृति न की ही,
५. सामायिक का काल पूर्ण न किया हो,

: १५ :

दशम देशावकाशिक-व्रत के अतिचार

दशम देशावकाशिक—व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ—

१. मर्यादित सीमा के बाहर की वस्तु मंगाई हो,
२. मर्यादित सीमा के बाहर की वस्तु भेजी हो,
३. शब्द करके चेताया हो,
४. रूप दिखा कर अपना भाव प्रकट किया हो,
५. कंकर आदि फैंक कर दूसरे को बुलाया हो,

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तो तस्य मिच्छामि दुक्कड़ं ।

एकादश पौष्ट्रव्रत के अतिचार

: १६ :

एकादश—पौष्ट्रव्रत के विषय मैं जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ—

१. पौष्ट्रव्रत में शय्यासंथारा की प्रतिलेखना न को हो,
२. उसकी प्रमार्जना न की हो
३. उच्चार-पासवणभूमि की प्रतिलेखना न की हो,
४. उसकी परिमार्जना न की हो,
५. पौष्ट्रव्रत का सम्यक् पालन न किया हो,

द्वादश अतिथि-संविभागब्रत के अतिचार

द्वादश अतिथि संविभागब्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसको मैं आलोचना करता हूँ—

१. सूझती वस्तु सचित्त वस्तु पर रखी हो,
२. अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु से ढँक दिया हो,
३. काल का अतिक्रमण किया हो,
४. अपनी वस्तु को दूसरे की बताया हो,
५. मत्सर-भाव से दान दिया हो,

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।

संलेखना के अतिचार

संलेखना के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ —

१. इस लोक के सुख की वाञ्छा की हो,
२. पर-लोक के सुख की वाञ्छा की हो,
३. असंयत जीवन की वाञ्छा की हो,
४. मरण की वाञ्छा की हो,
५. कामभोग की वाञ्छा की हो,

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं ।

अष्टादश पापस्थानक

अष्टादश पापस्थानक के विषय में, जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ—

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मौथुन, परिग्रह,
क्रोध, मान-माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान,
पैशुन्य, पर-परिवाद, रति-अरति, मायामृषा, मिथ्यादर्शन
शल्य

इन अष्टादश पापस्थानों में से जो कोई दिवस-सम्बन्धी पापस्थान का सेवन किया हो, कराया हो, अनुमोदन किया हो, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़।

: २० :

निन्यानवे अतिचार

चौदह ज्ञान के, पांच सम्यक्त्व के आठ, बारह व्रतों के,
पन्द्रह कर्मादान के, पांच संलेखना के, इस प्रकार निन्यानवे अतिचारों के विषय में, जो कोई दिवस-सम्बन्धी,

अतिक्रम, ब्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार,

सेवन किया हो कराया हो, अनुमोदन किया हो, तस्स मिच्छा मि दुक्कड़।

: २१ :

समग्र अतिचार-चितन

मूल : तस्स सब्बस्स, देवसियस्स अइयारस्स,
दुब्भासियस्स, दुव्विचिन्तियस्स, दुच्चिद्वियस्स
आलोयंतो पदिकमामि,

अर्थ : उस सब की, (अर्थात्) दिवस-सम्बन्धी अतिचारों की, जो दुर्वचनरूप है, बुरे संकल्परूप हैं, काय की कुचेष्टारूप है—आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ।

प्रस्तुत पाठ में, समस्त अतिचारों की आलोचना की गई है। साधक कहता है, कि मैंने अपने मन में जो बुरा चिन्तन किया, वाणी से किसी के प्रति बुरा-भला कहा, काय से खोटी चेष्टा की हो, तो उस सब पाप की मैं आलोचना करता हूँ।

प्रत्येक व्रत के अलग-अलग अतिचारों की आलोचना करने के बाद इस में समग्र-भाव से आलोचन किया गया है।

: २२ :

द्वादशावर्त गुरु-वन्दनसूत्र

मूल : इच्छामि खमा-समणो ! वंदिउं, जावणिज्जाए,
निसीहियाए ! अणुजाणह मे मिउगगहं ।
निसीहि, अहोकायं, काय-संफासं ।
खमणिज्जो भे किलामो ।
अप्पकिलंताणं बहु-सुभेण भे दिवसो वइ-
ककंतो !
जत्ता भे ! जवणिज्जं च भे !
खामेमि खमा-समणो ! देवसियं वइककमं ।

खमा-समणाणं देवसियाए, आसायणाए,
तित्तिसन्नयराए जं किं चि मिच्छाए, मण-
दुक्कडाए- वय-दुक्कडाए- काय-दुक्कडाए,
कोहाए, माणाए मायाए, लोहाए, सच्च-
कालियाए, सच्चमिच्छोवयाराए सच्च
धम्माइक्कमणाए !

जो मे (देवसियो) अङ्गारो कओ,
तम्स खमा-समणो ! पडिक्कमामि-
निंदामि- गरिहामि- अप्पाणं वोसिरामि ।

अर्थ : (वन्दना की आज्ञा) ।

हे क्षमा-श्रमण ! यथाशक्ति पापक्रिया से निबृत्त हुए शरीर से (आपको) वन्दना करना चाहता है । (अवग्रह-प्रवेश की आज्ञा अतः मुझको परिमित अवग्रह की, अर्थात् अवग्रह में कुछ सीमा तक प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए ।

(गुरु की ओर से आज्ञा होने पर, गुरु के समीप बैठ कर) अशुभक्रिया को रोक कर (आपके) चरणों का अपनी काया से—मस्तक से और हाथ से स्पर्श (करता हैं) (मेरे द्वाने से) आपको जो बाधा हुई वह क्षत्तव्य =क्षमा के योग्य है ।

(कायिक कुशल की पृच्छा) अल्प ग्लान वाले आप श्री का बहुत आनन्द से आज का दिन बीता ?)

संयम-यात्रा की पृच्छा) आपकी संयम-यात्रा (निर्बाध है ?

यापनीय की पृच्छा) और आपका शरीर, मन तथा इन्द्रियाँ पीड़ा से रहित हैं ?

(गुरु की ओर से 'एवं' कहने पर स्वापराधों की क्षमा याचना) हे क्षमाश्रमण ! (मैं) दिवससम्बन्धी अपने अपराध को खमाता हूँ, चरण-करणरूप आवश्यक किया करने में जो भी विपरीत अनुष्ठान हुआ हो, उससे निवृत्त होता हूँ !

(विशेष स्पष्टीकरण) आप क्षमा-श्रमण की दिवस-सम्बन्धिनी तत्त्वीस में से किसी भी आशातना के द्वारा (आशातना के प्रकार) जिस किसी भी मिथ्या-भाव से की हुई, दुष्ट मन से की हुई, दुष्ट वचन से की हुई, कोध से की हुई, मान से की हुई, माया से की हुई, शरीर की दुश्चेष्टाओं से की हुई, लोभ से की हुई, सब काल में की हुई सब प्रकार के मिथ्या-भावों-से पूर्ण सब धर्मों को उल्लंघन करने वाली आशातना से । जो भी मैंने (दिवस में) अतिचार किया हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, विशेष निन्दा करता हूँ, आशातनाकारी अतीत आत्मा का पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ ।

१ जहाँ दिवस-सम्बन्धी प्रतिक्रमण हो, वहाँ 'देवसिओ' जहाँ राचि-

व्याख्या :

यह गुरुवन्दनसूत्र है। षट् आवश्यक में तीसरा आवश्यक वन्दन है। गुरु को विनम्रभाव से वन्दन करना और सुख-शान्ति पूछना, शिष्य का परम कर्तव्य है। साधक पर गुरु का महान् उपकार होता है, क्योंकि गुरु ही साधना-पथ का निर्देशक होता है। अरिहन्तों के बाद में गुरु ही आध्यात्मिक साम्राज्य के अधिपति हैं। गुरु को वन्दन करना, भगवान् को वन्दन करना है। प्रस्तुत पाठ में गुरुवन्दन की पद्धति का वर्णन है।

आज का मानव धर्म-कर्तव्य से शून्य होता जा रहा है। उसके जीवन में स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विनय एवं नम्रता के स्थान में अहंकार जागृत हो रहा है। आज वह पुरानी आदर्श पद्धति कहाँ है, कि गुरु के आते ही खड़ा हो जाना, सामने जाना, आसन अर्पण करना, और कुशलक्षेम पूछना। गुरु का विनय करने से तथा गुरु की सेवा करने से शास्त्र के गम्भीर ज्ञान की प्राप्ति होती है।

शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है? गुरु को वन्दन कैसे किया जाता है? कैसे उनकी सुख-शान्ति पूछी जाती है। यही वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है।


श्रावक की परिभाषा

श्रद्धालुतां श्राति श्रृणोति शासनम्,
दानं वपेदाशु वृणोति दर्शनम् ।
कृन्तत्यपुण्यानि करोति संयमं,
तं श्रावकं प्राहुरमी विचक्षणाः ॥

‘श्रावक’ शब्द में तीन अक्षर हैं—‘श्रा’ ‘व’ तथा ‘क’ ।

जो श्रद्धा-शील है, जो यथा शक्ति दान करता है, जो पाप का क्षय करता है, और जो संयम की साधना में संलग्न है—वस्तुतः वही सच्चा श्रावक है ।

आवक प्रतिक्रमण-सूत्र



आवक सत्र

प्रतिक्रमण
जं दुक्कडं ति मिच्छा,
तं भुज्जो कारणं अपूरेतो ।
तिविहेणं पडिक्कंतो ;
तस्स खलु दुक्कडं मिच्छा ॥

जो साधक त्रिविध योग से प्रतिक्रमण करता है, जिस पाप के लिए
मिच्छा मि दुक्कडं दे देता है, फिर भविष्य में उस पाप को नहीं करता
है—वस्तुतः उसीका दुष्कृत मिथ्या अर्थात् निष्फल होता है ।

: २३ :

मंगल-सूत्र

मूलः चत्तारि मंगलं—

अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं,
केवलि-पण्णत्तो धर्मो मंगलं ।

चत्तारि लोगुत्तमा—

अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू
लोगुत्तमा, केवलि-पण्णत्तो धर्मो लोगुत्तमो ।

चत्तारि सरणं पञ्चज्ञामि—

अरिहंते सरणं पञ्चज्ञामि, सिद्धे सरणं
पञ्चज्ञामि, साहू सरणं पञ्चज्ञामि, केवलि-पण्णत्तं
धर्मं सरणं पञ्चज्ञामि ।

अर्थ : संसार में चार मंगल हैं—

अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन-भाषित धर्म ।
संसार में चार उत्तम हैं—

अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन-भाषित धर्म ।
संसार में चार शरणरूप हैं—

अरिहन्त, सिद्ध, साधु और जिन-भाषित धर्म ।

छ्याख्या :

मंगल की अभिलाषा किसको नहीं है । संसार का प्रत्येक प्राणी मंगल चाहता है । संसार में सर्वश्रेष्ठ मंगल चार ही हैं, ये कभी भी अमंगल नहीं होते । ये सदा मंगलरूप हैं ।

संसार में उत्तम क्या है ? धन, जन, तन, ? कभी नहीं । ये सब नश्वर तत्त्व हैं ? आज हैं, कल नहीं । अतः ये सब श्रेष्ठ (उत्तम) नहीं हो सकते । उत्तम चार ही हैं, ये कभी अनुत्तम नहीं होते ।

संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे मनुष्य को शरण नहीं दे सकते । धन, जन, राज्य एवं वैभव—ये सब मिथ्या हैं, क्षणिक हैं । फिर शरण क्या देंगे ? सच्चे शरण चार हैं, जो कभी अशरण रूप नहीं होते ।

: २४ :

सम्यक्त्व-सूत्र

मूल : अरिहंतो मह देवो,
जावज्जीवं सु-साहुणो गुरुणो ।
जिणपण्णतं तत्तं,
इय सम्मतं मए गहियं ॥

एयस्स सम्मत्तस्स समणोवासएण पंच अइ-
यारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियव्वा ।
तं जहा—संका, कंखा, वितिगिच्छा, पर-पासंड-
पसंसा, पर-पासंड-संथवो ।
जो मे देवसिओ अह्यारो कओ,
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ : अरिहंत मेरे देव है, जो वनपयन्त शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, जिन-भाषित तत्व मेरा धर्म है। इस सम्यक्त्व को मैंने ग्रहण किया है।

श्रमणोपासक को इस सम्यक्त्व के पाँच अतिचार प्रधानरूप से जानने योग्य हैं, किन्तु आचरण के योग्य नहीं हैं।

जैसे कि—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर-पाखण्ड-प्रशंसा, पर-पाखण्ड-संस्तव।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किया हो, उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो।

ध्याख्या १

प्रस्तुत पाठ में सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है, और उसके पाँच अतिचार भी बताए गए हैं।

जब तक सम्यक्त्व की संशुद्धि नहीं हो जाती, तब तक व्रतों की आराधना एव पालना भी सम्यक्रूप से नहीं हो सकती। ‘दंसण-मूलो धर्मो’, धर्म का मूल सम्यक्त्व है। अतः बारह व्रतों के स्वरूप से पूर्व दर्शन का स्वरूप बताया गया है। बारह व्रत भी दर्शन-मूलक ही होते हैं।

: २५ :

प्रथम अहिंसा अणुव्रत

मूल : पढ़मं अणुव्यं धूलाओ पाणाइवायाओ वेर मणं। तस-जीवे-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिय-जीवे संकप्पओ हणण-हणावण-पच्चक्खाणं। स-सरीरं स-विसेस-पीडाकारिणो,

स-सम्बन्धिय स-विसेस पीड़ाकारिणो वा वज्ज-
ऊण, जावज्जीवाए, दुविहं तिविहेणं, न करेमि,
न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा ।

एयस्स थूलग-पाणाइवाय वेरमणस्स समणो-
वासएणं पाँच अइयारा पेयाला जाणियव्वा,
न समायरियव्वा ।

तं जहा-बंधे, वहे, छविच्छेए, अइभारे,
भत्त-पाण-विच्छेए ।

जो मे देवसिओ अइयारो कओ, तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

अर्थ : प्रथम अणुब्रत है—स्थूल प्राणातिपात से (जीवहिंसा
से) विरत होना, अलग होना । त्रस जीव-द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय जीवों को, संकल्प
पूर्वक, मारने मरवाने का प्रत्याख्यान (त्याग) है ।
स्व-शरीर को विशेष पीड़ा देने वाले को, तथा स्व
परिजन के शरीर को विशेष पीड़ा देने वाले को
छोड़ कर, जीवनपर्यन्त दो करण तीन योग से—
(स्थूलहिंसा) न करूँ, न करवाऊँ. मन से, वचन
से, काय से ।

इस स्थूल प्राणातिपात-विरमणब्रत के श्रमणो-
पासक को (श्रमणोपासिका को) पाँच अतिचार
प्रधान (मुख्य) जानने योग्य हैं, (किन्तु) आचरण
के योग्य नहीं हैं ।

१, श्राविका 'समणोवासियाए' पाठ याद करे :

जैसे—बन्ध = बाँधना, वध = मारना, छविच्छेद = चमड़ी का छेदन, अतिभार × अधिक भार लादना, भक्त-पान विच्छेद = खाने-पीने में अन्तराय डालना ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

ध्यात्मा :

विचार :

वस्तु-तत्त्व को समझने के लिए विचार की, ज्ञान की आवश्यकता है । संमार के सब क्लेश एक मात्र आत्मा के अज्ञान पर ही आधारित हैं । अज्ञान को दूर करने का साधन, आत्मज्ञान के सिवा, अन्य क्या हो सकता है ? आत्मा का स्वरूप क्या है ? कर्म क्या है ? बन्धन क्या है ? कर्म आत्मा के क्षणों लगते हैं ? आदि प्रश्नों का सुन्दर समाधान सम्यग्ज्ञान है । जब तक Right Knowledge न हो, तब तक आत्मा भव-बन्धनों से विमुक्त नहीं हो सकता ।

आचार :

विचार का फल, ज्ञान का फल है—आचार अर्थात् विरति । ज्ञान होने पर भी यदि विषयों में विरक्ति नहीं आए, तो समझना चाहिए वह ज्ञान ही कैसा ? सूर्योदय हो जाने पर भी अन्धकार बना रहे, यह कैसे ? विचार जब क्रिया का व्यप लेता है, तब उसको आचार कहा जाता है । साधक-जीवन में जब तक Right Conduct न हो, तब तक ज्ञान पाना भी सार्थक नहीं होता । अतः शास्त्रकारं कहते हैं—‘ज्ञानस्य फलं विरतिः ।’

आचार—विरति के भेद

विरति के दो भेद हैं—देश-विरति और सर्व-विरति । देश-विरति को अणुव्रत और सर्व-विरति को महाव्रत कहते हैं । देशविरति को

शास्त्र में श्रावक-धर्म और सर्व-विरति को श्रमण-धर्म भी कहा गया है। श्रावक के पाँच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत होते हैं। श्रावक द्वादशव्रती होता है, और श्रमण पंच महाव्रती होता है। चरित्र-रूप धर्म के ये दो भेद पात्र अर्थात् अधिकारी की न्यूनाधिक योग्यता के आधार पर किए गए हैं, वैसे धर्म तो अपने आप में एक अखण्ड तत्व होता है।

अहिंसा :

प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन प्रिय है। सब अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। परन्तु यह सुरक्षा बिना अहिंसा के केसे हो सकेगी? अतः अहिंसा आध्यात्मिक जीवन की नींव है। व्रतों में यह सब से पहला व्रत है। भगवान् महावीर ने अहिंसा को भगवती कहा है। सब धर्मों में यह श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा का मार्ग-खांडे की धार पर चलने जैसा है। अहिंसा से शान्ति प्राप्त होती है। क्या हिंसा से भी कभी शान्ति मिल सकती है? *Nothing good ever comes of violence.* हिंसा में से कभी अच्छा परिणाम नहीं आया है और जिसमें से अच्छा परिणाम न आए, वह धर्म कैसे हो सकता? क्रूर व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अहिंसा के पालन के सदस्य हृदय ही विशेष रूप से अपेक्षित है। *Paradise is open to all kind hearts.* स्वर्ग के द्वार दयाशील व्यक्तियों के लिए सदा खुले रहते हैं। अहिंसा में अपार शक्ति है।

प्रथम अणुव्रत

स्थूल प्राणातिपात (हिंसा) से विरत हो जाना पहला अणुव्रत है। यहाँ पर स्थूल शब्द से द्वीन्द्रिय जीव से पञ्चेन्द्रिय जीव तक ग्रहण किए गए हैं। किसी जीव के प्राणों का अतिपात (विनाश) प्राणातिपात कहा जाता है। प्राणतिपात दो प्रकार का होता है—संकल्पज और आरम्भज संवर्तप अर्थात् जान-बूझ कर द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीवों का मास,

अस्थि, चर्म, नख, केग, दांत आदि के लिए या वैर-पूर्ति के इुलिए मारना संकल्पज प्राणातिपात है। आरम्भ से पैदा होने वाले प्राणातिपात को आरम्भज कहते हैं—जैसे, भूमि खोदने, घर बनाने, व्यापार करने आदि के रूप में। प्रथमव्रत की साधना करने वाला श्रावक, उक्त दोनों हिसाओं में से जान-बूझ कर निरपराध प्राणियों की संकल्पज हिसा का तो जीवन भर के लिए त्याग कर देता है। परन्तु आरम्भज हिसा को श्रावक पूर्णरूप से नहीं छोड़ सकता। क्योंकि गृहस्थ-जीवन में स्थावर (पृथ्वी, जल, तेजस् वायु और बनस्पतिकाय) की हिसा से पूर्णरूप में बचा नहीं जा सकता। अतः स्थावर-हिसा की वह अपनी परिस्थिति के अनुसार उचित मर्यादा कर सकता है।

अतिचार :

प्रथम अणुन्रत के पाँच अतिचार हैं। अतिचार व्रत का दूषण है। अतः वह जानने योग्य तो है, पर आचरण करने योग्य नहीं होता। अतः उसका आचरण नहीं करना चाहिए। अतिचार का सेवन करने से गृहीत व्रत दूषित हो जाता है। अहिसा-अणुन्रत का पालन करने वाले श्रावकों को निम्नलिखित दोषों से बचना चाहिए।

बन्ध :

रजु आदि से किसी प्राणी को बाँधना, बन्ध कहलाता है। बन्ध के दो भेद होते हैं—द्विपद-बन्ध और चतुष्पद-बन्ध। दासी आदि का बन्ध, तोता मैना आदि का बन्ध, द्विपद-बन्ध है। गाय, भैंस और घोड़ा आदि का बन्ध, चतुष्पदबन्ध है। उक्त बन्ध दो कारणों से होता है—प्रयोजन के लिए, अर्थ के लिए। और बिना प्रयोजन के (अनर्थ के लिए) बिना प्रयोजन के बिना मतलब के श्रावक किसी को बाँधता नहीं है, क्योंकि वह अनाचार हो जाएगा। अर्थ (प्रयोजन) बन्ध के भी दो भेद

है—निरपेक्ष और सापेक्ष । दया-शून्य कठोर बन्ध को, गाढ़बन्ध को निरपेक्षबन्ध कहते हैं यह अतिचार है । इस प्रकार का बन्ध भी श्रावक का धर्म नहीं । दूसरा सापेक्षबन्ध है । प्रयोजन आने पर जो कोमल भाव से बन्ध किया जाता है, उसको सापेक्षबन्ध करते हैं । दास-दासी और पशु आदि को यदि वे उद्दण्डता आदि करते हों, तो उनको सुधारने के लिए जो अन्तर में कोमल-भाव रखते हुए बाहर में मर्यादित कठोर बन्धन किया जाता है, उसको सापेक्षबन्ध कहते हैं ।

वध :

बधका अर्थ है—ताङ्ना, पीटना और मारना । प्राणों का अपहरण किए बिना मनुष्य, पशु एवं पक्षी आदि का जो दण्ड आदि साधनों से ताङ्न किया जाता है, वह बध है । इसके भी दो भेद हैं—अर्थ के लिए और अनर्थ के लिए । उसके फिर दो भेद हैं—सापेक्ष और निरपेक्ष । अपराधी या उद्दण्ड आदि व्यक्ति को दण्ड देने के लिए, कोमल-भाव से सुधारने की भावना से, जो ताङ्न किया जाता है, वह अतिचार-रूप नहीं होता । अतिचार की सीमा निरपेक्षता में है, सापेक्षता में नहीं छविच्छेद :

छवि (त्वचा) आदि का छेदन करना । इसके भी दो भेद हैं—सापेक्ष और निरपेक्ष । करुणा-रहित हो कर किसी की त्वचा (चमड़ी) आदि का छेदना, काटना, निरपेक्ष छविच्छेदन है । और करुणा रखते हुए किसी रोगी की चीर-फाड़ करना सापेक्ष छविच्छेद कहा जाता है ।

अतिभार :

किसी मनुष्य अथवा किसी पशु पर शक्ति से अधिक भार लादना, अतिभार नामक अतिचार है । श्रावक को गाड़ी आदि से अपनी आजीविका नहीं चलानी चाहिए । यदि कभी प्रयोजनवशं चलानी ही पड़े तो सापेक्ष और निरपेक्ष का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । मनुष्य, पशु आदि पर इतना भार नहीं लादना चाहिए, जिसको उनको अतिपीड़ा हो, और उनके अंग-भंग हो जाने की सम्भावना हो ।

भक्त-पान-विच्छेद :

भक्त (भोजन) और पान (पानी) ; इनके विच्छेद (अन्तराय) को भक्त-पान-विच्छेद करते हैं। इसके भी दो भेद हैं — सापेक्ष और निरपेक्ष श्रावक का यह कर्तव्य है, कि अपने आश्रित मनुष्य एवं पशु आदि के भोजन-पान का यथावमर पूरा ध्यान रखे। निरपेक्ष हो कर किसी के भक्त-पान में अन्तराय नहीं डालनी चाहिए। हाँ, रोगादि कारण से भक्त-पान न देना हो तो वह सापेक्ष है, सप्रयोजन है। अतः उसकी गणना अतिचार में नहीं की जाती।

: २६ :

द्वितीय सत्य-अणुव्रत

मूल : बीयं अणुव्यं थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं ।
से मुसावाए पंचविहे पन्नते ।

तंजहा-कब्लालीए, गवालीए, भोमालीए,
णासावहारे (थापणमोसे), कूड-सकिखज्जे ।
इच्चेवमाइयस्स थूल-मुसावायस्स पच्चकखाणं ।
जावज्जीवाए, दुविहं तिविहेणं, न करेमि, न
न कारवेमि' मणसा' वयसा' कायसा ।

एयस्स बीयस्स थूलग-मुसावायवेरमणस्स
समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा' न
समायरियव्वा ।

तं जहा-सहसाब्भद्धखाणे, रहस्साब्भकखाणे,

^१सदारमंत-भेद, मोसोवएसे' कूडलेह-करणे ।
जो मे देवसिओ अइयारो कओ' तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

अर्थ : द्वितीय अणुव्रत है—स्थूल मृषावाद (झूठ) से विरत होना-अलग होना । और वह मृषावाद पाँच प्रकार का कहा गया है ।

जैसे—कन्या-सम्बन्धी झूठ, गाय-सम्बन्धी झूठ, भूमि-सम्बन्धी झूठ, धरोहर-सम्बन्धी झूठ, झूठी साक्षी-(गवाही सम्बन्धी झूठ) । इत्यादि स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान (त्याग) जीवन-पर्यन्त, दो करण तीन योग से-न बोलूँ, न बुलाऊँ, मन से, वचन से काय से । इस द्वितीय स्थूल मृषावादविरमणव्रत के श्रमणोपासक को (श्रमणोपासिका को) पाँच अतिचार जानने के योग्य हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं ।

जैसे—सहसाभ्याख्यान=बिना सोचे विचारे किसी पर कलंक लगाना, रहस्याभ्याख्यान=रहस्य की (गुप्त) बातों को प्रकट करना, स्वदारा-मंत्र-भेद=स्वपत्नी के मन्त्र (गुप्त मर्म) को प्रकट करना, मृषो-पदेश=मिथ्या उपदेश करना, कूट-लेख=करण =झठा लेख लिखना ।

जो मैं ने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

श्राविका (सभत्तार-मंतभेद) पाठ याद करें ।

व्याख्या :

सत्य :

सत्य परम धर्म । सत्य से बढ़कर अन्य दूसरा कोई धर्म नहीं है । भगवान् महावीर ने सत्य को 'भगवान्' कहा है । 'त सच्चं खु भगवं ।' अर्थात् सत्य ही भगवान् है । सत्य में स्थिर रहने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी जीत लेता है । सत्य-चिन्तन सत्य-भाषण और सत्य आचरण से जीवन पवित्र बन जाता है । There is nothing so delightful as the hearing or the speaking of the truth. इस विगाट् विश्व में सत्यवचन सुनने और सत्यवचन बोलने से अधिक मधुर आनन्द कुछ भी नहीं हैं सत्य, लोक का सार है ।

द्वितीय अणुव्रत :

स्थूल मृषावाद (असत्य) से विरत हो जाना, अलग हो जाना द्वितीय अणुव्रत है । सत्य धर्म है, और असत्य पाप है । असत्य के पाँच भेद हैं । अयवा जिन कारणों से मनुष्य असत्य बोलता है वे असत्य के कारण पाँच हैं, जो ये हैं—

कन्यालीक :

कन्या के लिए अलीक (असत्य) बोलना, कन्यालीक है । यहाँ कन्या के विषय में जो झूठ बोलने का निषेध है, वह समस्त मनुष्यजाति के विषय में झूठ बोलने का निषेध समझना चाहिए ।

गुण-सम्पन्न कन्या या वर को गुण-हीन कहना, और गुण-हीन को गुण-सम्पन्न कहना, कन्या-सम्बन्धी असत्य है ।

गवालीक :

गाय के विषय में अलीक (असत्य) कहना । गाय से यहाँ पर अन्य पशुओं का भी ग्रहण हो जाता है । अच्छी गाय को बुरी और बुरी को अच्छी कहना ।

भूमि-अलीक :

भूमि के लिए अलीक बोलना, असत्य बोलना। भूमि के अन्य अचित वस्तुओं का ग्रहण कर लिया जाता है। सोना चाँदी-आदि के विषय में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए।

न्यासापहार :

किसी को धरोहर रखी वस्तु के लिए इन्कार कर देना। धरोहर को न लौटाना। इसकी न्यास (रखी हुई) वस्तु का अपहरण (चुराना) कहते हैं।

कूट-साक्ष्य :

अपने लाभ के लिए और दूसरे की हानि के लिए, जो न्यायाधीश अथवा पंच के सम्मुख झूठी गवाही दी जाती है, उसको कूट-साक्ष्य, कूटसाक्षी कहते हैं।

अतिचार :

प्रथम अणुव्रत की भाँति इसके भी पांच अतिचार हैं। व्रत के चार दृष्टिण होते हैं—अतिक्रम-गृहीत व्रत को तोड़ने का मन में संकल्प करना, व्यतिक्रम—व्रत को भंग करने के लिए साधन जुटाना, अतिचार-व्रत तोड़ने की तैयारी, पर अभी तक तोड़ा नहीं, अनाचार-स्वीकृत मर्यादा का सर्वथा लोप कर देना। द्वितीय अणुव्रत के पांच अतिचार हैं, जो जानने योग्य हैं। (परन्तु) आचरण योग्य नहीं हैं।

सहसाभ्याख्यान :

सहसा (विना विचारे) अभ्याख्यान किसी के सम्बन्ध में कुछ का कुछ कह देना, मिथ्या दोष लगाना, झूठा कलंक देना।

१. विचार किये बिना ही आवेश में आ कर झट किसी पर मिथ्या आरोप लगा देना सहसाभ्याख्यान है। जैसे—‘तू चोर है, जारूर है………!

—पूज्य धासी लालजीम० कृत उपासक-दशांग टीका पृ० २८६
सहसा (बिना विचारे) बोला हो।

—कांफरेन्स द्वारा प्रकाशित प्रतिक्रमण-सूत्र पृ० २४

रहस्याभ्यरुद्धान :

किन्हीं द्वे व्यक्तियों को रहस्यि (एकान्त स्थान में) बाल-चीत करते देख कर कहना, कि 'ये राज्य-विरुद्ध आदि मन्त्रण कर रहे थे।' किसी पर व्यर्थ का सन्देह करना ।

स्वदारामंत्रभेद :

स्वदारा (अपनी पत्नी) के मन्त्र (मर्मभरी बाल) को भेद (प्रकट) करना । इसी प्रकार पत्नी के लिए स्व-पति-मन्त्र-भेद भी त्याज्य है ।

मृषोपदेश :

मृषा (असत्य पूर्ण) झूठा उपदेश (शिक्षा) करना । जैसे 'यज्ञ करो' तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, आदि कहना । झूठे उपदेश से ओला मनुष्य गलत रास्ते पर लगता है ।

कूट (असत्यभूत) झूठा, लेख (हस्ताक्षर वा मुद्रांकन) जाली दस्तखत करना । बनावटी हस्ताक्षर करना, नकली मुहर बनाना आदि कूटलेखकरण है ।

: २७ :

तृतीय अस्तैय-अणुव्रत

मूल : तइयं अणुव्ययं थूलाओ अदिएणादाणाओ वेरमणं । से य अदिएणादाणे पंचविहे पञ्चते । तंजहा—खत्त-खणणं- गठि-भेअणं, जंतुगधाडणं, पडियवत्थुहरणं ससामिअवत्थुहरणं । इच्छेव-माइयस्स थूल-अदिएणादाणस्स पच्चक्खाणं । जावज्जीवाए, दुविहं तिविहेणं न करेमि,

न कारवेमि मणसा, वयसा, कायसा ।
 एयस्स तइयस्स शूलग-अदिगणादाण-वेरमणस्स
 समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा,
 न समायरियव्वा ।

तंजहा-तेनाहडे, तक्करप्पओगे, विरुद्ध-रज्जाइ-
 क्कमे, कूडतुल्ल-कूडमाणे, तप्पडिरुवग-
 ववहारे ।

जो मे देवसिओ अइयारो कओ, तस्स मिच्छा
 मि दुक्कडं ।

अर्थ : तृतीय अण्व्रत है—स्थूल अदत्तादान (चोरी) से
 विरत होना । अदत्तादान (चोरी) पाँच प्रकार का
 कहा गया है ।

वह इस प्रकार से है—खात खनना-दीवार आदि में
 सेंधं लगाना, गांठ खोलना, ताला तोड़ना, पड़ी हुई
 वस्तु को लेना, दूसरे की वस्तु को लेना इत्यादिक
 स्थूल अदत्तादान (चोरी) का प्रत्याख्यान (त्याग)
 करना । जीवनपर्यन्त, दो करण तीन योग से, न
 करूँ, न करवाऊँ, मन से, वचन से, काय से ।
 इस तृतीय स्थूल अदत्तादान-विरमणव्रत के श्रमणो-
 पासक को पांच अतिचार जानने योग्य हैं, (किन्तु)
 आचरण करने योग्य नहीं हैं ।

जैसे कि—स्तेन (चोर) द्वारा आहृत (चुराई हुई)
 वस्तु ली हो, तस्कर (चोर) को प्रयोग (प्रेरणा दी)

हो, सहायता दी हो, विरुद्ध (विरोधी) राज्य में अतिक्रम (व्यापार आदि निमित्त) प्रवेश किया हो, कूट (झूठा) तोल कूट (झूठा) नाप किया हो, वस्तु में तत्प्रतिरूपक (तत्-संहश) वस्तु का व्यवहार (मिलावट) किया हो ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किया हो, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

व्याख्या :

अस्तेयः

दूसरे की सम्पत्ति पर अनुचितरूप में अधिकार करना चोरी है । मनुष्य को अपनी आवश्यकता, अपने श्रम के द्वारा प्राप्त साधनों से ही पूर्ण करनी चाहिए । यदि किसी अवसर पर दूसरे की किसी वस्तु को लेना भी हो, तो बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना चाहिए । बिना उसकी आज्ञा के अथवा बल-प्रयोग से लेना स्तेय है, चोरी है । गृहस्थ-जीवन में साधक पूर्णरूप से चोरी का त्याग नहीं कर सकता, तो कम से कम सामाजिक एवं धार्मिक हृष्टि से सर्वथा अनुचित चोरी का त्याग तो करना ही चाहिए । जीवन को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । मनुष्य को अपने क्षणिक लाभ एवं स्वार्थ के लिए अपने धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए । Dishonesty is a forsaking of permanent for temporary advantages. अप्रामाणिक होना अथवा चोरी करना, क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत श्रेय को नष्ट करना है ।

तृतीय अणुव्रतः

तृतीय अणुव्रत है—स्थूल अदत्तादान (चोरी) से विरत होना । दत्त का आदान धर्म है, और अदत्त का आदान अधर्म । चोरी पाच ग्रकार से की जाती है । जैसे—सैंध लगाना, गाँठ खोलना, किसी का

ताला तोड़ना, किसी की पड़ी हुई वस्तु को ले लेना तथा दूसरे की वस्तु को बिना अनुमति के उठा लेना !

अतिचार :

इस तृतीय अणुव्रत के पाँच अतिचार हैं। इसके चार दूषण भी हैं—अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। व्रत का एक देश से खण्डित होना अतिचार है और सर्वदेश से भंग होना अनाचार है। प्रस्तुत अणुव्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार से हैं, जो श्रमणोपासक को जानने के योग्य तो हैं, (परन्तु) आचरण योग्य नहीं हैं।

स्तेनाहृत :

चोर द्वारा चुराई वस्तु को लेना, स्तेन-आहृत है। चोरी की वस्तु सदा सस्ती बेची जाती है। जिससे लेने वाले को लोभ आ जाता है। चोर की चुराई वस्तु को लेना अतिचार है।

तस्कर-प्रयोग :

चोर को चोरी करने की प्रेरणा देना, तस्कर-प्रयोग है। चोरी करने वाले के समान चोरी कराने वाला भी पाप का भागी है। चोर को चोरी करने में सहायता देना भी तस्कर प्रयोग है।

विरुद्ध-राज्यातिक्रम :

जो राजा या देश परस्परविरोध रखते हैं, लड़ते हैं, उन राज्यों को विरुद्धराज्य कहते, हैं। विरुद्धराज्य में जाने-आने को विरुद्धराज्य का अतिक्रम, उलंघन कहते हैं। अथवा विरुद्धराज्य में व्यापार आदि के लिए चोरी से प्रवेश करना।

कूट-तोल कूट-मान :

कम तोलना और कम नापना, कूट-तोल एवं कूट-मान है। किसी से कोई वस्तु लेते समय अधिक तोलना, अधिक नापना और देते समय कम तोलना और कम नापना। लेने-देने के नाप-तोल अलग-अलग रखना भी पाप है।

प्रतिरूपक व्यवहार :

वस्तुओं में भेल-सभेल करना- मिलावट करना, प्रक्रियक व्यवहार हैं, इसको तत्प्रतिरूपक व्यवहार भी कहते हैं। अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु मिला देना, अच्छी दिखा कर बुरी देना, यह सब तत्प्रतिरूपक व्यवहार है।

: २८ :

चतुर्थ ब्रह्मचर्य-अणुव्रत

मूल : चउत्थं अगुव्ययं धूलाओ मेहुणाओ वैरमणं ।
सदार, संतोसिए अवसेस-मेहुण-विहि-पच्च-
खाणं ।

जावज्जीवोए दिव्वं दुविहं तिविहेण, न
करेमि, न कारवेमि, मणसा,वयसा कायसा ।
माणुस्सं तिरिक्ख-जोणियं, एगविहं एग-
विहेण, न करेमि, कायसा ।

एयस्स चउत्थस्स धूलग-मेहुण-वैरमणस्स,
समणोवासएणं पंच अह्यारा जाणियव्वा, न
समायरियव्वा ।

तंजहा-इत्तरिय-परिगगहियागमणे, अप-
रिगगहिया-गमणे, अणंग-क्रीड़ा पर-विवाह-
करणे, काम-भोग-तिव्वामिलासे :

१ श्राविका ‘सभत्तार-संतोसिए’ पढ़े ।

जो मे देवसिओ अइयारो कओ, तस्स मिच्छा
मि दुक्कड़ं ।

अर्थ : चतुर्थ अणुव्रत है—स्थल मैथुन (संभोग) से विरत होना । स्वपत्नी में संतोष रख कर, (स्त्री स्व-पति में संतोष रख कर) अन्य सब प्रकार की मैथुन विधि (अबहृचर्य) का प्रत्याख्यान (त्याग) करना । जीवनपर्यन्त देवता-सम्बन्धी, दो करण तीन योग, से न करौं, न कराऊं, मन से वचन से, काय से । मनुष्य तथा तिर्यचं-सम्बन्धी, एक करण, एक योग, से न, करौं, काय से ।

इस चतुर्थ स्थल मैथुल-विरमण-व्रत के श्रमणोपासक को पाँच अतिचार जानने योग्य है, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं ।

जैसे कि—इत्वरिक (अल्पकालिक) परिगृहीता (रखैल स्त्री) से गमन (व्यभिचार) करना, अघरिगृहीता (वेश्या आदि) से गमन (व्यभिचार) करना, अनंग (अप्राकृतिक रीति) से क्रीड़ा (कामचेष्टा) करना, पर (दूसरे के लड़के-लड़की) का अथवा पर (स्वयं अपना ही दूसरा) विवाह करना, कामभोग की तीव्र अभिलाषा करना ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

व्याख्या :

ब्रह्मचर्य :

ब्रह्मचर्य सब तरों में सबसे बड़ा तप है। ब्रह्मचर्य, शील और सदाचार जीवनविकास के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्यब्रत सदाचार के लिए है, और सदाचार ही जीवन की आधार-शिला है। मनुष्य के पास विद्वता हो या न हो, उसके पास लक्ष्मी हो या न हो, परन्तु उसमें सदाचार अवश्य होना चाहिए। Not education, but character is man's greatest need and man's greatest safeguard. शिक्षण नहीं, पर चारित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और सदाचार से ही मनुष्य की रक्षा होती है। काम चा रना से मनुष्य के अध्यात्म-जीवन का विनाश हो जाता है। अतः वासना पर संयम रखने के लिए ब्रह्मचर्य को आवश्यकता है। गृहस्थजीवन में पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन शक्य नहीं है। अतः उसे स्व-दारसन्तोष ब्रत और स्त्री को स्वपतिसन्तोषब्रत का पालन करना चाहिए।

चतुर्थ अण्व्रत :

चतुर्थ ब्रत है—स्थूल मैथुन (संभोग) से विरत होना, पुरुष को स्वपत्नी में सन्तोष रख कर, स्त्री को स्व-पति में सन्तोष रखकर अन्य सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना। स्वदार-सन्तोष-ब्रत की साधना करने वाले गृहस्थ की वासना सीमित हो जाती है, जिससे वह असीम काम-च्छा से बच जाता है। उक्त ब्रत का पालन करने से दाम्पत्य-मर्यादा भी सुरक्षित होती है। पति एवं पत्नी में परस्पर विश्वास पैदा होता है।

प्रस्तुत ब्रत के भी चार दूषण हैं—अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार में ब्रतभङ्ग हो जाता है, अतिचार में ब्रत देशनः खण्डित होता है।

अतिचार :

व्रह्मचर्यव्रत के पाँच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने योग्य तो हैं, (परन्तु) आचरण के योग्य नहीं। वे इस प्रकार से हैं—
इत्वरिक-परिगृहीतागमन :

कुछ समय के लिए पैसा देकर रखेल स्त्री को पत्नी के रूप में रखना, और उसके साथ गमन करना। स्त्री भी रखेल पति रख लेती हैं, जैसे आजकल पश्चिम के देशों में है। उत्तरव्रतकी साधना करने वाले को ऐसा करना उचित नहीं है।

अपरिगृहीता-गमन :

जो विवाहित न हो, ऐसी वेश्या तथा विधवा, परित्यवता आदि स्त्री के साथ कामभोग का सेवन करना। स्त्री का विधुर आदि के साथ सम्बन्ध रखना। यह भी व्रत की सीमा से बाहर है। अतः त्याज्य है।
अनंग-क्रीड़ा :

अप्राकृतिक रीति से कामचेष्टा करना। कामसेवन के लिए जो प्राकृतिक अंग हैं, उनके अतिरिक्त शेष समस्त अंग, काम सेवन के लिए अनंग हैं। उन से कामक्रीड़ा करना अनंग-क्रीड़ा है।

पर-विवाहकरण :

दूसरे के लड़के लड़कियों का विवाह कराना। कर्तव्य-वश अपने कुटुम्बीजनों के लड़के-लड़कियों का विवाह करना पड़े, तो वह अतिचार में नहीं होगा। परन्तु किसी लोभ वश दूसरों के विवाह का जोड़-

१. वेश्या, विधवा या परित्यका………!

—‘गृहस्थ-धर्म’ में पूज्य जवाहरलालजी म०
भाग २, पृ० २१६

पाणि-ग्रहण की हुई पत्नी से भिन्न वेश्या, कन्या, विधवा……… !

—‘डपासकदशांग’ में पूज्य घासौलालजी म०
पृ० २६८ ।

तोड़ लगाया जाए, तो वह अतिचार है। कुछ विचारक पर-विवाह का एक अर्थ यह भी करते हैं, कि अपना स्वयं का दूसरा विवाह न करना।

तीव्र-काम-भोगलिभाषा :

कामाभिलाषा को मन्द करना चाहिए, क्षीण करना चाहिए। तीव्र कामाभिलाषा के व्रतभंग होने की सम्भावना रहती है। अतः वासना पर संयम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वदार-सन्तोष-व्रत का उद्देश्य भी यही है, कि भोगभिलाषा मन्द हो।

: २६ :

पञ्चम अपरिग्रह-अणुव्रत

मूल : पंचमं अणुव्यं थूलाओ वरिग्रहाओ वेरमणं
खेत-वत्थूणं जहापरिमाणं, हिरण्य-सुवरणाणं
जहापरिमाणं धण-धनाणं जहापरिमाणं,
दुष्पय-चउष्पयाणं, जहापरिमाणं कुप्पस्स
जहापरिमाणं। एवं मए जहा परिमाणं क्यं,
तओ अइरित्तस्स परिग्रहस्स पच्चक्खाणं।
जावज्जीवाए, एगविहं तिविहेणं, न करेमि,
मणसा, वयसा, कायसा।

एयस्स पंचमस्स थूलग-परिग्रह-परिमाण
व्ययस्स समणोवासएणं पंच आइयारा जाणि-
यव्वा, न समायारियव्वा।

१. 'कुवियस्स' भी पाठ है।

तंजहा-खेत-वप्पुत्पमाणाइककमे, हिरण्य-
 सुवरणप्पमाणाइककमे, धण-धनप्पमाणाइककमे,
 दुष्पय-चउप्ययप्पमाणाइककमे, कुप्पप्पमा-
 णाइककमे ।

जो मे देवसियो अइयारो कओ, तस्स मिच्छा
 मि दुक्कडं ।

अर्थ :

पञ्चम अणुव्रत है—स्थूल परिग्रह से विरत होना ।
 क्षेत्र वस्तु (खेत और घर आदि) का यथापरिमाण
 (जो परिमाण किया है), हिरण्य (चाँदी) सुवर्ण
 (सोना) का यथापरिमाण धन-धान्य का यथाप-
 रिमाण, द्विपद (दास-दासी आदि) का और चतुष्पद,
 (गाय, भैंस घोड़ा आदि पशु का यथापरिमाण,
 कुप्प (बरतन) आदि) का, अथवा घर की सामग्री,
 का यथापरिमाण । इस प्रकार मैंने जो परिग्रह-
 परिमाण, (मर्यादा) किया है, उसके अतिरिक्त
 रखने का, प्रत्याख्यान (त्याग) करना ।

जीवनपर्यन्त, एक करण तीन योग से, न कहूँ,
 मन से, वनन से, काय से ।

इस पञ्चम स्थूल परिग्रह-परिमाण-व्रत के श्रमणो-
 पासक को पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, (किन्तु)
 आचरण के योग्य नहीं हैं ।

जैसे कि—क्षेत्र (खेत आदि) और वास्तु (घर आदि)
 के प्रमाण का अतिक्रमण करना, हिरण्य (चाँदी)
 और सुवर्ण (सोने) के प्रमाण का अतिक्रमण करना,
 धन-धान्य के प्रमाण का अतिक्रमण करना, द्विपद
 (दास दासी) के और चतुष्पद (गाय, भैंस, घोड़ा).

बैल, ऊंट, बकरी आदि के प्रमाण का अतिक्रमण करना, कुप्य (बर्तन आदि घर की सामग्री) के प्रमाण का अतिक्रमण करना ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किये हों तो उनका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

व्याख्या :

अपरिग्रह :

परिग्रह सब पापों की जड़ है । यह भव-बन्धन का मुख्य कारण है । जब तक परिग्रह पर नियन्त्रण नहीं रखा जाएगा, तब तक दूसरे पाप भी कम नहीं होंगे । संग्रह-बृति और पूँजीवादी मनोवृत्ति ही संसार में अशान्ति पैदा करती है । मनुष्य सोचता है कि धन, सम्पत्ति और सुख-भोग के साधनों का संग्रह करके मैं सुखी रहूँगा, परन्तु यह कोरी मिथ्याकल्पना है । 'वित्तेण ताणं न लभे' धन-वैभव से जीवन की रक्षा नहीं हो सकती । 'अर्थमनर्थं भावय नित्यम् ।' धन सचमुच अनर्थ ही है । Our incomes are like shoes. If too small they gall and pinch us. If too large they make us to stumble and to trip. गृहस्थ की आय उसके जूते के समान है । जूते अगर छोटे होते हैं, तो वे पेरों में छाले डाल देते हैं, और बड़े होते हैं, तो वे मनुष्य को गिरा देते हैं । इसी प्रकार धन की कमी गृहस्थ को परेशान करती है, और धन की अधिकता उसको विलासी बनाती है । अतः परिग्रह एक बहुत बड़ा पाप है, सब पापों का जनक है ।

पञ्चम अणुव्रत :

पञ्चम अणुव्रत है—स्थूल परिग्रह से विरत होना । गृहस्थ जीवन में परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता । परिग्रह का परिमाण

किया जा सकता है। परिग्रह के दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्यपरिग्रह के दो भेद हैं—जड़ और चेतन। जड़ में वस्त्र, पात्र, सोना-चाँदी, सिक्का, मकान एवं खेत आदि का समावेश हो जाता है, और चेतन में मनुष्य पशु, पक्षी एवं वृक्ष आदि समस्त सजीव पदार्थों का ग्रहण हो जाता है।

उक्त व्रत के भी चार दोष हैं—अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। व्रत को तोड़ने का संकल्प अतिक्रम, तोड़ने की तैयारी व्यतिक्रम, व्रत को एकदेश से खण्डित करना अतिचार और सर्वथा भंग करना अनाचार है।

आगे के सभी व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार एवं अनाचार का यही क्रम और यही अर्थ समझ लेना चाहिए।

अतिचार :

इस पञ्चम-स्थूल परिग्रह-परिमाण-व्रत के श्रमणोपासक को पांच अतिचार जानने योग्य तो हैं, किन्तु आचरण के योग्य नहीं हैं। वे अतिचार इस प्रकार हैं :—

खेत्र-वास्तु-प्रमाणातिक्रम :

खेत आदि की खुली भूमि और घर आदि की ढँकी भूमि के विषय में जो मर्यादा की गई थी, उसका पूर्णतः तो नहीं, पर अंशरूप में उल्लंघन करना। जैसे किसी व्यक्ति के पास पहले चार खेत की मर्यादा थी, फिर चार और मिलने पर बीच की मेड़ को तोड़ कर एक कर लेना और चार की संख्या बनाए रखना। इसी प्रकार घर की मर्यादा के सम्बन्ध में भी समझ लेना।

हिरण्य-सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम :

चाँदी-सोना अथवा चाँदी-सोने की बनी चीजों के विषय में जो मर्यादा की गई थी, उसका अंशरूप में उल्लंघन करना। मर्यादा से बाहर मिली इन वस्तुओं को अपने पास रखना नहीं चाहिए।

धन्य-धान्य-प्रमाणातिक्रम :

सन्पत्ति और अनाज के विषय में जो मर्यादा की गई थी, उसका अंशरूप में उल्लंघन करना। मर्यादा से बाहर धन-धान्य मिले तो, उसे रखना नहीं चाहिए।

द्विपद-चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम :

दास-दासी आदि मनुष्य और गाय, घोड़ा आदि पशु के विषय में जो मर्यादा की गई थी, उसका अंश रूप में उल्लंघन करना। प्रमाण से अधिक रखना।

कुप्य-प्रमाणातिक्रम :

‘कुप्य’ शब्द का अर्थ है—घर की सामग्री, अथवा पात्र (वर्तन) आदि वस्तु। पात्र आदि घर की सामग्री के विषय में जो मर्यादा की गई थी, उसका अंशरूप में उल्लंघन करना। प्रमाण से अधिक वस्तुओं का संग्रह करके रखना भी इस व्रत का दूषण है।

: २० :

षष्ठ दिशापरिमाण-व्रत

मूल : छट्ठं दिसिव्यं, उड्ढ-दिसाए जहापरिमाणं,
अहो-दिसाए जहापरिमाणं, तिरिय-दिसाए
जहापरिमाणं। एवं मए जहापरिमाणं क्यं,
तओ अइरित्तं सेच्छाए काएणं गंतूण पंच
आसवासेवणस्स पच्चक्खाणं।

जावज्जीवाए, दुदिहं तिविहेणं, न करेमि, न
कारवेमि, मणसा, द्यसा, कायसा।

एयस्स छटुस्स दिसिब्बयस्स समणोवासएण
पंच अह्यारा जाणियब्बा, न समायरियब्बा,
तंजहा-उड्ढ-दिसिष्पमाणाइक्कमे, अहो-दिसि-
ष्पमाणाइक्कमे, तिरिय-दिसिष्पमाणाइक्कमे,
खेत्त-बुड्डी, सइ-अन्तरद्धा ।

जो मे देवसिओ अह्यारो कओ, तस्स मिच्छा
मि दुक्कड़ ।

अर्थ :

षष्ठ दिशा परिमाण व्रत है—ऊर्ध्व-(ऊँची) दिशा
में यथा-परिमाण, अद्वो (नीची) दिशा में यथा-
परिमाण, तिर्यग् (तिरछी) दिशा में यथापरिमाण ।
इस प्रकार मैंने जो परिमाण किया है, उसके अति
रिक्त अपनी इच्छा से शरीर के द्वारा जा कर पाँच
आश्रव-सेवन का प्रत्याख्यान (त्याग) करना ।

जीवनपर्यन्त दो करण तीन योग से, न कहूँ, न
कराऊँ, मन से वचन से, काय से ।

इस षष्ठ दिशा-परिमाण-व्रत के श्रमणोपासक को
पाँच अतिचार जानने के योग्य हैं (किन्तु) आचरण
के योग्य नहीं हैं । जैसे कि—उर्ध्वदिशा के परिमाण
का अतिक्रमण करना, अधोदिशा के परिमाण का अति
क्रमण करना, क्षेत्र (स्थान) सम्बन्धी स्वीकृति मर्यादा
की वृद्धि करना, नियम का स्मरण न रहने से
मर्यादा में वृद्धि करना ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो
उसका पाप मेरे लिए निष्कल हो ।

क्षाख्या

क्षाख्या :

दिशा :

दिशा का अर्थ है—दिक्। दिशाएँ तीन हैं—ऊर्ध्वदिशा, अधो-दिशा और तिर्यग्दिशा। अपने से ऊपर की ओर को ऊर्ध्वदिशा, नीचे की ओर को अधोदिशा, तथा दोनों के बीच की तिरछीदिशा को निर्यक्दिशा कहते हैं। तिर्यक्दिशा के चार भेद हैं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चार दिशाओं के चार कोणों को इशान आदि चार विदिशा कहते हैं, ये भी तिर्यक्दिशा हैं। चार दिशा, चार विदिशा तथा ऊर्ध्व और अधः; इन सबको मिला कर दश दिशाएँ होती हैं।

षष्ठ दिशा-परिमाण-व्रत :

षष्ठ दिशा-परिमाण-व्रत है—ऊँची नीची और तिरछी दिशा का परिमाण करना। पापाचरण के लिए गमन-आगमन आदि क्षेत्र को विस्तृत करना साधक के लिए निषिद्ध है। राजा जिधर भी दिग्विजय को निकलते हैं, संहार मचा देते हैं। व्यापारी व्यापार को निकलते हैं, तो राष्ट्रों का शोषण कर लेते हैं अतः भगवान् ने दिशा व्रत का विधान किया है, कार्यक्षेत्र की मर्यादा बांधो जाती है, जिससे जीवन संयमित होता है।

अतिचार :

षष्ठ दिशा-परिमाण-व्रत के श्रमणोपासक को पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, किन्तु आचरण के योग्य नहीं। वे इस प्रकार हैं—

ऊर्ध्वदिशा-परिमाणातिक्रम :

ऊर्ध्वदिशा में यातायात करने के लिए जो क्षेत्र मर्यादा में रखा है, उस क्षेत्र का भूल से उल्लंघन हो जाना।

अधोदिशा-परिमाणातिक्रम :

नीची दिशा में जाने-आने के लिए जो क्षेत्र मर्यादा में रखा है, उस क्षेत्र का भूल से उल्लंघन हो जाना।

तिर्यग्-दिशा-परिमाणातिक्रम :

तिरछी दिशा में जाने-आने के लिए जो क्षेत्र मर्यादा में रखा है, उस क्षेत्र का भूल से उत्तराधन हो जाना ।

क्षेत्र-वृद्धि :

एक दिशा की स्वीकृत मर्यादा में कमी कर के दूसरी में मिलाने को क्षेत्र की वृद्धि कहते हैं । यह व्रत का दूषण है ।

स्मृति-भ्रंश :

क्षेत्र की स्वीकृत मर्यादा को भूल कर मर्यादित क्षेत्र से आगे बढ़ जाना, अथवा गृहीत मर्यादा का ही स्मरण न रहना स्मृति-भ्रंश है ।

: ३१ :

सप्तम उपभोग-परिभोग-परिमाण-व्रत

मूल : सत्तमे वए उपभोग-परिभोग-विहि पच्चक्खा
यमाणे, उल्लणियाविहि, दंतवणविहि, फल-
विहि, अब्भंगण-विहि, उब्बटुण-विहि, मज्जण-
विहि, वत्थ-विहि, विलेवण-विहि, पुण्फ-विहि,
आभरण-विहि, धूवण-विहि, पेज्ज-विहि,
भक्खण-विहि, ओदण-विहि, सूव-विहि, विगय-
विहि, साग-विहि, महुर-विहि जेमण-विहि,
पाणीय-विहि, मुह-वास-विहि, वाहण-विहि,
सयणा-विहि, उवाहणा-विहि, सचित-विहि,
दब्ब-विहि करेमि ।

इच्चाईराणं जहापरिमाणं क्यं, तओ अइ-
रित्तसस उवभोग-परिभोगसस पच्चकखाराणं ।
जावज्जीवाए, एमविहं तिविहेराणं. न करेमि,
मणसा, वयसा, कायसा ।

सत्तमे उवभोग-परिभोगब्बए दुविहे पन्नते ।
तंजहा-भोयणाओ य, कम्मओ य । तत्थ एं
भोयणाओ समणोवासएराणं पंच अइयारा
जाणियब्बा, न समायरियब्बा ।

तं जहा-सचित्ताहारे, सचित्त-पडिबद्धाहारे,
अप्पओलिओसहि-भक्खणया, दुप्पओलि-
ओसहि-भक्खणया, तुच्छोसहि-भक्खणया ।
जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

अर्थ :

सप्तम उपभोग-परिभोग-परिमाण-व्रत है—उपभोग-
परिभोगविधि का प्रत्याख्यान करना । उल्लिण्या
(अङ्ग पौँछने का वस्त्र) विधि (उसकी जाति एवं
संख्या) की मर्यादा करना, दन्तवन (दत्तौन) विधि
की (मर्यादा) करना, फलों की मर्यादा करना,
अभ्यंगन (मालिश) की मर्यादा करना, उद्वर्तन
(उवटन) की मर्यादा करना, मञ्जन (स्नान) की
मर्यादा करना, वस्त्र की मर्यादा करना, विलेपन
(लेपन या लेप) की मर्यादा करना, फूलों की मर्यादा
करना, आभूषणों की मर्यादा करना, धूप की

मर्यादा करना, पेय (पीने योग्य पदार्थों) की मर्यादा करना, भक्ष्य (खाने योग्य पदार्थों) की मर्यादा करना, ओदन (चावल) की मर्यादा करना, सूप (दाल) की मर्यादा करना, विकृति (विग्रह) की मर्यादा करना, शाक (साग) की मर्यादा करना, मधुर (मीठे फल आदि) की मर्यादा करना, जेमन (भोजन) की मर्यादा करना, पानीय (जल) की मर्यादा करना, मुख-वास (पान सुपारी, इलायची आदि) की मर्यादा करना, वाहन (सवारी) की मर्यादा करना, शथन) (शथ्या आदि) की मर्यादा करना, उपानत् (जूतों) की मर्यादा करना, सचित्त पदार्थों की मर्यादा करना, द्रव्य (विविध पदार्थों) की मर्यादा करना ।

इत्यादि जो परिमाण (मर्यादा) किया, उससे अधिक उपभोग-परिभोग के सेवन का प्रत्याख्यान (त्याग) करना ।

जीवनपर्यन्त, एक करण तीन योग्य से, न करूँ मन से, बचन से, काय से ।

सप्तम उपभोग-परिभोग-व्रत दो प्रकार का है । वह इस प्रकार से—भोजन से और कर्म (व्यापार) से । उसमें भोजन-सम्बन्धी व्रत के पांच अतिचार श्रमणोपासक को जानने के योग्य है, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं ।

जैसे कि—त्यागी हुई सचित्त वस्तु का आहार (भोजन) करना, सचित्त-संयुक्त वस्तु का आहार करना अप्पओलि (कम पकी या अधारकी) औषधि (फली या धान्य आदि) का भक्षण (सेवन) करना,

दुष्पओलि (दुष्पकव=देर में पकने वालों या अधिक पकी) ओषधि (फली या धान्य आदि) का भक्षण (सेवन) करना । तुच्छ (असार) अर्थात् जिसमें डालने योग्य भाग अधिक हो और खाने योग्य कम हो, ऐसी ओषधि (फली या धान्य आदि) का भक्षण (सेवन) करना ।

जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उस का पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

: ३२ :

पंचदश कर्मदान

मूल : कम्मओ णं समणोवासएणं पन्नरस कम्मादाणाइं, जाणियव्वाइं, न समायरियव्वाइ तं जहा—इंगाल-कम्मे, वण-कम्मे, साडी-कम्मे, भाडी-कम्मे, फोडी-कम्मे ।

दंत-वाणिज्जे, केस-वाणिज्जे, रस-वाणिज्जे-लक्ख-वाणिज्जे, विस-वाणिज्जे ।

जंतपीलणकम्मे, निल्लंछण-कम्मे, दवगिग-दावणया-कम्मे, सर-दह-तलाय-परिसोसणया-कम्मे, असइजण-पोसणया-कम्मे ।

जो मे देवसिओ अहयारो कओ, तस्य मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ : कर्म (व्यापार) से श्रमणोपासक को पन्द्रह कर्मदान (कर्म के आदान हेतु) ज्ञानने के योग्य हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं।

जैसे कि—अंगार (कोयलों) का कर्म (व्यापार) करना, वन (वन काटने) का कर्म (व्यापार) करना, साड़ी (गाड़ी बनाने) का कर्म करना, भाड़ी (भाड़े पर घोड़ा बैल आदि), चलाने का कर्म करना, फोड़ी (जमीन खोद कर खान आदि का कर्म (व्यापार) करना।

दांतों का व्यापार करना, केश, (केशवती=दासी आदि) का व्यापार करना, रस (मदिरा आदि) का व्यापार करना, लाख का व्यापार करना, विष का व्यापार करना।

यन्त्र (कोल्हू) से पीड़न (पीलने आदि) का कर्म करना, खस्सी का कर्म करना वन में आग लगाने का कर्म करना, सरोवर, तालाब आदि के सुखाने का कर्म करना, वेश्या आदि कुलटा नारियों का पोषण करके उन से आजीविका चलाने का कर्म (व्यापार) करना। जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों तो उसका पाप मेरे लिए निष्पल हो।

व्याख्या :

उपभोग-परिभोग :

जीवन भोग से भरा हुआ है। जब तक जीवन है, भोग का सर्वथा त्याग तो नहीं किया जा सकता। हाँ, आसक्ति को कम करने के लिए भोग की मर्यादा की जा सकती है। जैन धर्म गृहस्थ के लिए भोग-शक्ति कम करने तथा उस के लिए उपभोग-परिभोग में आने वाले भोजन

पान, वस्त्र आदि पदार्थों के प्रकार एवं संख्या को मर्यादित करने का विधान करती है। यह मर्यादा एक-दो दिन आदि के रूप में सीमित काल तक अथवा जीवन पर्यन्त के लिये की जा सकती है। जैन साधना का शुद्ध उद्देश्य है—भोग से त्याग की ओर जाना। यदि एक दम पूर्ण त्याग न हो सके, तो धीरे-धीरे त्याग की ओर गति होती रहनी चाहिए। उपभोग एवं परिभोग के योग्य वस्तुओं की मर्यादा करना श्रावक का आवश्यक धर्म है। क्योंकि जीवन केवल भोग के लिए ही नहीं है, उससे परमार्थ की साधना भी करनी चाहिए।

उपभोग-परिभोगपरिमाण-व्रत :

सप्तम उपभोग-परिभोगपरिमाण व्रत है—उपभोग-परिभोग के योग्य वस्तुओं की मर्यादा करना। जी वस्तु एक बार भोगी जा चुकने के बाद फिर न भोगी जा सके—उस पदार्थ को भोगना, काम में लेना—उपभोग हैं। जैसे भोजन, पानी, अंग रचना एवं विलेपन आदि। जो वस्तु एक बार से अधिक बार काम में ली जा सके,—उस वस्तु को काम में लेना-परिभोग कहाता है। जैसे वस्त्र, अलङ्घार आदि।

अतिचार :

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत दो प्रकार का है—भोजन-सम्बन्धी और कर्म-सम्बन्धी। भोजनसम्बन्धी व्रत के पाँच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने के योग्य तो हैं, किन्तु आचरण के योग्य नहीं हैं। वे इस प्रकार हैं—

सचित्ताहार :

सचित्त पदार्थ का आहार। जैसे-धान्य, बीज, जल एवं वनस्पति आदि। उक्त वस्तुएँ जो सचित्त-त्याग के रूप में त्याग कर दी गई हैं, उन्हें भूल से खाना।

सचित्त-प्रतिबद्धाहार :

वस्तु तो अचित्त है, परन्तु उसको प्रत्याख्यात सचित्त वस्तु से सम्बन्धित कर के खाना, सचित्त प्रतिबद्ध आहार है।

अपवव^१. ओषधि-भक्षणता :

जो वस्तु पूर्ण पकव नहीं हैं, और जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते, ऐसी अधपकी चीज को खाना ।

दुष्पवव^२-ओषधि-भक्षणता :

जो वस्तु पकी हुई तो है, परन्तु बहुत अधिक पक गई है, और पक कर विगड़ गई है, अथवा देर में पकने वाली ऐसी वस्तु को खाना ।

तुच्छ-ओषधि-भक्षणता :

जिसमें क्षुधा-निवारक भाग कम है, और व्यर्थ का भाग अधिक है, ऐसी चीज को खाना । जैसे—मूँग आदि की कच्ची फली, जिससे पौष्टिक तत्व बहुत कम होता है ।

पन्द्रह कर्मादान

व्याख्या :

१. अंगार-कर्म :

कोयले बना कर बेचना, उससे अपनी आजीविका चलाना । इस कार्य में षट्काय के जीवों की बहुत अधिक हिंसा होती है, और लाभ कम होता है । कोयले के लिए हरे-भरे बृक्ष काट डाले जाते हैं ।

१. जो वस्तु पूर्ण पकव नहीं है,.....और जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते, ऐसी अर्धपवव चीज खाना.....!

— 'गृहस्थ-धर्म' भाग ३, पृ० ४५

अपवव अर्थात् अल्प (थोड़ी पकी हुई वनस्पति का भक्षण करना ।

—पू० धासीलालजी कृत उपासकदशांग टीका पू० ३० द

२. 'गृहस्थ-धर्म' भाग ३ पू० ४६ ।

चिरकाल से अग्नि की आँच द्वारा सीझने वाली तूम्ही, चमले-की फली आदि का भक्षण करना ।

पूज्य धासीलालजी, उपासक.....टो० पू० २०६ ।

२. वन-कर्म :

जङ्गल में से हरी लकड़ी, बांस आदि काटकर बेचना, और उस से अपनी आजीविका चलाना। इस में त्रस जीवों की भी बहुत बड़ी हिसा होती है।

३. साड़ी-कर्म :

बैल-गाड़ी अथवा घोड़ा-गाड़ी आदि द्वारा भाड़ा कमाना। अथवा गाड़ी आदि बाहन बनवा कर बेचना। किराये पर चलाना। इस में भी त्रस जीवों की बहुत हिसा होती है।

४. भाड़ी-कर्म :

जिस प्रकार अंगार कर्म और वन कर्म का परस्पर सम्बन्ध है, उसी प्रकार साड़ी कर्म और भाड़ी कर्म का भी आपस में सम्बन्ध है। साड़ी-कर्म में गाड़ी आदि बाहन मुख्य हैं और भाड़ी-कर्म में भाड़ा कमाने का हृष्टि से घोड़े-ऊँट एवं बैल आदि पशु मुख्य हैं।

५. फोड़ी-कर्म :

हल, कुदाली एवं सुरंग आदि से पृथ्वी को फोड़ना और उस में से निकले हुए पत्थर, मिट्टी एवं धातु आदि खनिज पदार्थ को बेचना स्फोट-कर्म है। अथवा भूमि खोदने का ठेका लेकर भूमि खोदना। उससे आजीविका करना। कृषि कर्म, फोड़ी-कर्म नहीं है। वह श्रावकत्व के लिए सर्वथा वर्जित भी नहीं है।

६. दान्त-वाणिज्य :

दांत का व्यापार करना। दांत लेना, खरीदना, और खरीद कर उसकी अन्य वस्तुएँ बनाकर बेचना। इस में दांत वाले पशु का वध होता है, अतः इसमें त्रसजीवों की बहुत बड़ी हिसा होती है।

लक्ष-वाणिज्य :

लाख का व्यापार करना। लाख वृक्षों का रस है। लाख निकालने में त्रसजीवों की बहुत हिसा होती है।

८. रस-वाणिज्य :

रस का व्यापार करना । यहाँ रस से मतलब मदिरा आदि से है । नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं करना चाहिए । मदिरा पान से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है । दूध एवं धी आदि का व्यापार रस-वाणिज्य में नहीं है । क्योंकि ये पदार्थ तो सात्त्विक हैं, जीवन का पोषण करते हैं ।

९. विष-वाणिज्य :

विष का व्यापार करना । संखिया अफीम, आदि जीवन नाशक पदार्थों की गणना विष में हैं । इसमें त्रसजीवों की हिसाई की सम्भावना बहुत अधिक है ।

१०. केश-वाणिज्य :

केश का व्यापार करना । यहाँ केशवाणिज्य से मतलब लक्षणा द्वारा केश वाली दासियों का खरीदना और बेचना है । इस प्रकार का व्यापार श्रावक के लिए वर्जित है ।

११. यन्त्रपीलन-कर्म :

यन्त्र द्वारा पीलने का कर्म करना । तिल का तेल और यन्त्र आदि का रस पील कर बेचना । इसमें त्रसजीवों की हिसाई की संभावना है ।

१२. निलंबन-कर्म :

पशुओं को खस्ती करके आजीविका करना । इस व्यवसाय से पशुओं को भयंकर वेदना होती है, और साथ में उनकी नस्ल भी खराब होती है ।

१३. दवागिन-दापनिकाकर्म :

वन दहन करना । भूमि को साफ करने में श्रम न करना पड़े, इसलिए वन में आग लगा देना । इसमें त्रसजीवों की बहुत अधिक हिसाई होती है ।

१४. सर-हृद-तडाग-शोषण-कर्म :

सरोवर, तालाब एवं नदी आदि के जल का सुखाना। इस से जल में रहने वाले त्रस जीर्णे की बहुत अधिक हिंसा होती है।

१५. असती-जन-पोषण-कर्म :

कुलटा स्त्रियों को रख़ा कर, उनका पोषण कर के उन्हें के द्वारा आजीविका चलाना। वेश्यावृत्ति करवाना। यह धंधा महान् पापपूर्ण है। अतः वर्जित है।

पन्द्रह कर्मदानों में दण्ड कर्म हैं, और पांच व्याणिज्य हैं। श्रावक के लिए मेर सब के सब त्याज्य है। श्रावकों को महान् पार्षे से, महासम्म से बचाने के लिए तथा उन्हें सभ्य सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए भगवान् ने कर्मदानों को निषिद्ध कहा है। पन्द्रह कर्मदान का त्याग श्रावक के मूल-ब्रतों में गुण उत्पन्न करने वाला है, त्याग बुद्धि को निर्मल बनाने वाला और चित्त को समाधि में रखने वाला है।

ये पन्द्रह कर्मदान सहस्रेण व्रत के अतिचारों में हैं। सातवें व्रत के लीस अस्तित्वार हैं, जिन में पांच तो भोजन सम्बन्धी हैं, और पन्द्रह धंधा सम्बन्धी हैं। श्रावक को वे जानने के योग्य तो हैं। किन्तु आचरण के योग्य नहीं हैं।

छब्बीस बोल की मर्यादा

व्याख्या :

१. उल्लणिया-विधि-परिमाण :

प्रातः काल ऊब मनुष्य उठ कर, शौच आदि से निवृत हो कर, अपने हाथ-मुँह को धोता है, तब पौछने के लिए वस्त्र-खण्ड की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के वस्त्र की मर्यादा करना।

२. दन्त-धावनविधि-परिमाण :

रात में सो कर उठे हुए मनुष्य के मुख में सांस-उसांस के आने-जाने

से मल संचित हो जाता है, डस्को साफ करने के लिए दन्त धावन किया जाता है। दातुन किया जाता है। दातुन के विषय में मर्यादा करना।

३. फल-विधि-परिमाण :

मस्तिष्क और बालों को स्वच्छ तथा शीतल करने के लिए प्राचीन युग में आंवले आदि फलों का प्रयोग किया जाता था। आंवला एवं त्रिफला आदि की मर्यादा करना।

४. अभ्यगन-विधि-परिमाण :

त्वचा (चमड़ी) आदि के विकारों को दूर करने के लिए तथा शरीर को बलवान रखने के लिए तैल से शरीर की मालिश करना, अभ्यगन कहा जाता है। मालिश करने में प्रयुक्त होने वाले तैल की मर्यादा करना।

५. उबटन-विधि-परिमाण :

शरीर पर लगी तैल की चिकनाहट को दूर करने के लिए, मैल को दूर करने के लिए तथा शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, प्राचीन काल में उबटन लगाया जाता था, आज के युग में साबुन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के उबटन की मर्यादा करना।

६. मज्जन-विधि-परिमाण :

अभ्यगन तथा उबटन करने के बाद में स्नान किया जाता था। स्नान के पानी की और स्नान की मर्यादा करना।

७. वस्त्र-विधि-परिमाण :

प्राचीन युग में मनुष्य बहुत कम वस्त्रों का उपयोग किया करता था। एक अधोवस्त्र और दूसरा डत्तरीय, बस, पुरुष के दो ही वस्त्र होते थे। और स्त्री के कंचुकी-सहित तीन। आज तो वस्त्रों की कोई सीमा नहीं रही है। वस्त्र स्वच्छ तो हों, परन्तु विकार पैदा करने वाले न हों। वस्त्रों की मर्यादा करना।

८. विलेपन-विधि-परिमाण :

शरीर को शीतल तथा सुशोभित करने के लिए चन्दन, केशर एवं कुंकुम आदि के विलेपन का प्रयोग किया जाता था और आज भी पाउडर आदि का प्रयोग होता है। इस प्रकार के पदार्थों की मर्यादा करना।

९. पुष्प-विधि-परिमाण :

फूलों के प्रति मनुष्य का बड़ा ही आकर्षण रहा है। वह माला बना कर पहनता है, एवं गुलदस्ते सजा कर रखता है। अस्तु, कौन से फूल लेना और कौन-से न लेना और वह भी किस रूप में तथा कितनी मात्रा में लेना, इस प्रकार पुष्प की मर्यादा करना।

१०. आभरण-विधि-परिमाण :

प्राचीन युग में स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते थे, और आज भी करते हैं। इस प्रकार आभूषणों की मर्यादा करना।

११. धूप-विधि-परिमाण :

धर में, स्वास्थ्य की हाष्ट से वायु आदि की शुद्धि के लिए धूप एवं अगरबत्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों की मर्यादा करना।

१२. पेय-विधि-परिमाण :

पीने योग्य परार्थों को पेय कहते हैं। अतः दूध, चाय एवं रस आदि पदार्थों की मर्यादा करना।

१३. भक्षण-विधि-परिमाण :

खाने योग्य पदार्थों को भक्षण कहा जाता है। अतः मिष्ठान एवं पाक आदि पदार्थों की मर्यादा करना।

१४. ओदन-विधि-परिमाण :

ओदन चावल (भात) को कहते हैं। वे अनेक प्रकार के होते हैं। उनकी मर्यादा करना।

१५. सूप-विधि-परिमाण :

सूप का अर्थ है – दाल। दाल अनेक प्रकार की है मूँग, डड़द आदि की। उनकी मर्यादा करना।

१६. विगय-विधि-परिमाण :

दुध, दहि, धृत, तेल एवं मिठाई आदि पदार्थ विकार उत्पन्न करने के कारण विकृत ; अर्थात् विगय कहलाते हैं। ये सामान्य विगय हैं। मधु और मैखन विशेष विगय है। मद्य और मांस महाविगय हैं। श्रावकों के लिए मदिरा और माँस का तो मूलतः ही निषेध होता है। शेष विकृतियों की मर्यादा करनी चाहिए।

१७. शाक-विधि-परिमाण :

भोजन के साथ व्यञ्जन-रूप में खाए जाते हैं, वे शाक होते हैं। उनकी मर्यादा करना।

१८. मधुर-विधि-परिमाण :

आम, जामुन, केला एवं अनार आदि हरे फलों को और दाढ़, बादाम एवं पिश्ता आदि सूखे फलों को मधुर कहते हैं। उनकी मर्यादा करना।

१९. जेमन-विधि-परिमाण :

जो पदार्थ भोजन के रूप में खाए जाते हैं, उनको जेमन कहते हैं। रोटा, बाटीं पूरी आदि। उनकी मर्यादा करना।

२०. पानी-विधि-परिमाण :

खारापानी, मीठा पानी, गरम पानी, और टंडा पानी, नदी का पानी आदि अनेक प्रकार का जल है। उनकी मर्यादा करना।

२१. मुख-वास विधि-परिमाण :

इलायची, पान एवं सुपारी आदि पदार्थों को मुख-वास कहते हैं। ये भोजन के बाद स्वाद के लिए खाए जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों की मर्यादा करना।

२२. उपानत्-विधि-परिमाण :

पैर में पहनने के प्रयोग जूते, खड़ाऊं स्लीपर आदि को उपानत् कहते हैं। उनकी मर्यादा करना।

२३. वाहन-विधि-परिमाण

वाहन का अर्थ है—सवारी। घोड़ा, उँट, हाथी, रथ, बैलगाड़ी, रेल, बोटर एवं साइकिल आदि। इनकी मर्यादा करना।

२४. शयन-विधि-परिमाण

सोने के प्रयोग में आने वाले पदार्थ शयन में आ जाते हैं; खाट, पाट, असात्-विछौना, आदि, उपलक्षण से कुर्सी, मेज आदि भी। उनकी मर्यादा करना।

२५. सचित्त-विधि-परिमाण :

सचित्त पदार्थों का अधिक-से-अधिक त्याग करना, साधक जीवन का लक्ष्य है। परन्तु सम्पूर्ण रूप में जब तक सचित्त पदार्थों का त्याग न हो सके, तो उनकी मर्यादा करना। इसको सचित्त की मर्यादा करना।

२६. द्रव्य-विधि-परिमाण :

संसार में उपभोग पदार्थ अनन्त है। मनुष्य अपने सीमित जीवन में उन सभी का उपभोग नहीं कर सकता। ऐसा होना सम्भवित भी नहीं है। अतः द्रव्यों (पदार्थों) की मर्यादा करनी चाहिए। इससे जीवन संयत बनता है। पूर्वोक्त २५ बोल के अतिरिक्त शेष सभी पदार्थ उक्त २६ वें बोल में आ जाते हैं।

छब्बीस बोलों में पहले से ग्यारह तक के बोल शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुशोभित करने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं। बीच के दश खाने-पीने में आने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं, और अन्त के शेष बोल शरीर आदि की रक्षा करने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं।

(३३)

अष्टम अनर्थ-दण्ड-विरमण-व्रत

मूल : अद्वृमं वयं अणद्व-वेरमणं । से य अणद्व-
दंडे चउविहेपन्नते ।

तं जहा—अवजभाणाचरिए, पमायाचरिए,
हिंसप्पयाणे, पाव-कम्मोवएसे ।

इच्चेवमाइयस्स अणद्वदंडासेवणस्स पच्च-
कखाणं । जावज्जीवाए, दुविहं तिविहेणं, न
करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा,
कायसा ।

एयस्स अद्वृमस्स अणद्वदंड-वेरमणस्स समणो-
वासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा, न
समायरियव्वा ।

तं जहा—कंदप्पे, कुकुइए, मोहरिए,
संजुत्ताहिगरणे, उवभोग-परिभोगाइरिते ।
जो मे देवसिओ अइयारो कओ, तस्स
मिच्छामि दुक्कडं ।

अर्थ : अष्टमव्रत है—अनर्थदण्ड से विरत होना । वह
अनर्थ-दण्ड चार प्रकार का है ।

जैसे कि—अपध्यान (बुरा चिन्तन) आचरित करना,
प्रमाद का आचरण करना, हिंसाकारी शस्त्र आदि
का बनाना एवं देना, पापकर्म का उपदेश करना ।

इत्यादि अनर्थदण्ड के सेवन का प्रत्याख्यान (त्याग) करना ।

जीवनपर्यन्त, दो करण, तीन योग्य से न करूँ, न कराऊँ, मन से, वचन से, काय से ।

इस अष्टम अनर्थ-दण्डविभण-व्रत के श्रमणोपासक को पांच अतिचार जानने के योगम हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं ।

जैसे कि—काम-उद्धीपक-कथा करना, भाण्ड की तरह कुचेष्टा करना, बिना प्रयोजन के अधिक बोलना, अधिकरण (हिंसाकारी साधन) का संग्रह करना, उपभोग-परिभोग की वस्तुओं का मर्यादा से अधिक रखना ।

जो मैंने दिवससम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उस का पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

व्याख्या :

अनर्थदण्ड

मनुष्य यदि अपने जीवन को विवेक-शून्य एवं प्रमत्त रखता है, तो बिना प्रयोजन भी वह हिंसा आदि कर बैठता है । मन, वचन और काय को सदा संयत रखना चाहिए । प्रत्येक क्रिया विवेक तथा यतना से करनी चाहिए । अप्रोप्त भोगों के लिए मन में लालसा रखना । प्राप्त भोगों की रक्षा के लिए चिन्ता करता । बुरे विचार एवं बुरे संकल्प रखना । पापकार्य के लिए किसी को बेरणा देना, परामर्श देना । होथ एवं मुख आदि से अभद्र चेष्टाएँ करना । कामभोगसम्बन्धी वार्तालाप में रस लेना, बात-बात में गाली-गलौज करना । व्यर्थ में हिंसाकारक शस्त्रों का संग्रह करना । आवश्यकता से अधिक भोग-सामग्री एकत्र करना । तेल एवं घृत आदि के पात्र बिना ढ़के खुले मँह रखना । यह सब अनर्थ-दण्ड है ।

विना प्रयोजन की हिसाहै। साधक को उक्त सब अनर्थ-दण्डों से निवृत रहना चाहिए।

अनर्थ-दण्डविरमण-व्रतः

अष्टम व्रत है—अनर्थदण्ड से विरत होना। वह अनर्थ-दण्ड चार प्रकार का है। जैसे कि—

अपध्यानाचरितः

जो ध्यान अप्रशस्त है, बुरा है—वह अपध्यान है। ध्यान का अर्थ है—किसी भी प्रकार के विचारों में चित्त की एकाग्रता। व्यर्थ के बुरे संकल्पों में चित्त को एकाग्र करने से जो अनर्थ-दण्ड होता है, उसको अपध्यानाचरित अनर्थदण्ड कहते हैं। अपध्यान के दो भेद हैं—आर्त-ध्यान और रौद्रध्यान।

प्रमादाचरितः

प्रमाद का आचरण करना। प्रमाद से आत्मा का पतन होता है। प्रमाद पांच हैं—मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। ये पांच प्रमाद अनर्थ-दण्डरूप हैं। अमर्यादितरूप निद्रा भी साधक के लिए त्याज्य है।

हिस्स-प्रदानः

हिसा में सहायक होना। जितसे हिसा होती है, ऐसे अस्त्र, शस्त्र आग, विष आदि हिसा के साधन अन्य विवेकहीन व्यक्तियों को दे देना, हिसा में सहायक होना है।

पापोपदेशः

पापकर्म का उपदेश देना है। जिस उपदेश से पाप-कर्म में प्रवृत्ति हो, पाप-कर्म की अभिवृद्धि हो, उपदेश सुनने वाला पाप-कर्म करने लगे, वह उपदेश अनर्थ-दण्डरूप है।

अतिचारः

अनर्थ-दण्ड-विरमणव्रत के पांच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को

जानने योग्य तो है, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं है। वे इस प्रकार से हैं—

कन्दर्प :

कामवासना प्रवल करने वाले तथा मोह उत्पन्न करने वाले शब्दों को हास्य में या व्यञ्ज में, दूसरे के लिए उपयोग करना।

कौत्कुच्य :

आँख, नाक, मुँह, भ्रुकुटि आदि अपने अंगों को विकृत बना कर भाष्ट एवं विदूषक की भाँति चेष्टाएँ करना।

मौख्य :

बिना प्रयोजन के अधिक बोलना, अनर्गल बातें करना, व्यर्थ की बकवास करना और किसी की निन्दा-चुगली करना।

संयुक्ताधिकरण :

कूटने और पीसने आदि के काम में आने वाले घर के साधनों का जैसे—ऊखल, मूसल, चक्की एवं लोड़ी आदि वस्तुओं का—अधिक तथा निष्प्रयोजन संग्रह करके रखना।

उपभोग-परिभोगातिरिक्त :

उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत स्वीकार करते हुए जो पदार्थ मर्यादा में रखे हैं, उनमें अत्यन्त आसक्त रहना, उनका बांर-बार उपयोग करना उनका उपयोग स्वाद के लिए करना। जैसे भूख न होने पर भी स्वाद के लिए खाना। शरीर रक्षा के लिए नहीं, मौज-शौक के लिए वस्त्र पहनना आदि।

: ३४ :

नवम सामाधिक-व्रत

मूल : नवमं सामाइयव्यं सावज्ज-जोग-वेरमण-
रूवं । जावनियमं पज्जुवासामि । दुविहं

तिविहेरां, न करेमि न कारवेमि, मणसा,
वयसा, कायसा ।

एयस्स नवमस्स सामाइच्चयस्स समणोपास-
एरां पंच अइयारा जाणियच्चा, न समाय-
रियच्चा ।

तं जहा—मण-दुष्पणिहाणे, वय-दुष्पणिहाणे-
काय-दुष्पणिहाणे, सामायस्स सइ अकरणया
सामाइयस्स अणवट्टियस्स करणया ।

जो मे देवसियो अइयारो कथो, तस्स मिच्छा
मि दुक्कडँ ।

अर्थ : नवम सामायिक व्रत है—सावद्ययोग से विरत होना ।
जब तक नियम में रह कर पर्युपासना करूँ, तब तक
दो करण तीन योग से, (पापकर्म) न करूँ, न कराऊँ
मन से, वचन से, काय से ।

इस नवम सामायिक व्रत के श्रमणोपासक को पांच
अतिचार जानने के योग्य हैं, (किन्तु) आचरण के
योग्य नहीं है ।

जैसे कि—मन से दुष्प्रणिधान (सावद्यव्यापार का
चिन्तन) करना, वचन से सावद्यव्यापार-सम्बन्धी
भाषण करना, काय से सावद्यव्यापार करना,
सामायिक करने की स्मृति न रखना, सामायिक
अव्यवस्थित रूप में करना, (समय से पूर्व ही पार
लेना आदि, या समय पर न करना आदि) ।

जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

व्याख्या :

सामायिक :

जैन-धर्म की साधना में सामायिक का बड़ा महत्व है । सामायिक का अर्थ है—समभाव की साधना । संसार के प्रपञ्चों से अलग हो कर, राग-द्वेष के दब्दों से हट कर, जीवन को निरवद्य, निष्पाप एवं पवित्र बनाना ही समत्व-भाव है, समताभाव है । परन्तु गृहस्थ जीवन में समभाव की साधना कितनी और कैसी हो सकती है ? यह एक प्रश्न है । गृहस्थ—एक गृहस्थ है, वह साधु नहीं है, जो जीवनभर के लिए सब पाप-व्यापारों का पूर्ण रूप से परित्याग करके, पूर्ण समभाव का पवित्र जीवन बिता सके । अतः उसे प्रतिदिन कम से कम अमुक मर्यादा के साथ एक मुहूर्त (अड़तालीस मिनट) के लिए तो सामायिक व्रत धारण करना ही चाहिए । गृहस्थ की सामायिक-साधु की पूर्ण सामायिक के अभ्यास की भूमिका है । वह दो घड़ी का आध्यात्मिक स्नान है । जो जीवन को निष्पाप, निष्कलंक एवं पवित्र बनाता है ।

सामायिक-व्रत :

नवम सामायिक व्रत है—सावद्ययोग से विरत होना । सामायिक व्रत एक अध्यात्मसाधना है, परन्तु उसे करने से पूर्व शुद्धि की आवश्यकता है । शुद्धि चार प्रकार की होती है, जो इस प्रकार से है—
द्रव्य-शुद्धि :

सामायिक के लिए जो उपकरण हैं; जैसे—वस्त्र, पुस्तक, रजोहरणी, मुखवस्त्रिका एवं आनंद आदि—उन सभी का छशु एवं उपयोगी ना होआवश्यक है ।

क्षेत्र-शुद्धि :

जहाँ सामायिक की जाती है, उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं। शान्त वातावरण और एकान्तरूप में क्षेत्र की शुद्धि भी आवश्यक है।

काल-शुद्धि :

सामायिक प्रातःकाल आदि ऐसे शान्ति के समय में करनी चाहिए, ताकि वह अनुद्वेग, शान्त और निर्विघ्नता के साथ हो सके। इसका भी विचार रखना चाहिए कि सामायिक के काल में ही सामायिक की जाए भाव-शुद्धि :

सामायिक करते समय भाव-शुद्धि भी आवश्यक है। मन की यवित्रता एवं शुभ संकल्प रखना भाव-शुद्धि है।

अतिचार

सामायिकव्रत के पाँच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने योग्य तो हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं। वे इस प्रकार हैं—

मनो-दुष्प्रणिधान :

मन में बुरे संकल्प विकल्प करना। मन को सामायिक में न लगा कर सांसारिक कार्य में लगाना।

वचन-दुष्प्रणिधान :

सामायिक में कटु, कठोर, निष्ठुर, असभ्य तथा सावद्य वचन बोलना, किसी की निन्दा करना, आदि।

काय-दुष्प्रणिधान :

सामायिक में चंचलता रखना। शरीर से कुचेष्टा करना, बिना कारण शरीर को फैलाना और समेटना अन्य किसी प्रकार की सावद्य चेष्टा करना, आदि :

सामायिक-स्थितिभूत्सः :

'मैंने सामायिकी है', इसबात को ही भूल जाना, सामायिक कब

ली और वह कब पूरी होगी, इस बात का "ईयोन" न "रखना", अथवा समय पर सामायिक करना ही भूल जाना ।

सामायिकानवस्थिति :

सामायिक की साधना से ऊबना, सामायिक का काल पूर्ण हुए बिना ही सामायिक पार लेना । सामायिक के प्रति आदर-बुद्धि न रखना, आदि ।

: ३७ :

दशम देशावकाशिक-व्रत

मूलः दसमं देसावगासियव्ययं दिण-मजभे पच्चूस-
कालाओ आरब्म पुञ्चादिसु छस्सु दिसासु
जावइयं परिमाणं क्यं, तओ अइरित्तं सेच्छाए
काएण गंतूणं, अन्ने वा पहिउण, पंच
आसवा-सेवणस्य पच्चक्खाणं ।

जाव अहोरत्तं, दुविहं तिविहेण- न करेमि-
न कारवेमि- मणसा- वयसा- कायसा ।
अह य छस्सु दिसासु जावइयं परिमाणं क्यं-
तम्मजभे वि जावइयाणं दब्बाणं परिमाणं
क्यं- तओ अइरित्तस्स उवभोग-परिभोगस्स
पच्चक्खाणं ।

जाव अहोरत्तं- एगविहं तिविहेण- न करेमि
मणसा- वयसा- कायसा ।

एयस्य दसमस्य देसावगासियव्वयस्स
समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा-
न समायरियव्वा ।

तं जहा—आणवणप्पओगे- पे सवणप्पओगे-
सदाणुवाए, रुवाणुवाए, बहियापुगल प-
क्खेवे । जो मे देवसिओ अइयारो कओ-
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थः

दशम देशावकाशिक व्रत है—दिन में प्रातःकाल से
ले कर पूर्वादि छह दिशाओं में जितनी भूमि का
परिमाण (मर्यादा) किया, उसके अतिरिक्त अपनी
इच्छा से स्वयं शरीर से जा कर, अथवा अन्य को
भेज कर, पाँच आश्रव के सेवन का प्रत्याख्यान
(त्याग) करना ।

यावत् दिन-रात-पर्यन्त, दो करण तीन योग से,
(आश्रव-सेवन) न करूँ, न कराऊँ, मन से, वचन
से, काय से । अथवा

छह दिशाओं में जितना परिमाण किया, उस
में भी जितने द्रव्यों का परिमाण किया, उसके
अतिरिक्त उपभोग-परिभोग का प्रत्याख्यान (त्याग)
करना ।

यावत् दिन-रात तक, एक करण तीन योग से,
(हिंसा, असत्य आदि आश्रव-सेवन) न करूँ, मन
से, वचन से, काय से ।

इस दशम देशावकाशिक-व्रत के श्रमणोपासक को पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, (किन्तु) आचरण करने के योग्य नहीं हैं।

जैसे कि — मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगाना, मर्यादित क्षेत्र से बाहर वस्तु भेजना, शब्द के द्वारा मनोगत भाव का ज्ञान कराना, रूप दिखा कर मनोगत भाव प्रकट करना, कंकर आदि पुद्गल (वस्तु) फेंक कर मनोगत भाव प्रकट करना। जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो।

व्याख्या

देशावकाशिक :

परिग्रहपरिमाण-व्रत, दिशापरिमाण-व्रत और उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रत की जीवन भर की प्रतिज्ञा को और अधिक व्यापक एवं विराट् बनाने के लिए देशावकाशिक-व्रत ग्रहण किया जाता है। दिशा-परिमाण-व्रत में गमन-आगमन का क्षेत्र जीवन पर्यन्त के लिए सीमित एवं मर्यादित किया जाता है। प्रस्तुत व्रत में उस सीमित क्षेत्र को एक दो दिन आदि के लिए और अधिक सीमित कर लिया जाता है। देशावकाशिक-व्रत की साधना में क्षेत्र-सीमा का संकोच होता है, साथ में उपभोग्य सामग्री की सीमा भी सकुचित हो जाती है। देशावकाशिक-व्रत की प्रतिज्ञा हर रोज़ की जाती है।

देशावकाशिक-व्रत :

दशम देशावकाशिक-व्रत है — प्रतिदिन क्षेत्र आदि की मर्यादा को कम करते रहता। जैन-धर्म त्याग-लक्षी है। जीवन को अधिक से अधिक त्याग की ओर झुकाना ही साधना का मुख्य ध्येय है। प्रस्तुत व्रत में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

अतिचार :

देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने योग्य तो हैं। (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं—
आनयन-प्रयोग :

मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए सचित्तादि पदार्थ किसी को भेज कर अन्दर में मँगवाना, अथवा समाचार मँगवाना।

प्रेष्य-प्रयोग :

मर्यादा से बाहर की भूमि में अन्दर में से किसी दूसरे के द्वारा कोई पदार्थ अथवा सन्देश भेजना।

शब्दानुपात :

मर्यादा के बाहर की भूमि से सम्बन्धित कार्य के आ पड़ने पर, मर्यादा की भूमि में ही रह कर शब्द के द्वारा, अर्थात् खंखार कर, चुटकी आदि बजा कर, दूसरे को अपना भाव प्रकट कर देना, जिससे वह व्यक्ति विना कहे ही संकेतानुसार कार्य कर सके। यह उक्त व्रत का दूषण है।

रूपानुपात :

मर्यादा में रखी हुई भूमि के बाहर का यदि कोई कार्य आ पड़े, तो शरीर की चेष्टा करके, औँच का इशारा करके या शरीर के अन्य किसी अङ्ग के संकेत से दूसरे व्यक्ति को अपना भाव प्रकट करके, विना कहे ही उससे काम करा लेना।

बाह्य पुद्गल-प्रक्षेप :

मर्यादित भूमि के बाहर का कार्य आ जाने पर कंकर मार कर; ढेला फेंक कर, अथवा अन्य कोई वस्तु फेंक कर दूसरे को अपना संकेत करना, आदि।

श्रावक के चौदह नियम

श्रमण-संस्कृति का मूल लक्ष्य है—भोग से त्याग की ओर जाना। श्रावक के जीवन में विवेक का उक्त शब्द हो गा चाहिए। बिना विवेक के हेतु एवं उपादेय का बोध नहीं हो सकता। क्या छोड़ने योग्य है, और क्या प्रह्लण करने योग्य है? यह जानना परम आवश्यक है। विवेकी श्रावक की सदा यह भावना रहा करती है, कि मैं आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके असंयम से संयम की ओर बढ़ता रहूँ। श्रावक के लिए प्रतिदिन चौदह नियम चिन्तन करने की जो परम्परा है' वह इस देशावकाशिक व्रत का ही एक रूप है। श्रावक के चौदह नियत इस प्रकार हैं—

१. सचित्त :

पृथ्वी, जल, वनस्पति, अग्नि और फल-फूल, धान, बीज आदि सचित्त वस्तुओं का यथाशक्ति त्याग करना।

२. द्रव्य :

जो वस्तुएँ स्वाद के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार से तैयार की जाती हैं, उनके सम्बन्ध में यह परिमाण करे, कि आज मैं इतने द्रव्यों से अधिक द्रव्य उपभोग में न लूँगा।

३. विग्रय :

शरीर में विकृति एवं विकार को उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विग्रय कहा गया है। जैसे—दुर्घट, दधि, घृत, तैल तथा मिठाई। उक्त पदार्थों का यथाशक्ति त्याग करे, अथवा मर्यादा करे, कि इससे अधिक न लूँगा। ये पांच सामान्य विग्रय हैं, और मधु एवं मक्खन—ये दो विशेष विग्रय हैं। इन विशेष विग्रयों का बिना कारण के उपभोग करने का त्याग करे, और कारणवश उपभोग करने की मर्यादा करे। मदिरा एवं मांस—ये दो महाविग्रय हैं। श्रावक को इन दोनों का जीवन भर के लिए सर्वथा त्याग करना चाहिए।

४. पन्नी :

‘पन्नी’ शब्द प्राकृत का है। इसका अर्थ है—उपानत् अर्थात् जूते, बूंट, खड़ाऊँ तथा मौजे भी पन्नी में आते हैं, इनका त्याग करे, अथवा मर्यादा करे।

५. ताम्बूल :

ताम्बूल का अर्थ है—पान। भोजन के बाद में मुखशुद्धि के लिए पान खाया जाता है। पान की, तथा उपलक्षण से सुपारी एवं इलायची आदि मुखवास की मर्यादा करे।

६. वस्त्र :

पहनने, ओढ़ने तथा बिछाने के कपड़ों की मर्यादा करे।

७. कुसुम :

फूल, फूलों की माला और इतर-तेल आदि सुगन्धित पदार्थों की मर्यादा करे।

८. वाहन :

वाहन का अर्थ है—सवारी। गज, अश्व, ऊँट, गाड़ी, तांगा, रिक्षा, मोटर, रेल, जहाज, नाव एवं वायुयान आदि सवारी के साधनों का यथाशक्ति त्याग करे या मर्यादा करे।

९. शयन :

शय्या, पलंग, खाट, बिस्तर, मेज, बैंच और कुर्सी आदि की मर्यादा करे।

१०. विलेपन :

शरीर पर लेप करने योग्य पदार्थों का—जैसे, केशर, कस्तूरी अगर-तंगर, चन्दन, साबुन और तेल आदि—त्याग करे, या मर्यादा करे।

११. ब्रह्मचर्य :

स्थूल ब्रह्मचर्य— स्वदार-सन्तोषरूप एवं परदार-वर्जनरूप व्रत स्वीकार करते समय जो अमुक दिनों की मर्यादा रखी है, उसका भी यथाशक्ति त्याग करे, या उसमें संकोच करे।

१२. दिशा-मर्यादा :

दिशापरिमाण-व्रत स्वीकार करते समय गमन एवं अगमन के लिए जो क्षेत्र-मर्यादा की थी, उस क्षेत्र को और अधिक मर्यादित करे, संकोच करे।

१३. स्नान

श्रावक शरीर-शुद्धि के लिए स्नान करता है। वह स्नान दो प्रकार का है—देशस्नान एवं सर्वस्नान। शरीर के कुछ भाग को धोना—जैसे हाथ धोना, पैर धोना एवं मुँह धोना—यह देशस्नान है। शरीर के समस्त भाग को धोना सर्वस्नान है। स्नान की मर्यादा करना, अथवा सर्वथा त्याग कर देना।

१४. भक्त :

भोजन-पानी के सम्बन्ध में भी मर्यादा करे, कि आज मैं इतने से अधिक न खाऊंगा, न पीऊंगा।

उक्त चौदह नियम श्रावक के दैनिक कर्तव्यरूप में हैं। यथा-शक्ति उक्त पदार्थों का त्याग करना, अथवा त्याग न कर सके तो मर्यादा करना। चौदह नियमों का पालन श्रावक अपनी त्यागशक्ति को विकसित करने के लिए ही करता है। वह इन नियमों का पालन कर के धीरे, धीरे भोग से त्याग की ओर बढ़ता है।

: ३८ :

एकादश पौष्टि-व्रत

मूल : एककोरसमं पोसहोववासव्यं। असण-पाण-
खाइम-साइम-पच्चकखाणं।

अबंभ-पच्चकखारां, मणि-सुवरणाइ-पच्च-
कखारां, रांसतला-वरणग-विलेवणाइ-पच्च-
कखा, ६८-मुसलाइ-सावज्ज-जोग-पच्च-
कखारां ।

जाव अहोरत्तं, पञ्जुवासामि । दुविहं तिवि-
हेणां, न करेमि न कारवेमि, मणसा,
वयसा, कायसा ।

एयस्स एककारसमस्स पोसहोववासव्यस्स
समणोवासएणां पंच अइयारा जाणियव्वा
न समायरियव्वा ।

तं जहा—अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-
सिज्जासंथारए, अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय
सिज्जासंथारए, अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय
उच्चारपासवणभूमि, अप्पमज्जिय - दुप्प-
मज्जिय उच्चार-पासावणभूमि, पोसहोववा-
सस्स सम्मं अणणुपालण्या ।

जो मे देवसिओ अइयारो कओ, तस्स
मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ :

ग्यारहवाँ पौष्टि या पौष्टिपवास-ब्रत है—अशन
(भोजन) पान (पानी), खादिम (खाने योग्य),
स्वादिम (स्वाद योग्य) वस्तुओं का प्रत्याख्यान
(त्याग) करना ।

अब्रह्मचर्य (मैथुन) सेवन का त्याग करना, मणि (रत्न)सोना आदि का त्याग करना, माला, रंग, विलेपन आदि का त्याग करना, शस्त्र मुसल आदि सावद्य व्यापार का त्याग करना ।

यावत् अहोरात्र (दिन-रात तक) पौ का धषतव्रपालन करना । दो करण तीन योग से (अब्रह्मसेवन आदि) न करूँ न कराऊँ, मन से, वचन से, काय से-इस एकादश पौषधोपवास व्रत के श्रमणोपासक को पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं ।

जैसे कि—शश्या-संथारे का मूलतः प्रतिलेखन (निरीक्षण) न किया हो, अथवा विवेक से ठीक तरह न किया हो, शश्या-संथारे की प्रमार्जन (यतना) न की हो, अथवा विवेक से ठोक तरह न की हो, उच्चारण-पासवण (मल-मूत्र) की भूमि (स्थान) का प्रतिलेखन न किया हो, अथवा विवेक से ठीक तरह न किया हो, उच्चार-पासवणभूमि का प्रमार्जन न किया हो, अथवा विवेक से प्रमार्जन न किया हो, पौषधोपवासव्रत का विधिवत् पालन न किया हो । जो मैंने दिवस-सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो ।

व्याख्या :

पौषध :

पौषध सांसारिक जीवन-संघर्ष की सीमा को और अधिक संकुचित कर देता है । एक अहोरात्र के लिए सचित्त वस्तुओं का, शस्त्र का, पाप-

व्यापार का, भोजन-पान का तथा अब्रह्मचर्य का परित्याग करना पौष्टि व्रत है। पौष्टि में साधक की दशा प्रायः साधु जैसी हो जाती है। संसार के प्रपञ्चों से सर्वथा अलग रह कर, एकान्त में स्वाध्याय, ध्यान तथा आत्म-चिन्तन आदि धार्मिक क्रियाएँ करते हुए जीवन को पवित्र बनाना इस व्रत का लक्ष्य है। साधक इसमें साधु-जैसी चर्या का पालन करता है। उसका वेष भी प्रायः साधुतुल्य रहता है।

*पौष्टि-व्रत :

ग्यारहवाँ पौष्टि-व्रत है—आहार आदि का त्याग करके एकान्त धान में रह कर, धर्म-चर्या का पालन करना। पौष्टि-व्रत के चार अंग हैं। वे इस प्रकार।

आहार-पौष्टि :

चारों आहारों का त्याग करना। भौजन-पान आदि खाद्य एवं पेय सभी आहार-सम्बन्धी द्रव्यों का त्याग करके आत्म-भाव की साधना में लीन होना।

शरीर-संस्कार-पौष्टि :

स्नान, उबटन, विलेषन पुष्प, गन्ध, आभूषण, और वस्त्र आदि से शरीर को सजाने का त्याग करना।

ब्रह्मचर्य-पौष्टि :

तीव्र मोहोदय के कारण वेद-जन्य चेष्टारूप मैथुन एवं मैथुन के अंगों का त्याग करना, और आत्म-भाव में रमण करना तथा धर्म का पोषण करना।

अव्यापार-पौष्टि :

समस्त गृहकार्य आदि सावद्यव्यापार का त्याग करके संवर-भाव की साधना में लीन रहना। सचित का संघटा भी न करना।

पौधव्रत की साधना को एकमात्र यही उद्देश्य है, कि जीवन में भोग ही न रह कर त्याग भी आए ।

अतिचार :

पौधव्रत के पाँच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने के योग्य तो हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं । वे इस प्रकार हैं—

अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित-शय्या-संस्तारक :

पौष्टि-काल में काम में लिए जाने वाले शय्या—मकान, पाट, बिछौना, एवं संथारा आदि का तथा उपकरणों का प्रतिलेखन न करना अथवा विधि-पूर्वक प्रतिलेखन न करना ।

अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित-शय्या-संस्तारक

मकान, पाट, विस्तर एवं धर्मोपकरण आदि का प्रमार्जन न करना अथवा विधि-पूर्वक प्रमार्जन न करना ।

अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित-उच्चारप्रस्त्रवगभूमि :

शरीरधर्म से निवृत्ति होने के लिए अर्थात् मल-मूत्र के त्याग के लिए भूमि का प्रतिलेखन न किया हो, अथवा विधि-पूर्वक न किया हो ।

अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित-उच्चारप्रस्त्रवणभूमि :

मल-मूत्र के त्यागने के लिए भूमि का प्रमार्जन न किया हो, अथवा विधि-पूर्वक प्रमार्जन न किया हो ।

पौष्टिकोपवास-समननुपालन :

पौष्टिकव्रत का विधिवत् पालन न करना, अथवा सम्यक् रीति से पूरा न करना । समय से पूर्व ही पौष्टि पार लेना आदि ।

विशेष ज्ञातव्य :

यह पौष्टि चौविहार या तिविहार दोनों तरह से हो सकता है । जब तिविहार करना हो, तो पाठ में ‘पाण’ शब्द का प्रयोग न करना

चाहिए। कुछ लोग पानी लेने पर दशवाँ पौष्ठ भानते हैं और इसके लिए देशावकाशिक-व्रत का पाठ पढ़ते हैं। परन्तु यह धारणा गलत है, दशवाँ व्रत पौष्ठ-व्रत नहीं है।

और आज-कल जो दया का रूप प्रचलित है, यह भी पौष्ठ ही है। इसीलिए इसे दया-पौष्ठ भी कहा जाता है। उक्त क्रिया में 'असण-पाण-खाइम-साइम-पच्चक्खाण' यह पाठाँश न कहना चाहिए। शेष अंश ज्यों का त्यों है।

: ३६ :

द्वादश अतिथि-संविभाग-व्रत

मूल :

बारसम अतिहि-संविभागव्यं समणे निगगंथे
फासुएणं, एसणिज्जेणं, असण-पाण-खाइम-
साइमेणं, वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पाय-पुछ्येणं,
पाडिहारिएणं पीढ-फलग-सिज्जा-संथारएणं
ओसह-भेसज्जेणं य पडिलाभेमाणे विहरामि ।
एयस्स बारसमस्स अतिहि-संविभागव्यस्स
समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा,
न समायरियव्वा ।

तं जहा—सचिच्च-निक्खेवणया, सचिच्च-
पिहणया, कालाइक्कमे, पर ववएसे, मच्छ-
रिया ।

जोमे देवसिओ अइयारो कओ, तस्स
मिच्छा मि दुक्कडं ।

अर्थ : द्वादशवाँ अतिथि-संविभाग व्रत है—श्रमण निर्गन्ध को अचित्त (प्रासुक) तथा एषणीय (कल्पनीय) भोजन, पानी, खादिम (खाने योग्य), स्वादिम (स्वाद योग्य) वस्त्र, प्रतिग्रह (पात्र), कम्बल, पाद-प्रोत्तछन (पेर पोंछना), प्रातिहारिक (जो वस्तु गृहस्थ को वापिस लौटाई जा सके ऐसे), पीठ, फलक (पट्टा), शय्या (वसति आदि), संथारा (घास का बिछौना आदि), औषधि, भैषज्य (अनेक औषधियों का एक संमिश्रण) आदि का प्रतिलाभ (दान) देना।

इस बारहवें अतिथिसंविभागव्रत के पांच अतिचार श्रमणोपासक को जानने योग्य हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं।

जैसे कि—अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु पर रखन अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु से ढांकना काल क अतिक्रमण करना, अपनी वस्तु को (न देने की इच्छा से) दूसरे की बताना, मत्सरभाव से (ईर्ष्याभाव से) दान देना।

जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किए हों, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो।

व्याख्या :

अतिथि-संविभाग :

अतिथि-संविभाग का अर्थ है—आतिथि के लिए विभाग करना। अतिथि का सत्कार करने के लिए अपने भोजन आदि पदार्थों में से उचित विभाग प्रदान करना—अतिथि-संविभाग है। गृहस्थ के घर का द्वार जन सेवा के लिए सदा खुला रहना चाहिए। यदि कभी साधु-साध्वी आएँ, तो भक्तिभाव के साथ उनको योग्य कल्पनीय आहार आरि

देना चाहिए । यदि कोई अन्य अतिथि भी आए, तो उसका भी योग्य आदर होना चाहिए । गृहस्थ के द्वार पर से यदि कोई व्यक्ति भूखा एवं निराश लीट कर जाता है, तो यह समर्थ गृहस्थ के लिए एक पाप है । अतिथिसंविभाग-व्रत इसी पाप से बचने के लिए है ।

अतिथि-संविभागव्रत :

द्वादशवां अतिथि-संविभाग व्रत है—द्वार पर आए अतिथि का अपने भोजन आदि में से विभाग करना । मनुष्य संग्रह हा संग्रह न करता रहे साथ में देना भी सीखें । लेने के साथ देना भी आवश्यक है । प्रस्तुत व्रत में त्याग की शिक्षा दी गई है । मनुष्य को अपनी सम्पत्ति आदि का व्यामोह होता है और निरन्तर संग्रह भी करता रहता है । परन्तु यदि त्यागना नहीं सीखेगा, तो फिर वह जीवन पवित्र को केसे बनाएगा ? परिग्रह का बन्धन संसार में सब से बड़ा बन्धन है । त्याग के द्वारा उस बन्धन को तोड़ना, यही उद्देश्य प्रस्तुत व्रत का है । इसमें दान देने की शिक्षा दी गई है ।

अतिचार :

अतिथिसंविभाग व्रत का मुख्य सम्बन्ध त्यागी साधु से है । अतः तत्सम्बन्धी पांच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने योग्य तो हैं, कन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं । वे इस प्रकार हैं—

सचित्त-निषेप :

जो पदार्थ अचित्त होने के कारण मुनि के ग्रहण करने के योग्य है, उस को सचित्त पदार्थों पर रख देना, जिससे कि सचित्त-संस्पर्श का भी त्यागी होने से मुनि ग्रहण न कर सके ।

सचित्त-परिधान :

सचित्त पदार्थ को सचित्त पदार्थ से ढकना, यह भी उत्त का वृत्त दुष्ण है ।

कालातिक्रम :

भोजन का यथाप्राप्त समय टाल कर भोजन बनाना और खाना जिससे कि भोजन के संभावित अवसर पर कोई अतिथि आ जाय, तो न देना पड़े ।

परोपदेश :

वस्तु देनी न पड़ जाए, इसलिए यह कहना कि यह वस्तु तो मेरी नहीं है; यह भी व्रत का दोष है ।

मात्सर्य :

स्वयं को तो सहजभाव से देने की भावना नहीं है; परन्तु दूसरों को दान देते देखकर ईर्ष्यभाव से दान करना, कि ये करते हैं, तो मैं भी करूँ । मैं दान करने में दूसरों से कम नहीं हूँ । अहंकार से दान निर्मल नहीं रहता ।

: ४० :

संलेखना-सूत्र

विधि-सूत्र :

मूल : अपच्छ्वम-मारणंतिय-संलेहणा-समये पोसह-
सालं पडिलेहित्ता, पोसह-सालं पमजित्ता,
दब्भाइ-संथारयं संथरित्ता, दुरुहित्ता, उत्तर-
पुरत्थाभिमुहे संपलियंकाइ-आसणे निसीइत्ता
करयल-परिग्गहियं, दस-नहं सिरसावचं,
मत्थए अंजलिं कट्ठु एवं वड्ससामि ।
नमोऽत्थु णं अरिहंताणं- भगवंताणं जाव
संपत्ताणं ।

न मोऽत्थु णं मम धर्मायरियस्स जाव संपाविउं-
कामस्स ।

वन्दामि णं भगवंतं तत्थ-गयं, इहगए, पासउ
मे भगवं ! तत्थ-गए, हइ-गयं ति कट्ठु वंदित्ता
नमंसित्ता, एवं वइस्सामि ।

प्रतिज्ञा-सूत्र :

पुच्चिं च णं मए पाणाइवाए, पच्चकखाए,
जाव मिच्छादंसण-सल्लं पच्चकखाए ।

इयाणि पि णं अहं सब्बं पाणाइवायं पच्च-
कखामि । सब्बं मुसावायं पच्चकखामि । सब्बं
अदिन्नादोणं पच्चकखामि ! सब्बं मेहूणं
पच्चकखामि । सब्बं परिग्गहं पच्चकखामि ।
सब्बं कोहं जाव मिच्छादंसणसल्लं अकरणि-
जं जोगं पच्चकखामि ।

जोवज्जीवाए, तिविहं तिविहेणं, न करेमि, न
कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-
जाणामि । मणसा, वयसा, कायसा ।

सब्बं असण-पाण-खाइम-साइमं चउच्चिहं पि
आहारं पच्चकखामि ।

जावज्जीवाए—जं पि य इमं सरीर इट्ठं, कंत, पियं, मणुएणं मणामं धिज्जं, वेसासियं, सम्मयं, अणुमयं, बहुमयं, भण्ड-करण्डग-समाणं, माणं सीयं, माणं उएहं, माणं खुहा, माणं पिवासा, माणं बाला, माणं चारा, माणं दंसा, माणं मसगा, माणं वाइयं पित्तियं-सभिमं, सन्निवाइयं, विविहा रोगायंका, परिसहोवसग्मा, फुसंतु चि कट्ठ एवं पि एं चरिमेहिं, उस्सास-नीसासेहिं, बोसिरामि चि कट्ठ, एवं पि एं संलेहणा, भूसणा भूसिच्चा, काल अणवकंखमाणे विहरामि ! एवं मे सदहणा, परूवणा अणसणावसरे पचे, अणसणे कए, फासणाए सुद्धो हविज्जा ।

अतिचार-सूत्र :

एवं अपच्छ्लम-मारणांपिय-संलेहणा भूसणा-आराहणाए, पंच अइयारा जाणियच्चा, न समायरियच्चा ।

तं जहा—इहलोगासंसप्पओगे, पर-लोगा-संसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणा-संसप्पओगे, कामभोगासंसप्पओगे । तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

संलेखना विधि ;

अर्थ :

(जीवन के अन्त में) मारणान्तिक संलेखना के समय में, पौष्टि-शाला का प्रतिलेखन करके, पौष्टि-शाला का प्रमार्जन करके, दर्भ आदि का संथारा (बिछौना) बिछा कर उस पर चढ़ कर, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके पर्यंक तथा पद्मासन आदि आसन से बैठ कर, दश अंगुली-सहित दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार बोले—

नमस्कार हो, अरिहंत भगवान् को, यावत् सिद्धि-स्थान को, जो प्राप्त हो गए हैं ।

नमस्कार हो, मेरे धर्मचार्य को, यावत् सिद्धि-स्थान की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले को ।

मैं यहाँ से वहाँ रहे भगवान को वन्दना करता हूँ, भगवान् मुझे देख रहे हैं, मेरी वन्दना को स्वीकार करें । वन्दना एवं नमस्कार करके इस प्रकार बोले—

प्रतिज्ञा

पहले भी मैंने प्रणातिपात यावत् मिथ्या-दर्शन-शल्य तक सब पापों का त्याग किया था ।

अब भी मैं सर्व प्रकार के प्रणातिपात का, मृषावाद का, अदत्तादान का मैथुन का और परिग्रह का त्याग करता हूँ । समस्त क्रोध यावत् मिथ्या-दर्शन-शल्य तक के न करने योग्य सावद्ययोगों का त्याग करता हूँ । जीवनभर के लिये तीन करण और तीन योग से, न करूँगा न करवारूँगा और न करते हुओं का अनु-मोदन करूँगा मन से, वचन से और काय से ।

अशन, पान खाद्य एवं स्वाद्य-सम्बन्धी समस्त चार आहारों का त्याग करता हूँ।

जीवनपर्यन्त—मैंने अपने इस शरीर का पालन एवं पोषण किया है—जो मुझे इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनोरम, अवलम्बनरूप, विश्वासयोग्य, सम्मत, अनुमत, बहुमत, आभूषण की पेटी के समान प्रिय रहा है, और जिसकी मैंने सर्दी से, गर्भी से, भूख से, प्यास से, सर्प से, चोर से, डांस से, मच्छर से, वात, पित्त, कफ एवं संनिपात आदि अनेक प्रकार के रोग तथा आतंक से, परीषह तथा उपसर्ग आदि से रक्षा की है। ऐसे इस शरीर का भी मैं अन्तिम साँस-उसाँस तक त्याग करता हूँ। इस प्रकार शरीर के ममत्वभाव को त्याग कर, संलेखनारूप तप में अपने आप को समर्पित करके एवं जीवन और मरण की आकृक्षा रहित हो कर विहरण करूँगा।

मेरी श्रद्धा एवं प्ररूपणा यह है, कि मैं अनशन के अवसर पर अनशन करूँ, स्पर्शना से शुद्ध बनूँ।

अतिचार :

इस प्रकार मारणान्तिक संलेखना के पांच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने के योग्य तो हैं, (किन्तु) आचरण के योग्य नहीं हैं। वे इस प्रकार हैं— इस लोक के सुखों की इच्छा की हो, परलोक के सुखों की इच्छा की हो, अधिक जीने की इच्छा की हो, शीघ्र मरने की इच्छा की हो, काम-भोगों की इच्छा की हो, तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो।

व्याख्या :

संथारा :

जैन-धर्म की निवृत्ति प्रधान साधना में 'संथारा' अर्थात् संस्तारक का बहुत बड़ा महत्व है। जीवनभर की अच्छी बुनी क्रियाओं का लेखा-जोखा लगा कर अन्त समय में, समस्त पापप्रवृत्तियों का त्याग करना, मन, वचन एवं काय को संयम में रखना, ममत्व-भाव से मन को हटा कर आत्म-चिन्तन में लगाना, भोजन पानी तथा अन्य सब उपाधियों को त्याग कर आत्मा को निर्द्वन्द्व एवं निःस्पृह बनाना—संथारा का महान आदर्श है। जैन-धर्म का आदर्श है—जब तक जीओ विवेकपूर्वक धर्माधान करते हुए आनन्द से जीओ, और जब मृत्यु आ जाए, तो विवेक-पूर्वक धर्माराधना में आनन्द से ही मरो। साधक-जीवन का आदर्श है—संयम की साधना के लिए अधिक से अधिक जीने का प्रयत्न करो, और जब देखो कि अब जीवन की लालसा में अपने धर्म से विमुख होना पड़ रहा है, तो अपने धर्म पर, अपने संयम में सुदृढ़ रहो, समाधिमरण के लिए तैयार रहो। इसी को संथारा की साधना कहते हैं।

अतिचार :

संलेखना के पांच अतिचार हैं, जो श्रमणोपासक को जानने तो चाहिए, (किन्तु) उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—इहलोकाशंसा-प्रयोग :

इस लोक के सुख-साधनों की इच्छा करना। जैसे—मैं राजा बनूँ, मैं चक्रवर्ती बनूँ।

परलोकाशंसा-प्रयोग :

परलोक सुख-साधनों की इच्छा करना। जैसे—मैं देव बनूँ, मैं इन्द्र बनूँ।

जीविताशंसा-प्रयोग :

अधिक दिनों तक जीवित रहने की इच्छा करना । मेरी प्रशंसा हो रही है ; मैं जीवित रहूँ, ताकि सुदीर्घ संथारा के महत्व से मेरी और अधिकाधिक प्रशंसा होती रहे ।

मरणाशंसा-प्रयोग :

शीघ्र मरने की इच्छा करना । भूख-प्यास से अथवा रोग आदि से व्याकुल हो कर यह सोचना, कि मैं कब मरूँगा ? जहदी ही मर जाऊँ, तो इस झंझट से छुटकारा मिले ।

काम-भोगाशंसा-प्रयोग :

काम-भोगों की इच्छा करना । शब्द एवं रूप को काम कहा जाता है और गन्ध, रस तथा स्पर्श को भोग कहा जाता है । काम-भोग की अभिलाषा करना, साधना का दूषण है ।

आत्मोचना

: ४१ :

इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और बारह व्रत, संलेखना सहित चारित्र के ६६ अतिचार सम्बन्धी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार ।

जानते-अजानते, मन, वचन, काय से सेवन किया हो, कराया हो, करते को भला जाना हो, तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान् की साक्षी से तस्स मिच्छा मि दुवकड़ ।

: ४२ :

अष्टादश पाप-स्थान

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मंथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अम्याख्यान, रति-अरति, पैशुन्य, पर-परिवाद, माया-मृषावाद, मिथ्यादर्शन-शल्य ।

इन अष्टादश पाप स्थानों से किसी भी पापस्थान का सेवन किया हो, कराया हो, करते को भला जाना हो, तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

: ४३ :

उपसंहार-सूत्र

मूल : तस्स धम्मस्स, केवलो-पणण्णास्स,
अब्भुद्धिओमि, आराहणाए ।
विरओमि, विराहणाए ।
तिविहेण पडिककंतो,
वन्दामि जिण चउच्चीस ।

अर्थ : केवली भगवान् द्वारा भाषित धर्म की आराधना में, मैं स्थित हूँ । विराधना से अलग हूँ । तीन योगों से, मन से, वचन से, काय से, प्रतिक्रान्त होता हुआ, पापाचरण से पीछे की ओर हटता हुआ, स्व-स्वरूप में स्थित होता हुआ, मैं चौबीस तीर्थद्वारों को वन्दन करता हूँ ।

व्याख्या :

प्रस्तुत पाठ ‘उपसंहार-सूत्र’ है, इसमें बताया गया है, कि मैं धर्म की आराधना में स्थिर हूँ और धर्म की विराधना से विरत हूँ । धर्म की विराधना से, मैं, मन से, वचन से, एवं काय से—तीन योग से प्रतिक्रान्त हो कर, दोषों से पीछे हटकर पूर्वगृहीत-संयम सम्बन्धी नियमों में स्थिर हो कर महान् उपकार करने वाले २४ तीर्थद्वारों को वन्दन करता हूँ ।

पांच पदों की वन्दना

नमो अरिहंताणां :

नमस्कार हो, अरिहन्तों को। अरिहन्त कैसे है? चार धाती कर्म—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, और अन्तराय का क्षय करने वाले हैं। चार अनन्त-चतुष्टय-अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन अनन्तचारित्र, और अनन्तवीर्य के धारण करने वाले हैं। देव-दुन्दुभि, भा-मण्डल, स्फटिक-सिंहासन, अशोक-वृक्ष, पुष्प-वृष्टि, दिव्य-छवनि, छत्र चामर-इन आठ महाप्रातिहार्यों से सुशोभित है। अरिहंत भगवान् उत्त, बारह गुणों से युक्त हैं, और अठारह दोषों से रहित हैं।

चौसठ इन्द्रों के पूजनीय हैं। चौतीस अतिशय, पैंतीस वाणी के गुण और शरीर के एक-सौ आठ उत्तम लक्षणों से युक्त हैं। वर्तमान काल में जघन्य बीस, उत्कृष्ट एक-सौ साठ, अथवा एक-सौ सत्तर तीर्थङ्कर तथा जघन्य दो करोड़ उत्कृष्ट नव करोड़ सामान्य केवली, पांच महाविदेह क्षेत्रों में विहरमाण अरिहंत भगवानों को वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तथा जानते अजानते किसी भी प्रकार का अविनय एवं आशातना हुई हो, तो तीन करण और तान योग से क्षमा चाहता हूँ।

नमो सिद्धाणां :

नमस्कार हो, सिद्धों को। सिद्ध कैसे हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अन्तराय—इन आठ क्रमों को क्षय करके जिन्होंने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन-अनन्तसुख, क्षायिक-भाव, अक्षय अवगाहनत्व, अमूर्तित्व, अगुरु-

लघुत्व, अनन्तवीर्य रूप आठ गुण प्राप्त किये हैं। इकतीस गुणों से युक्त हैं।

सिद्धों में वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, संस्थान नहीं, वेद नहीं, काया नहीं, कर्म नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, पुनरागमन नहीं। अस्तु, पन्द्रहभेदी सिद्ध भगवानों को वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तथा जानते अजानते किसी भी प्रकार की अविनय एवं अशानता हुई हो, तो तीन करण और तीन योग से क्षमा चाहता हूँ।

नमो आयरियाणां :

नमस्कार हो, आचार्यों को। आचार्य कैसे हैं? पांच आचार पांच महाव्रत, पांच इन्द्रिय-जय, चार कषाय-जय, नव वाड सहित शुद्ध-शील, पांच समिति, तीन गुप्ति-इन छत्तीस गुणों से युक्त हैं, और जो श्रुत सम्पदा, शरीर-सम्पदा, वचन-सम्पदा, महि-सम्पदा, प्रयोग-सम्पदा, वाचना-सम्पदा, संग्रह-सम्पदा, आचार-सम्पदा इन आठ सम्पदाओं से सम्पन्न हैं, तथा अन्य अनेक गुणों से संयुक्त हैं, उन आचार्य महाराज को वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तथा जानते-अजानते किसी भी प्रकार की अविनय एवं आशातना हुई हो, तो तीन करण और तीन योग्य से क्षमा चाहता हूँ।

नमो उवजभायाणां :

नमस्कार हो, उपाध्यायों को। उपाध्याय कैसे हैं? जो रथ-रह अंग—आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, उपासकदशांग, अन्तकृतदशांग, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रश्न-व्याकरण, विपाकश्रुत, और बारह उपांग-औपपातिक, रायपसेणिय, जीवा-जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बू-दीप-

प्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्य-प्रज्ञप्ति, निरयावलिवा, कप्पिया, कप्पवर्डिसिया, पुष्पिया, पुष्पचूलिया, बहीदसा को स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। चरण-सत्तरी एवं करण-सत्तरी का पालन करते हैं। जो उक्त पञ्चीसगुणों से विभूषित है। निशीथ, दयवहार, वृहत्कल्प, दशाश्रुतस्कन्ध-इन चार छेद सूत्रों के, तथा दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नन्दी, अनुयोगद्वार—इन चार मूल सूत्रों के और आवश्यक सूत्र के ज्ञाता हैं।

उपाध्याय महाराज को बन्दना करता है, नमस्कार करता है, तथा जानते-अजानते किसी भी प्रकार की अविनय एवं आशातना हुई हो, तो तीन करण और तीन योग से क्षमा चाहता है।

नमी लीए सब्बसाहूराँ :

नमस्कार हो, लोक में समस्त साधुओं को। साधु कौसे हैं ? पाँच महाव्रत के धारक हैं। पाँच इन्द्रिय और चार कषायों के विजेता हैं। भावसत्य, करणसत्य एवं योगसत्य से युक्त हैं। क्षमाशील है, वराग्यवान् हैं। मनः समाधारणता, वचन-समाधारणता एवं कारसमाधारणता से युक्त हैं। ज्ञानसम्पन्नता, दर्शनसम्पन्नता तथा चरित्रसम्पन्नता से युक्त हैं, शीत, उष्ण आदि वेदना सहन करते हैं। मारणान्तिक उपसर्ग सहन करते हैं। उबत सत्ताईस गुणों से युक्त हैं।

दश प्रकार के यति-धर्म को धारण करते हैं। सत्तरह प्रकार का संयम पालते हैं। अठारह पाप के त्यागी हैं। बाईस परिषह के जीतने वाले हैं। व्याघ्रीस दोष टाल कर आहार लेते हैं। अद्वाई द्वीप की कर्म-भूमि के पन्द्रह क्षेत्रों में अरिहन्त भगवान् की आज्ञा के अनुसार जघन्य दो हजार करोड़ एवं उत्कृष्ट नव हजार करोड़ सातु विहरण करते हैं।

ऐसे साधु महाराज को वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तथा जानते-अजानते किसी भी प्रकार की अविनय एवं आशातना हुई हो, तो तीन करण और तीन योग से क्षमा चाहदा हूँ।

: ४५ :

अरिहंत-वन्दना

नमो श्री अरिहंत, करमों को किया अंत,
हुवा सो केवलवंत, करुणा भएडारी है;
अतिशय चौंतीसधार, पेंतीस वाणी उच्चार
समझावे नरनार, पर उपकारी है।
शरीर सुन्दराकार, सूरज-सो भलकार,
गुण हैं अनन्त सार, दोष परिहारी है;
कहत है तिलोक रिख, मन वच काय करि
भुकी-भुकी बारंबार वन्दना हमारी है ॥

सिद्ध-वन्दना :

सकल करम टोल, वश कर लियो काल,
मुकति में रह्या माल, आतमा को तारी है?
देखत सकल भाव, हुआ है जगत्-राव,
सदा ही ध्यायिक भाव-भय अविकारी हैं।
अचल अटल रूप आवे नहीं भव-कूप,
अनूप स्वरूप ऊप, ऐसी सिद्ध धारी हैं;

कहत है तिलोकरिख, बताओ ए वास प्रभु,
सदा हि उगंत सूर, वन्दणा हमारी है ॥

आचार्य-वन्दना :

गुण हैं छतीस पूर, धरत धरम उर,
मारत करम कूर, सुमति विचारी है;
शुद्ध सो आचारवंत, सुन्दर है रूप कन्त,
भणिया सभी सिद्धान्त, वाचणी सुप्यारी है ।
अधिक मधुर वैण, कोई नहिं लोपे केण,
सकल जीवों का सेण, कीरति अपारी है;
कहत है तिलोकरिख, हितकारी देत सिख,
ऐसे आचारज ताङु, वंदणा हमारी है ॥

उपाध्याय-वन्दना :

पढ़त इग्यारे अंग, कर्मोसुं करे जंग,
पाखंडी को मान भंग, करण हुशियारी है;
चउदे पूरव धार, जाणत आगम सार,
भवियन के सुखकार, भ्रमणा निवारी है ।
पढ़ावे भविक जन, स्थिर कर देत मन,
तप कर तावे तन, ममता निवारी है;
कहत है तिलोकरिख, ज्ञान भानु परतिख,
ऐसे उपाध्याय ताङु, वंदना हमारी है ॥

साधु-वन्दना :

आदरी संज्ञम भार, करणी करे अपार,
सुमति गुपति धार, विकथा निवारी है;
जयणा करे छ काय, सावद्य न बोले वाय,
बुभाय कषाय लाय, किरिया भण्डारी है।
ज्ञान पढ़े आदौं याम, लेवे भगवंत नाम,
धरम को करे काम; ममता को मारी है;
कहत है तिलोकरिख, कर्मा को टाले विख,
ऐसे मुनिराज ताकुं, वन्दणा हमारी है ॥

गुरुदेव-वन्दना :

जैसे कपड़ा को थाण, दरजी वेतत् आण
खंड-खंड करे जाण, देत सो सुधारी है;
काठ के ज्यूं सूत्रधार, हेमको कसे सुनार,
माटी के जो कुम्भकार, पात्र करें त्यारी है।
धरती के करसाण, लोहे के लुहार जाण,
सीलवट सीला आणा, घाट घड़े भारी है,
कहत है तिलोकरिख, सुधारे ज्यूं गुरु शिष्य,
गुरु उपकारी, नित लीजे बलिहारी है ॥

गुरु मित्र गुरु मात, गुरु सगा, गुरु तात,
 गुरु भूप, गुरु प्रात, गुरु हितकारी है,
 गुरु रवि, गुरु चन्द्र, गुरु पति, गुरु इन्द्र,
 गुरु देव दे आणंद, गुरु पद भारी है।
 गुरु सिखात ज्ञान-ध्यान, गुरु देत दान मान
 गुरु देत मोक्ष-भान सदा उपकारी है,
 कहत है तिलोकरिख, भली-भली देवे सिख,
 पल-पल गुरुजी को, वंदणा हमारी है॥

: ४६ :

अनन्त^१ चौबीसी ते नमूँ, सिद्ध अनन्ता कोड़ ।
 केवली ज्ञानी थेवर सभी; वंदूँ बे कर जोड़ ॥
 दो कोड़ी केवलधरा, विहरमान जिन बीस ।
 सहस युगल कोड़ी नमूँ; साधू वंदूँ निस दोस ॥

: ४७ ::

समुच्चय जीवों से क्षमापना

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख
 तेजस्काय, सात लाख वायुकाय ।

दश लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण
 वनस्पतिकाय ।

दो लाख द्वीन्द्रिय, दो लाख त्रीन्द्रिय, दो लाख चतुरिन्द्रिय ।

चार लाख देवता, चार लाख नारक, चार लाख तिर्यङ्ग
 पञ्चेन्द्रिय और चौदह लाख मनुष्य ।

१५ यह पाठ कहीं पढ़ा जाता है, कहीं नहीं ।

इस प्रकार चार गति, चौरासी लाख जीवयोनि के किसी भी जीव को हना हो, हनाया हो हनते को भला जाना हो, तो १८, २४, १२० बार तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ ।

सब जीवों से मन, वचन और काय से क्षमा-याचना करता है । सब जीव मुझे क्षमा करें ।

: ४८ :

क्षमापना सूत्र

मूल : खामेमि सब्वे जीवे,
 सब्वे जीवा खमंतु मे ।
 मिच्ची मे सब्व-भूएसु,
 वेरं मज्जं न केणाइ ॥
 एवमहं आलोइअ,
 निंदिय गरिहिअ दुगुछिउं सम्म
 तिविहेणं पडिककंतो;
 वन्दाम जिणा-चउब्बीसं ।

अर्थ : मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, और के सब जीव भी मुझे क्षमा करें । मेरी सब जीवों के साथ मित्रता है, किसी के साथ मेरा वेर-विरोध नहीं है । इस प्रकार मैं सम्यक् आलोचना, निन्दा, गर्हा और जुगुप्सा के द्वारा तीन योग से—मन से, वचन से एवं काय से—प्रतिक्रमण करके, पापों से निवृत्त हो कर, चौबीस तीर्थङ्करों को वन्दन करता हूँ ।

ध्याख्या

क्षमा, साधक-जीवन का सब से बड़ा गुण है। वह साधक ही क्या जो जरा-जरा-सी बात पर क्रोध करे। वैर-विरोध करे। लड़ाई-झगड़ा करता फिरे। वैर-विरोध की अग्नि, वह भयंकर अग्नि है, जो हृदय को मृदुता को जला डालती है। क्षमा, साधक की सब से बड़ी शक्ति है, अपार बल है।

क्षमा का अर्थ है—सहिष्णुता रखना स्वयं किसी का अपराध न करना और दूसरों के अपराध को क्षमा कर देना। क्षमा के बिना साधना पनप ही नहीं सकती।

प्रस्तुत पाठ में साधक संसार के समस्त जीवों को क्षमा करता है। और दूसरों से कहता है, कि वे भी मुझ को क्षमा करें। क्षमा का मूल आद्वार मैलीभाव है। परन्तु वह तभी स्थिर हो सकता है, जबकि साधक के मानस में किसी के प्रति वैर-विरोध न हो। वस्तुतः वैर-विरोध को भूल कर, सबसे प्रेम करना ही सच्ची क्षमा है। क्षमा की साधना से जीवन पवित्र बनता है।

आलोचना जीवन-विकास का मूल है। अपनी भूलों को समझना, और समझ कर छोड़ना—आलोचना का तथ्य है। जो साधक अपने जीवन की शुद्धि चाहता है, उसे आलोचना के पथ पर अग्रसर होना ही होगा।

निन्दा का अर्थ है—आत्म-साक्षी से अपने मन में, अपने पापों की चिन्दा करना। गर्हा का अर्थ है—पर की साक्षी से अपने पापों की बुराई करना। जुगुप्सा का अर्थ है—पापों के प्रति पूर्ण घृणा-भाव व्यक्त करना। जब तक पाप के प्रति घृणा न होगी, तब तक मनुष्य उससे बच नहीं सकता। इस प्रकार आलोचना, निन्दा, गर्हा और जुगुप्सा के द्वारा किया गया प्रतिक्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण है।

मूल : आवस्सहि इच्छाकारेण संदिसह भगवं !
देवसिय-पायचिन्त-विसोहणुङ् करेमि काउ-
ससग्गं ।

अर्थ : भन्ते (आप इच्छा-पूर्व क आज्ञा दीजिए (जिससे मैं) अवश्यकरणीय, दिवस-सम्बन्धी प्रायश्चित्त को विष्णुद्वि के लिए कायोत्सर्ग करूँ ।

: ५० :

ध्यान के विषय में मन का, वचन का, काय का जो कोई खोटा योग प्रवर्ताया हो, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

: ५१ :

१. सामायिक
२. चतुर्विशति स्तव
३. वन्दना
४. प्रतिक्रमण
५. कायोत्सर्ग
६. प्रत्याख्यान

सुहाए, निस्सेसयाए, अणुगामियाए भविस्सति ।

मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण और अषुभयोग का प्रतिक्रमण ।

इन पाँच प्रतिक्रमणों में से कोई भी प्रतिक्रमण न किया हो, विधि-पूर्वक उपयोग के साथ न किया हो, तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

आवक प्रतिक्रमण-सूत्र



परिशिष्ट

प्रत्याख्यान

पच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
पच्चक्खाणेणं आसव-दाराइ निरुभइ, पच्च-
क्खाणेणं इच्छा-निरोहं जणयइ, इच्छा-निरोहं-
गए णं जीवे सब्ब-दब्बेसु विशीय-तण्हे, सीई-
भूए विहरइ,

अर्थ : ‘भगवन् ! प्रत्याख्यान करने से आत्मा को किस फल
की प्राप्ति होती है ?

प्रत्याख्यान करने से हिंसा आदि आश्रव-द्वार बन्द हो
जाते हैं, और इच्छा का निरोध हो जाता है, इच्छा
का निरोध होने से समस्त विषयों के प्रति विनृष्टि
हो कर, साधक शान्त-चित्त रह कर, विचरण
करता है।

दश प्रत्याख्यान

(१) नमस्कार-सहित-सूत्र :

मूल : उग्गए सूरे नमोक्कार-सहियं पच्चक्खामि ।
चउव्विहं पि आहारं-असणं, पाणं, खाइमं
साइमं ।

अन्नत्थणामोगेणं, सहसागारेणं. बोसिरामि ।

अर्थ : सूर्य उदय होने पर, [दो घड़ी दिन चढ़े तक] नमस्कार-सहित प्रत्याख्यान ग्रहण करता हूँ। अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य—चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ।

इस प्रत्याख्यान में दो आगार (भपवाद) हैं—अनाभोग=अत्यन्त विस्मृति, और सहसाकार=शीघ्रता। उक्त दो कारणों के सिवा चारों आहारों का त्याग करता हूँ।

ध्याख्या :

नमस्कार-सहित का अर्थ है—^१सूर्योदय से लेकर दो घड़ी दिन चढ़े तक; अर्थात्—मुहूर्तभर के लिए, बिना नमस्कार-मन्त्र पढ़े आहार ग्रहण नहीं करना। इसका दूसरा नाम नमस्कारिका भी है। आजकल साधारण

१. “नमस्कारेण — पंचपरमेष्ठिस्तवेन सहितं प्रत्याख्याति । ‘सर्वे धातवः करोत्यर्थेन व्याप्ता’ इति भाष्यकार-वचनात् नमस्कारसहितं प्रत्याख्यानं करोति ।”

बोलचाल में नवकारसी कहते हैं। नमस्कारिका^१ में केवल दो ही आगार हैं – अनाभोग, और सहसाकार।

(१) अनाभोग : इसका अर्थ है—अत्यन्त विस्मृति। प्रत्याख्यान लेने की बात सर्वथा भूल जाय और उस समय असावधानतावश कुछ खा-पी लिया जाय, तो वह अनाभोग-आगार की मर्यादा में रहता है।

(२) सहसाकार : इसका अर्थ है—मेघ वरसने पर, अथवा दही आदि मथते समय अचानक ही जल या छाछ आदि का छींटा मुख में चला जाय।

(२) पौरुषी-सूत्र :

मूल : उग्गए सूरे पोरिसि पच्चक्खामि । चउच्चिह्नं
पि आहारं-असणं, पाणं, खाइमं, साइमं ।

१. यह कथन आचार्य सिद्धसेन का है, जिसका भावार्थ है कि—मुहूर्त पूरा होने पर भी नवकारमन्त्र पढ़ने के बाद ही नमस्कारिका का प्रत्याख्यान पूरा होता है, पहले नहीं। यदि मुहूर्त से पहले ही नवकारमन्त्र पढ़ लिया जाय, तब भी नमस्कारिका पूर्ण नहीं होनी है। नमस्कारिका के लिए यह आवश्यक है कि सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त का काल भी पूर्ण हो जाय, और प्रत्याख्यान-पूर्तिस्वरूप नवकारमन्त्र का जप भी कर लिया जाय। इभी विषय को प्रवचन-सांख्यार्थी की वृत्ति में आचार्य सिद्धसेन ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—“स च ननस्कारसहितः पूर्णेऽपि काले नमस्कारपाठमन्तरेण प्रत्याख्यानस्यापूर्यमाणत्वात्, सत्यपि च नमस्कार-पाठे मुहूर्तभ्यन्तरे प्रत्याख्यानभंगात्, ततः सिद्धमेतत् मुहूर्तमानकाल-नमस्कार-सहितं प्रत्याख्यानमिति ।”—प्रत्याख्यानद्वारा।

अन्त्यणाभोगेणं, सहसागारेणं पच्छन्न-
कालेणं, दिसामोहेणं साहुवयणेणं, सर्व-
समाहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि ।

अर्थ : पौरुषी का प्रत्याख्यान करता हूँ सूर्योदय से ले कर
पहर दिन चढ़े तक अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य—
चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ ।
अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्नकाल, दिशा-मोह, साधु-
वचन, सर्वसमाधिप्रत्याकार (किसी आकस्मिक शूल
आदि तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए औषध
आदि ग्रहण कर लेना) उक्त छह आगार के सिवा
चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

व्याख्या :

पौरुषी में छह आगार हैं । दो पहले के हैं, शेष चार इस प्रकार हैं

(अ) प्रच्छन्न-काल—बादल अथवा आँधी आदि के कारण सूर्य
ढक जाने से पोरिसी पूर्ण होने की भ्रान्ति हो जाना ।

(ब) दिशा-मोह—पूर्व को पश्चिम समझ कर पोरिसी न आने पर
भी सूर्य के ऊँचा चढ़ आने की भ्रान्ति से अशनादि-सेवन कर लेना ।

(स) साधु-वचन ‘पोरिसी आ गई’, इस प्रकार किसी आप्त
पुरुष के कहने पर बिना पोरिसी आए ही पोरिसी पार लेना ।

(द) सर्व-समाधि-प्रत्ययाकार—किसी आकस्मिक शूल आदि
तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए औषधि आदि ग्रहण कर लेना ।

(३) पूर्वार्ध-सूत्र :

मूल : उग्गए सूरे पुरिमट्टुं पच्चकखामि । चउच्चिहं
पि आहारं असणं, पाणं, खोइमं, साइमं ।

अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्न-
कालेणं, दिसा-मोहेणं, साहु-वयणेणं, महत्त-
रागारेणं, सब्बसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि

अर्थ : सूर्योदय से लेकर दिन के पूर्वार्ध तक (दो पहर तक) चारों आहारों का—अशन, पान, खाद्य एवं स्वाद्य का त्याग करता हूँ।

अनाभोग, सहसाकार, प्रच्छन्नकाल, दिशामोह, साधु वचन, महत्तराकार और सर्व-समाधि प्रत्ययाकार—उक्त चार प्रकार के आगारों के सिवा चारों आहारों वा त्याग करता हूँ।

ब्याख्या

महत्तराकार का अर्थ है—विशेष निजेंरा आदि को ध्यान में रख कर रोगी आदि की सेवा के लिए, अथवा श्रमणसंघ के किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए गुरुदेव आदि महत्तर-रूप की आज्ञा पा कर निश्चित समय के पहले ही प्रत्याख्यान पार लेना।

(४) एकाशन-सूत्र :

मूल : एगासणं पच्चक्खामि । तिविहं पि आहारं-
असणं खाद्यं साइमं ।

अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारिया-
गारेणं, आउटणापसारणेणं, गुरुअब्मुद्गाणेणं
पारिद्वावसियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्ब-
समाहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि ।

अर्थ : एकाशन (तप) स्वीकार करता हूँ। अशन, खाद्य एवं स्वाद्य-- तीनों आहारों का त्याग करता हूँ। अनाभोग, सहसाकार, सागारिकाकार, आकुञ्चन-प्रसारण, गुरु—अभ्युत्थान, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार, सर्व-समाधि-प्रत्याकार—उक्त आठ आगारों के सिवा तीनों आहारों का त्याग करता हूँ।

च्याख्या :

(अ) सागारिकाकार—आगम की भाषा में सागारिक 'गृहस्थ' को कहते हैं। गृहस्थ के आ जाने पर उसके सम्मुख भोजन करना निषिद्ध है। अतः सागारिक¹ के आने पर साधु को भोजन करना छोड़ कर यदि बीच में ही उठ कर, एकान्त में जा कर पुनः दूसरी बार भोजन करना पड़े, तो व्रतभंग का दोष नहीं लगता।

(ब) आकुञ्चन प्रसारण—भोजन करते समय सुन्न पड़ जाने आदि के कारण से हाथ, पैर आदि अँगों का सिकोड़ना या फैलाना। उपलक्षण से आकुञ्चन-प्रसारण में शरीर का आगे-पीछे हिलाना-डुलाना भी आ जाता है।

१ आचार्य जिनदास ने आवश्यक-चूर्णि में लिखा है कि आगन्तुक गृहस्थ यदि शीघ्र ही चला जाने वाला हो, तो कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए सहसा उठ कर नहीं जाना चाहिए। यदि गृहस्थ बैठने वाला है और शीघ्र ही नहीं जाने वाला है, तब अलग एकान्त में जा कर भोजन से निवृत्त हो लेना चाहिए। व्यर्थ में लम्बी प्रतीक्षा करते रहने में स्वाध्याय की हानि होती है।

"सागारियं अद्व समुद्दिष्टम् आगतं जदि बोलेति पडिच्छति अहथिरं ताहे सज्जायवाधातो त्ति उट्टेत्ता अन्नत्थ गंतूण समुद्दिसति।"

सर्प और अग्नि आदि का उपद्रव होने पर भी अन्यन्त जा कर भोजन किया जा सकता है। सागारिक शब्द से सर्पादि का भी ग्रहण है।

(स) गुर्वभ्युत्थान—गुरुजन एवं किसी अथितिविशेष के आने पर उनका विनय-सत्कार करने के लिए उठना या खड़े होना।

**(५) एककासणं एगद्वाणं पच्चकखामि । तिविहं
पि आहारं-असणं, खाइमं, साइमं ।**

अन्त्यथणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागा-
रियागारेणं अब्भुद्वाणेणं, पारिष्ठावणि-
यागारेणं, महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तिया-
गारेणं वोसिरामि ।

अथं : एकाशनरूप एकस्थान का (व्रत) ग्रहण करता हूँ।
अशन, खाद्य एवं स्वाद्य—तीनों आहारों का त्याग
करता हूँ।

अनाभोग, सहसाकार, सागारिकाकार, गुरु-अभ्यु-
त्थान, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार और सर्व-
समाधिप्रत्ययाकार—उक्त सात आगारों के सिवा
आहार का त्याग करता हूँ।

(६) आचाम्ल-सूत्र :

मूल : आयंविलं पच्चकखामि । अन्त्यथणाभोगेणं,
सहसागारेणं, लेवालेवेणं, उखकिखत्तविवेगेणं,

गिहि-संसदुरेण, पारिष्ठावणियागारेण, महत्तरा- गारेण, सर्वसमाहिवत्तियागारेण वोसिरामि ।

अर्थ : आयंबिल (आचाम्लतप) ग्रहण करता हूँ। अनाभोग, सहसाकार, लेपालेप, उत्क्षिप्तविवेक, गृहस्थ-संसृष्टि, पारिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार, सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार—उक्त आठ आगार के सिवा आहार का त्याग करता हूँ।

व्याख्या :

आयंबिल में आठ प्रकार के आगार माने गए हैं, जिनमें पाँच आगार तो पूर्वकथित प्रत्याख्यानों के समान ही हैं। केवल तीन आगार ही ऐसे हैं, जो नवीन हैं। उनका परिचय इस प्रकार है—

(अ) लेपालेप—आचाम्लव्रत में ग्रहण न करने योग्य शाक तथा घृत आदि विकृति से यदि पात्र अथवा हाथ आदि लिप्त हो, और दातार गृहस्थ यदि उसे पोंछ कर उसके द्वारा आचाम्लयोग्य भोजन बहराए, तो ग्रहण कर लेने पर व्रतभंग नहीं होना है।

(ब) उत्क्षिप्तविवेक—शुष्क ओदन एवं रोटी आदि पर गुड़ तथा शबकर आदि अद्रव—सूखी विकृति पहले से रखी हो। आचाम्ल-व्रतधारी मुनि को यदि वह विकृति उठा कर रोटी आदि देना चाहे, तो ग्रहण की जा सकती है। उत्क्षिप्त का अर्थ है—उठाना, और विवेक का अर्थ है—उठाने के बाद उसका लगा न रहना।

(स) गृहस्थ-संसृष्टि—घृत अथवा तैल आदि विकृति से छोंके हुए कृत्माष आदि—गृहस्थसंसृष्टि आगार है; अथवा गृहस्थ ने अपने लिए जिस रोटी आदि खाद्यवस्तु पर घृतादि लगा रखा हो, उसको ग्रहण करना भी गृहस्थसंसृष्टि आगार है। उक्त आगार में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि विकृति का अंश स्वल्प हो, तब तो व्रत-

भंग नहीं होता । परन्तु विकृति यदि अधिक मात्रा में हो, तो वह ग्रहण कर लेने से व्रत-भंग का निमित्त बनती है ।

(७) उपवास-सूत्र :

मूल : उग्गए सूरे अभत्तटठं पच्चकखामि । चउन्निवहं पि आहारं-असणं,^१ पाणं, खाइमं-साइमं । अन्नतथणाभोगेणं, सहसागारेणं, पारिठाव-शियागारेणं महत्तरागारेणं, सब्बसमाहि-वत्तियागारेणं वोसिरामि ।

अर्थ : सूर्योदय के होने पर उपवास ग्रहण करता हूँ । अशन पान, खाद्य एवं स्वाद्य—चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

अनाभोग, सहसाकार, परिष्ठापनिकाकार, महत्तराकार, सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार — उक्त पाँच आगारों के सिवा चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

(८) दिवस चरिम-सूत्र :

मूल : दिवस-चरिमं पच्चकखामि । चउन्निवहं पि आहारं-असणं पाणं, खाइमं साइमं । अन्नतथणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ।

१. तिविहार उपवास करना हो, तो 'पाण' का पाठ न बोलें ।

अर्थ : दितसन्नरम का (ब्रत) प्रहण करता । चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार एवं सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार—उक्त चार आगारों के सिवा चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

(९) अभिग्रह-सूत्र :

मूल : अभिग्रहं पच्चक्खामि । चउच्चिह्नं पि आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं ।

अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सर्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ।

अर्थ : अभिग्रह का ब्रत प्रहण करता हूँ । चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार, सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार—उक्त चार आगारों के सिवा चारों आहारों का त्याग करता हूँ ।

(१०) निर्विकृतिक-सूत्र :

मूल : विग्रहो पच्चक्खामि । अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थ-संसद्ठेणं, उकिखनविवेगेणं, पटुच्चमकिखणेणं, पारिदृठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सर्वसमाहि-वत्तियागारेणं वोसिरामि ।

अर्थ : विकृतियों का त्याग करता हूँ। अनाभोग, सहसाकार, लेपालेप, गृहस्थसंसूष्टि, उत्क्षिप्तविवेक, प्रतीत्य-भ्रक्षित, पारिष्ठापनिक, महत्तराकार, सर्वसमाधिप्रत्ययाकार—उक्त नव आगारों के सिवा विकृति का त्याग करता हूँ।

व्याख्या :

निर्विकृति के नौ आगार हैं, जिनमें से आठ आगारों का वर्णन तो पहले के पाठों में यथास्थान आ चुका है। प्रतीत्यभ्रक्षित नामक आगार नया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है—

भोजन बनाते समय जिन रोटी आदि पर सिर्फ ऊँगली से धी आदि चुपड़ा गया हो, तो ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना—प्रतीत्यभ्रक्षित^१ आगार कहलाता है। इस आगार का यह भाव है कि—घृत आदि विकृति का त्याग करने वाला साधक धारा के रूप में घृत आदि नहीं खा सकता। हाँ, धी से साधारणतौर पर चुपड़ी हुई रोटियाँ खा सकता है। इस सम्बन्ध में एक प्रामाणिक कथन इस प्रकार है—

“प्रतीत्य सर्वथा रूक्षमण्डकादि, ईष्टसौकुमार्यप्रतिपादनाय यदंगुल्या
इष्टदघृतं गृहीत्वा भ्रक्षितं तदा कल्पते, न तु धारया ।”

—तिलकाचार्य-कृत, देवेन्द्र-प्रतिक्रमण-वृत्ति

१. ‘भ्रक्षित’—चुपड़े हुए को कहते हैं। और प्रतीत्यभ्रक्षित कहते हैं। जो अच्छी तरह चुपड़ा हुआ न हो, किन्तु चुपड़ा हुआ जैसा भी हो; अर्थात्-भ्रक्षिताभास हो।

‘भ्रक्षितमिव यद् वर्तते तत्प्रतीत्यभ्रक्षित भ्रक्षिताभासमित्यर्थं ।’

—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति

(११) प्रत्याख्यान-पारणा-सूत्र :

मूल : उग्रए सूरे नमोक्कार-सहियं...पच्चकखाणं
कयं तं पच्चकखाणं सम्मं काएण फासियं,
पालियं, तीरियं किद्वियं, सोहियं, आराहिअं।
जं च न आराहिअं, तस्म मिच्छा मि दुक्कडं।

अर्थ : सूर्योदय होने पर जो नमस्कारसहित प्रत्याख्यान....
किया था, वह प्रत्याख्यान [मन, वचन] शरीर के
द्वारा सम्यकरूप से स्पृष्ट, पालित, शोधित, तीरित,
कीर्तित, एवं आराधित किया, एवं जो सम्यक् रूप
से आराधित न किया हो, तो उसका दुष्कृत मेरे
लिए मिथ्या हो ।

च्याख्या :

प्रत्याख्यान पारने के छह अंग बतलाए गए हैं । अस्तु, मूलपाठ के
अनुसार निम्नलिखित छहों अंगों से प्रत्याख्यान की आराधना करनी
चाहिए—

१. **फासियं** (स्पृष्ट अथवा स्फर्शित)—गुरुदेव से या स्वयं विधि-
पूर्वक प्रत्याख्यान लेना ।

२. **पालियं** (पालित)—प्रत्याख्यान को बार-बार उपयोग में
ला कर सावधानी के साथ उसकी सतत रक्षा करना ।

३ **सोहियं** (शोधित)—कोई दूषण लग जाय, तो सहसा उसकी
शुद्धि, करना, अथवा 'सोहियं' का संस्कृत रूप 'शोभित' भी होता है ।
इस दशा में अर्थ होगा—गुरुजनों को साथियों को अथवा अतिथि जनों
को भोजन देकर स्वयं भोजन करना, प्रत्याख्यान की शोभा बढ़ाना ।

४. तीरियं (तीरित)—गृहीत प्रत्याख्यान का काल पूरा हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना ।

५. किट्टियं (कीर्तित)—भोजन आरम्भ करने से पहले लिये हुए प्रत्याख्यान को विचार कर उत्कीर्तन-पूर्वक कहना कि मैंने अमुक प्रत्याख्यान अमुक रूप से ग्रहण किया था, और वह भलीभाँति पूरा हो गया है ।

६. आराहियं (आराधित)—सब दोषों से सर्वथा दूर रहते हुए, उपर कही हुई विधि के अनुसार प्रत्याख्यान की आराधना करना ।

साधारण मनुष्य सर्वथा भ्रान्तिरहित नहीं हो सकता । वह साधना करता हुआ भी कभी-कभी साधना के पथ से इधर-उधर भटक जाता है । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा स्वीकृत व्रत की शुद्धि को जाती है, भ्रान्ति-जनित दोषों की आलोचना की जाती है, और अन्त में मिच्छामि दुःकड़ दे कर प्रत्याख्यान में लगे अतिचारों का प्रतिक्रमण किया जाता है । आलोचना एवं प्रतिक्रमण करने से व्रत शुद्ध हो जाता है ।

प्रतिक्रमण करने की विधि

प्रतिक्रमण प्रारम्भ करने से पहले पूर्वदिशा में या उत्तर दिशा में, और यदि गुरु हों, तो गुरु के सम्मुख होकर, सामने बैठकर 'चउवीसत्थव' करना चाहिए । उसकी विधि, सामायिक की विधि के समान ही है । अन्तर केवल इतना है, कि 'करेमि भंते' पाठ संख्या ६ नहीं बोलना चाहिए ।

चउवीसत्थव के अनन्तर 'तिक्खुत्तो' पाठसंख्या २ तीन बार बोलकर, गुरु को बन्दना करके गुरु से प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेनी चाहिए । आज्ञा लेकर सर्वप्रथम श्रावक-प्रतिक्रमण सूत्र का 'आवस्सहि इच्छामि ण' पाठसंख्या १ बोले । किर 'तिक्खुत्तो' से प्रथम आवश्यक की आज्ञा ले ।

प्रथम आवश्यक :

‘नमोक्कार मन्त्र’ सामायिकसूत्र का पाठसंख्या १, फिर ‘करेमि भन्ते’ सामायिकसूत्रगत पाठसंख्या ६, “इच्छामि पडिक्कमिउ” पाठ संख्या २, ‘तस्स उत्तरी’ पाठसंख्या ६, फिर काउस्सग करे। ‘काउस्सग’ में ६६ अतिचारों का पाठ संख्या ३ से लेकर २१ तक बोले, परन्तु मन में ही, उच्चारण करके नहीं। जहाँ ‘मिच्छा मि दुक्कड़’ पद आए, वहाँ पर आलोड़ बोले। नमो ‘अरिहंताणं’ बोल कर का काउस्सग पारे। फिर ‘छ्याम के विषय’ पाठ संख्या ५० बोलकर, दूसरे आवश्यक की आज्ञा ग्रहण करे।

द्वितीय आवश्यक :

लोगस्स, पाठसंख्या ८ बोले उच्चारण करके। फिर तीसरे आवश्यक की आज्ञा ले।

तृतीय आवश्यक :

तीसरे आवश्यक में दो ‘इच्छामि खमासमणो’ पाठ संख्या २२ बोले। फिर चतुर्थ आवश्यक की आज्ञा ले।

चतुर्थ आवश्यक :

चतुर्थ आवश्यक में ६६ अतिचार पाठसंख्या ३ से लेकर २१ तक सभी पाठों को उच्चारण से पढ़े। फिर ‘इच्छामि पडिक्कमिउ’ पाठसंख्या २ बोलकर श्रावकसूत्र पढ़ने की आज्ञा ले। श्रावकसूत्र पढ़ते समय दाहिना घुटना ऊँचा करके और बायां घुटना नीचा करके बैठना चाहिए। फिर इस प्रकार बोले—

प्रथम ‘नमोक्कार मन्त्र, सामायिकसूत्र, का पाठसंख्या १, ‘करेमि भन्ते !’ पाठसंख्या ६, ‘चत्तारि मंगलं’ पाठसंख्या २३,

१. ‘इच्छामि ठामि काउस्सगं इस तरह भी बोला जाता है।

‘इच्छामि पडिक्कमितुं’ पाठसंख्या २, ‘इच्छाकारेण’ पाठसंख्या ५, ‘आगमे तिविहे’ पाठसंख्या ३, फिर २४ से लेकर ४३ तक से सभी पाठों को पढ़े। बाद में ‘इच्छामि पडिक्कमितुं’ पाठसंख्या २, फिर दो^१ ‘इच्छामि खमासमणो!’ पाठसंख्या २२ पढ़े।

इसके बाद पांच पदों की वन्दना करे।

पंचम आवश्यक :

पांचवें आवश्यक में पहले ‘नमोऽकार मन्त्र’ पाठसंख्या १, ‘करेमि भन्ते !’ पाठसंख्या ६, ‘इच्छामि पडिक्कमितुं’ (इच्छामि ठामि काउस्सग्ग), पाठसंख्या २, ‘तस्स उत्तरी’ पाठसंख्या ६-७ पढ़कर, फिर ४, ‘लोगस्स’ का ‘काउस्सग्ग’ करे। फिर ‘नमो अरिहंताणं’ बोलकर काउस्सग्ग पारे। फिर ‘ध्यान हे विषय’ पाठसंख्या ५० बोलकर, एक बार लोगस्स पाठसंख्या ८ उच्चारण से बोले। फिर दो ‘इच्छामि खमासमणो !’ पाठसंख्या २२ पढ़े। बाद में छठे आवश्यक की आज्ञा ले।

षष्ठ आवश्यक :

छठे आवश्यक में गुरु से यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे। यदि गुरु न हों, तो स्वयं ही प्रत्याख्यान कर ले। फिर पाठसंख्या ५१ कहकर, फिर यह बोले—

षट् आवश्यकों में से किसी भी आवश्यक में जानते-अजानते जो कोई अतिचार लगा हो, तथा पाठ बोलने में मात्रा, अनु-स्वार, अक्षर, पद, अधिक, न्यून, आगे, पीछे, एवं विपरीत कहे हों, तो तस्स मिच्छामि दुक्कड़ं।

‘गतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमानकाल का संवर, और भविष्यतकाल का प्रत्याख्यान।’ इतना कहकर बैठ जाय और

१. यह पाठ कहीं पञ्चम आवश्यक के प्रारम्भ में भी पढ़ा जाता है।

फिर दाहिना घुटना नीचे करके एवं बांधा घुटना ऊँचा करके दो 'नमोत्थुण' पाठसंख्या १० बोले ।

बाद में साधु महाराज को वन्दना करे फिर वहाँ स्थित समस्त श्रावकों से क्षमापना करे ।

टिप्पणी :

[१] प्रतिक्रमण करने वाले पुरुष एवं स्त्रियों को इतना ध्यान रखना चाहिए, कि अतिचार-आलोचना के पाठों में जहाँ पर 'आलोचना करता हूँ, पाठ है, वहाँ पुरुषों को 'आलोचना करता हूँ', यह बोलना चाहिए, और स्त्रियों को 'आलोचना करती हूँ', यह बोलना चाहिए ।

[२] यहाँ प्रतिक्रमण करने की जो विधि दी गई है, वह स्थूलरूप में दी गई है, केवल रूप-रेखा दी गई है, पूर्ण विधि नहीं है; क्योंकि श्रावक प्रतिक्रमण की एक विधि नहीं है । विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न विधि प्रचलित है । अतः प्रतिक्रमण की पूर्ण विधि देना शक्य नहीं है । जहाँ पर जैसी विधि प्रचलित हो, तदनुसार कर लेना चाहिए ।

अरिहंत-वन्दन :

रोग-द्वेष महामल्ल घोर घन-घाति कर्म,
नष्ट कर पूर्ण सर्वज्ञ-पद पाया है।
शान्ति का सुराज्य समोसरण में कैसा सौम्य,
सिंहनी ने दुरध मृग-शिशु को पिलाया है॥
अज्ञानान्धकार-मग्न विश्व को दयार्द्र होके,
सत्य-धर्म-ज्योति का प्रकाश दिखलाया है।
'अमर' सभक्ति भाव बार-बार वन्दनार्थ,
अरिहंत, चरणों में मस्तक झुकाया है॥

सिद्ध-वन्दन :

जन्म-जरा-मरण के चक्र से पृथक् भये,
पूर्ण शुद्ध चिदानन्द शुद्ध रूप पाया है।
मनसा अचिन्त्य तथा वचसा अवाच्य सदा,
क्षायक स्वभाव में निजातमा रमाया है॥
संकल्प-विकल्प-शून्य निरंजन निराकार,
माया का प्रणंच जड़-मूल से नशाया है।
'अमर' सभक्ति-भाव बार-बार वन्दनार्थ,
पूज्य सिद्ध-चरणों में मस्तक झुकाया है॥

आचार्य-वन्दन :

आगमों के भिन्न-भिन्न रहस्यों के ज्ञाता ज्ञानी,
उग्रतम् चारित्र का पथ अपनाया है।

पक्षपातता से शून्य यथायोग्य न्यायकारी,
पतितों को शुद्ध कर धर्म में लगाया है॥

सूर्य-सा प्रचंड तेज प्रतिरोधी जावे भेष,
संघ में अखंड निज शासन चलाया है।

‘अमर’ समक्षिभाव बार बार वन्दनार्थ,
उपाध्याचार्य-चरणों में मस्तक झुकाया है॥

उपाध्याय-वन्दन :

मंद-बुद्धि शिष्यों को भी विद्या का अभ्यास करा
दिग्गज सिद्धान्तवादी पंडित बनाया है।

पाखंडी जनों का गर्व खबे कर जगत् में,
अनेकान्तता का जय-केतु फहराया है।

शंका-समाधान द्वारा भविको को बोध दे के,
देश, परदेश ज्ञान-भानु चमकाया है।

‘अमर’ समक्षि-भाव बार-बार वन्दनार्थ,
उपाध्याय-चरणों में मस्तक झुकाया है॥

साधु-वन्दन :

शत्रु और मित्र तथा मान और अपमान,
सुख और दुःख द्वैत-चिन्तन हटाया है।
मैत्री और करुणा समान सब प्राणियों पे,
क्रोधादि-कषाय-दावानल भी बुझाया है॥
ज्ञान और क्रिया के समान दृढ़ उपासक,
भीषण समर कर्म-चमू से मचाया है।
'अमर' सभक्ति-भाव बार-बार वन्दनार्थ,
त्यागी-मुनि-चरणों में मस्तक झुकाया है॥

धर्म-गुरु-वन्दन :

भीम-भव-वन से निकाला बड़ी कोशिशों से,
मोक्ष के विशुद्ध राज-मार्ग पै चलाया है।
संकट में धर्म-श्रद्धा ढीली-ढाली होने पर,
समझा-बुझा के दृढ़ साहस बँधाया है॥
कठता का नहीं लेश सुधा-सी सरस वाणी,
धर्म-प्रवचन नित्य प्रेम से सुनाया है।
'अमर' सभक्ति भाव बार-बार वन्दनार्थ'
धर्मगुरु-चरणों में मस्तक झुकाया है॥

संक्षिप्त प्रसिद्धमात्रा

: १ :

जं जं मणेण बद्ध,
जं जं भास्त्राए भासियं पावं ।
जं जं काएण कयं,
मिच्छामि दुक्कडं तस्य ॥
—आवश्यक सूत्र

: २ :

खामेमि सब्वे जीवे,
सब्वे जीवा खमन्तु में ।
मित्ती मे सब्वभूएसु,
वेरं मञ्ज्ञं न केणइ ॥

: ३ :

सब्वस्य समणसंघस्य,
भगवबो अंबलि करिअ सीसे ।
सब्वे खमावइता खमामि,
सब्वस्स अहयं पि ॥

: ४ :

आयरिए उवज्ज्ञाए,
सीसे साहम्मिए कुलगणे य ।
जे मे कैह कसाया,
सब्वे तिविहेण खामेमि ।

: ५ :

सारं दंसण नाण,
 सारं तव नियम संजम सीलं ।
 सारं निणवर धम्मं,
 सारं संलेहणा मरणं ॥

: ६ :

एगो मे सासओ अप्पा,
 नाण दंसण — संजुओ ।
 सेसा में बाहिरा भावा,
 स्वें संजोग — लक्खणा ॥

: ७ :

मज्जं विसय कसाया,
 निहा चिकहा व पंचमी भणिया ।
 ए ए पंच पमाया,
 जीवे पाडन्ति संसारे ॥

मन्त्र-साधना

१. अँ हीं अहं

२. अँ हीं

३. अर्हम्, अर्हम्, अर्हम्

४. ओम् हीं, हीं, हूँ, हौ, हँ;
अ सि आ उ सा

सम्यग् दर्शन—ज्ञान,

चारित्रेभ्यो नमः

५. अँ नमो सिद्धाणं

६. अँ नमो साहूणं

७. अँ अर्हन्मुख कमल—वासिनि,
पापात्मक्षयंकरि श्रुत—ज्ञान—ज्वाला- -
सहस्र ज्वलिते, सरस्वति !

मत्पापं हन, हन, दह, दह,

क्षीं, क्षीं, क्षूँ, क्षी, क्षँ;

क्षीर-घवले, अमृतसंभवे,

वँ, वँ, हुँ, हुँ, स्वाहा

शास्त्र-मन्त्र

१. इह लोए, पर लोए,
सुहाण—पूलं नवकारो ।
२. नमो जिणाणं,
जिय - भयाणं ।
३. नमो चउबीसाए
तित्थगराणं,
उसभादि महावीर पञ्जवसाणाणं

ध्वनि-जाप

१. नारायण नारायण, नारायण रे ।
वीरायण, वीरायण, वीरायण रे ।
२. देह—विनाशी, मैं अविनाशी ।
अजर — अमर पद मेरा रे ।
३. श्रमण भगवन्त श्रीमहावीर,
त्रिशला नन्दन हर मेरी पीर ।
४. भज महावीर, भज महावीर;
भज मन प्यारे, भज महावीर ।

५. अरिहन्त भजो,
अरिहन्त भजो ।

अरिहन्त बनो,
अरिहन्त भजो ।

६. भगवन्त भजो,
भगवन्त भजो ।

भगवन्त बनो,
भगवन्त भजो ।

७. महावीर भजो,
महावीर भजो ।

महावीर बनो,
महावीर भजो ।

उपसर्गहर-स्तोत्रं

उवसर्गहरं पासं,
 पासं वंदामि कम्मघणमुकं ।
 विसहर—विसनिन्नासं,
 मंगल—कल्लाण—आवासं ॥१॥

विसहर फुल्लिगमंतं,
 कंठे धारेह जो सया मणुओ ।
 तस्स गह रोगमारी—
 दुष्टजरा जति उवसामं ॥२॥

चिदुच द्वूरे मंतो,
 तुज्ज्ञ पणामो वि बहुफलो होइ ।
 नर-तिरिएसु वि जीवा,
 पावंति न दुक्ख—दोगच्चं ॥३॥

तुह सम्मते लदधे,
 चिन्तामणिकप्पपायवब्भहिए ।
 पावंति अविघेण,
 जीवा अयरामर ठाणं ॥४॥

इब संथुओ महायस !
 भत्तिभर—निभरैण हियएण ।
 ता देव ! दिज्ज बोहिं,
 भवे भवे पास जिणचंद ! ॥५॥

महावीर स्तुति

नमो दुवरि - रागादि,
वैरि - वार निवारणे ।

अहंते योगि - नाथाय,
महावीराय तायिने ।

भव बीजांकुर - जननाः,
रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णु वर्गा,
हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

—आचार्य हेमचन्द्र

परमेष्ठि-वन्दना

नमस्कार हो अरिहन्तों को, राग—द्वेष रिपु—संहारी ।
नमस्कार हो श्री-सिद्धों को, अजर अमर नित अविकारी ॥



नमस्कार हो आचार्यों को, सघ—शिरोमणि आचारी ।
नमस्कार हो उपाध्यायों को, अक्षय-श्रुत-निधि के धारी ॥



नमस्कार हो साधु सभी को, जग में जग—ममता मारी ।
त्याग दिये वैराग्य—भाव से, भोग—भाव सब संसारी ॥



पांच पदों को नमस्कार यह, नष्ट करे कलिमल भारी ।
मंगल-मूल अखिल मंगलमय, पाप—भीरु जनता तारी ॥

—उपाध्याय श्री अमरमुनि

मेरी भावना

जिसने राग-द्वेष कामादिक जोते सब जग जान लिया,
 सब जीवों को मोक्ष-मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया ।
 बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधोन कहा,
 भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसा में लान रहो ॥१॥

विषयों की आशा नहीं जिनको साम्यभाव धन रखते हैं,
 निज-पर के हित-साधन में जो निशदिन तत्पर रहते हैं ।
 स्वार्थ-त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
 ऐसे ज्ञाना साधु जगत् के दुःखसमूह का हरते हैं ॥२॥

रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे,
 उन्हीं जैसा चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे ।
 नहीं सत्ताऊँ कि सी जीव का झूठ कभी नहीं कहा करूँ,
 परधन-वनिता^१ पर न लुभाऊँ सन्तोषामृत पिया करूँ ॥३॥

अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसा पर क्रोध करूँ,
 देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ ।
 रहे भावना ऐसी मेरी सरल-सत्य व्यवहार करूँ,
 बन जहाँ तक इस जीवन में औरां का उपकार करूँ ॥४॥

मैत्री-भाव जगत् में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे,
 दीन दुखी जीवों पर मेरे उर में करुणा स्रोत बहे ।
 दुर्जन क्रूर कुमार्ग-रतों पर क्षोभ नहीं मुझ का आवे,
 साम्यभाव रखूँ मैं उन पर ऐसा परिणति हो जावे ॥५॥

^१ स्त्रियाँ भर्तो पढ़ें । पुरुष वनिता पढ़ें ।

गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे,
बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ।
होऊँ नहीं कृतध्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे,
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, टष्टि न दोषों पर जावे ॥६॥

कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे ।
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे,
तो भी न्यायमार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे ॥७॥

होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे,
पर्वत नदी स्मशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे ।
रहे अडोल-अकंप निरंतर, यह मन हृदतर बन जावे,
इष्ट-वियोग अनिष्टयोग में सहनशीलता दिखलावे ॥८॥

सुखी रहें सब जीव जगत् के कोई कभी न घबरावे,
वैर, पाप, अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे ।
घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे,
ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे ॥९॥

ईति-भीति व्यापे नहिं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे,
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे ।
रोग-मरी दुष्कृति न फैले प्रजा शांति से जिया करे,
परम अर्हसा-धर्म जगत् में फैल सर्व-हित किया करे ॥१०॥

फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे,
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई सुख से कहा करे ।
बन कर सब 'युगवीर' हृदय से धर्मोन्नति-रत रहा करे,
वस्तुस्वरूप विचार खुशी से सब दुःख-संकट सहा करे ॥११॥

सन्मति ज्ञानपोठ का

सूत्रसाहित्य

१. श्रमणसूत्र (सभाष्य)
२. सामायिकसूत्र (सभाष्य)
३. नंदीसुत्तं (मूल)
४. जैनागम-पाठमाला
५. अनुत्तरोपपातिक सूत्र
६. प्रश्नव्याकरण सूत्र (व्याख्यासहित)
७. सूक्ति-त्रिवेणी (त्रिधारा)
८. श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्र
९. तत्त्वार्थमूत्र (अनुवाद)
१०. उत्तराध्ययनसूत्र (अनुवाद)
११. लघुसामायिकसूत्र
१२. समणसुत्तं
१३. निश्चिथसूत्र भाग १-२-३-४

प्राप्ति-स्थान

सन्मति ज्ञानपोठ
लोहामण्डी, आगरा-२